पंचम माला, खंड 58, अंक 3, बुधवार, 10 मार्च, 1976/20 फाल्गुन, 1897 (शक)
Fifth Series, Vol. LVIII, No. 3, Wednesday, March 10, 1976/ Phalguna 20, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 58 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 10 मार्च, 1976/ 20 फाल्गुन, 1897 (शक)

No. 3, Wednesday, March 10, 1976/Phalguna 20, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES/पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 43, 46, 49, 50, 53 से 55 और 58	Starred Question Nos. 41 to 43, 46, 49, 50, 53 to 55 and 58	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	Written Answers to Questions —	
तारांकित प्रश्न संख्या 44, 45, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 59 और 60	Starred Question Nos. 44, 45, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 59 and 60 . . .	17-22
अतारांकित प्रश्न संख्या 223 से 251, 252 से 262, 264 से 275 और 277 से 326	Unstarred Question Nos. 223 to 251, 252 to 262, 264 to 275 and 277 to 326 .	22-76
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	77-80
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	80
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक--	Bills as passed by Rajya Sabha—	
(एक) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक	(i) Contempt of Courts (mendment) Bill	80
(दो) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक	(ii) Maternity Benefit (Amendment) Bill	80

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES/पृष्ठ
सभापति-तालिका के बारे में घोषणा	Announcement Re. Panel of Chairmen .	81
समिति के लिए निर्वाचन—	Election to Committee—	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	81-82
रेल बजट 1976-77—प्रस्तुत—	Railway's Budget, 1976-77—*Presented*—	
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi .	82-92
तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	Statutory Resolution Re. President's Proclamation in relation to the State of Tamil Nadu—adopted—	
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Paravathi Krishnan .	92-93
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O.V. Alagesan . . .	93-96
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel . . .	96-97
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	Shri R.V. Swaminathan . . .	97-98
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha .	98-99
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	99-100
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan . . .	100-02
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin .	102-03
श्री त्रिदिव चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri . .	103-04
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	104
श्री एम० कल्याणसुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram .	104-05
श्री एस० राधाकृष्णन्	Shri S. Radhakrishnan . . .	105-06
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . .	106-07
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahamananda Reddy . .	107-10

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 10 मार्च, 1976/20 फाल्गुण, 1897 (शक)
Wednesday, March 10, 1976/*Phalguna* 20, 1897 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

धर्मार्थ सोसायटी द्वारा विदेशों से प्राप्त की गई धनराशि

*41. **श्री भागेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई धर्मार्थ सोसायटी भारत में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने के प्रयासों में रुचि रखने वाले देशों से भारी धनराशि प्राप्त करती रही है, जैसा कि 8 फरवरी, 1976 के कुछ दैनिक पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या इस सोसायटी ने विदेशों से प्राप्त हुई धन राशि का बड़ा भाग देश में लोकतांत्रिक ढांचे का तख्ता उलटने के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों की गैर-कानूनी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर खर्च किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी):(क) से(ख). संभवतः संकेत 8 फरवरी, 1976 के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की ओर है। उसमें उल्लखित संगठन एवार्ड (ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों का संघ) नाम से एक पंजीकृत सोसाइटी है । विदेशी एजेंसियों से उसके स्वीकृत उद्देश्यों के लिए धनराशि को अपने लेखों में न दिखाने तथा सोसायटी के उद्देश्यों से असंबद्ध अधर्मार्थ प्रयोजनों के लिए इस धनराशि के तथाकथित दुरुपयोग के बारे में सूचना प्राप्त होने पर आयकर प्राधिकारियों ने 5 फरवरी, 1976 को इस सोसायटी और दिल्ली तथा बिहार

में उसके कुछ पदाधिकारियों के व्यापारिक/रिहायशी परिसरों की तलाशी ली थी। लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों जो तलाशी दौरान पकड़े गये थे, की संवीक्षा की जा रही है। संघ ने जो धन राशि विदेशी ऐजेंसियों से प्राप्त की है उसके स्रोतों, प्राप्ति के स्वरूप तथा उसके उपयोग का पता लगाने के लिए छानवीन की जा रही है।

श्री भोगेन्द्र झा : यह उत्तर उतना ही असंतोषजनक है जितना कि प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम प्रधान मंत्री से ही सुनते रहे हैं कि किस प्रकार कुछ विदेशी एजेंसियां हमारे देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के लिए भारी धन राशि व्यय कर रही हैं। यहां यह बताया गया है कि कई ऐसे व्यक्ति व संगठन हैं जो बड़े पैमाने पर हिंसात्मक गतिविधियों में लगे रहते हैं और पूर्ण क्रान्ति के नाम पर राजनीतिक व्यवस्था की तोड़ फोड़ का कार्य कर रहे थे। इस से भी गम्भीर आरोप यह है कि इन्होंने संस्थानों के नाम पर 18 लाख रुपये प्राप्त किये और निश्चित अवधि के लिये बैंक में जमा करवा दिये। किसी धर्मार्थ संगठन के पास इतने रुपये नहीं हो सकते। मंत्री महोदय बतायें कि ये विदेशी एजेंसियां कौन-कौन सी हैं और किस प्रकार कार्य करती हैं। इन लोगों का संबंध क्या सी० आई० ए० या उसके सहयोगी संगठन से है। ऐसे लोग जो विधान सभा या लोक सभा भंग करना चाहते हैं और सदस्यों को सदस्यता से त्यागपत्र देने को वाध्य करना चाहते हैं, कहां हैं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं केवल उसी प्रश्न का उत्तर दूंगा जो पूछा गया है। ए० वी० ए० आर० डी० (एवार्ड) नामक संगठन की कार्यपालिका के सदस्य जनवरी, 1973 में निर्वाचित हुए थे। इसके प्रधान श्री जयप्रकाश नारायण, उपप्रधान श्री राधाकृष्ण, कोषाध्यक्ष श्री राजेश्वर पटेल और महासचिव श्री ए० सी० सेन हैं। कार्यपालिका के सदस्य सर्वश्री बलभद्र प्रसाद, ए० सी० जैन, टी० सी० भुसकड़े, के० डी० गंगरडे, मथुरा प्रसाद सिंह, कालीपद दास, त्रिपुरारि शरण और सुगत दासगुप्त हैं।

इस संगठन को सहायता देने वाले संगठन मुख्य रूप से यू० एस० ए० आई० डी० और पश्चिम जर्मनी की 'प्रोटेस्टटस सेन्ट्रल ऐजेन्सी फार डिवलेपमेंट एड' हैं। बिहार में जमुई में इसके कार्यालय के खाते देखने पर पता चला कि कैश बुक में 68.64 लाख रुपये जमा किये गये और फिर उनका भुगतान किया गया। आय-कर अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस पैसे का उपयोग किस प्रकार किया गया। 2 लाख रुपये से अधिक राशि का एक और खाता है। यह भी सच है कि 18 लाख रुपये निश्चित काल की अवधि के लिये जमा कराये गये हैं। इस एजेंसी की आय कर से छूट मिली हुई है क्योंकि मूल रूप से इसका उद्देश्य ग्रामीण-विकास कार्य में सहयोग देना था। यह भी देखा गया है कि पिछले कुछ समय से यह एजेंसी अपने आवश्यक खाते नहीं भेज रही है।

श्री भोगेन्द्र झा : यह दुर्भाग्य की बात है कि जब वित्त मंत्रालय और आय-कर विभाग इस कार्य में लगे हैं तो गृह मंत्रालय हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : पता नहीं आप क्या कह रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : आपने कहा कि यह एजेंसी कुछ विकास कार्य में लगी थी। शायद गृह मंत्री जी को जानकारी नहीं कि बिहार में ब्लाक स्तर पर हजारों आदमी कम से कम 200/-

रुपये मासिक के वेतन पर नियमित रूप से इस एजेंसी के लिये कार्य कर रहे हैं। वे लोग पिछले दो वर्षों में बिहार में सामान्य राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक जीवन में बाधाएं खड़ी करने में लगे हुये थे। इसकी कार्यपालिका 1974 में बनी थी और 18 मार्च, 1974 से ही जब गड़बड़ी शुरू हुई थी। यह तो हमें आपात स्थिति की घोषणा ने बचा लिया अन्यथा पता नहीं क्या होता? शायद आप या मैं प्रश्नोत्तर के लिये यहां नहीं होते। आप हमें बताइये कि कुल कितना रुपया इसे विभिन्न स्रोतों से मिला। जिन विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं की बात मंत्री जी ने कही है क्या उनका सम्बन्ध अमरीका और पश्चिमी जर्मनी के ऐसे स्रोतों से है जो हमारे लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। क्या प्रत्येक स्तर पर इस एजेंसी के कर्मचारियों को पकड़ लिया गया है? 8 फरवरी के समाचार के अनुसार कुछ बैंक लाकर भी पकड़े गये थ। उनमें क्या था क्या इनका पैसा दिल्ली और बिहार के ऐसे लोगों द्वारा प्रयोग में लाया गया जो फौज और पुलिस को बिद्रोह के लिये उकसा रहे थे?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह बात प्रकाश में आई है कि जिस प्रयोजन के लिये यह एजेंसी बनाई गई थी उसके लिये उसके संसाधनों का एक भाग प्रयोग में नहीं लाया गया। कुछ धन का दुरुपयोग किया गया है। इसका कैसे उपयोग किया गया इसकी अधी और जांच चल रही है? इस समय मेरे पास और कोई सूचना देने के लिये नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या इन व्यापारिक संस्थानों का सीधा सम्बन्ध विदेशों से है? क्या अमरीकी एजेन्सियां वे ही हैं जिनके कि समाचारपत्र हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार के पास ऐसी जानकारी है?

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : यह बड़ा व्यापक प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न से उनका सीधी सम्बन्ध नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में ऐसे अभिकरणों के बारे में बताया गया था। भूतपूर्व गृह मंत्री श्री दीक्षित ने भी बताया था कि ऐसे कुछ संगठनों को डालर मिल रहे हैं। ऐसा परिवार नियोजन के नाम पर हो रहा है। एक एजेंसी है वर्ल्ड आर्गेनाइजेशन आफ यूथ, इण्डियन एसोसिएशन आफ यूथ और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस। इनकी गतिविधियों पर क्या नजर रखी जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप बैठ जाइये। आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मूल प्रश्न एक विशेष समिति के बारे में है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस धर्मार्थ गतिविधियों के नाम पर कार्य कर रही है। यह सर्विस आपात स्थिति की विरोधी है; क्या

सरकार को इसकी जानकारी है ? वह पंजीकृत भी नहीं है और हर बात की आलोचना करते हैं। यह सर्विस कलकत्ता विश्वविद्यालय में सक्रिय रूप से विद्यार्थियों में कार्य कर रही है। मुझे भय है कि इस सर्विस का भी उन एजेंसियो से कुछ सम्बन्ध है। यदि मंत्री महोदय को जानकारी है तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : ऐसे कई अभिकरण हैं जिन्हें इस संगठन से धन मिलता रहा है। उड़ीसा में सर्वोदय मंडल को 64,000/- रुपये मिले हैं। और भी कई संगठन हैं। अभी हाल ही में राज्य सभा ने विदेशी धन (विनियमन) विधेयक पास किया है। यह बहुत आवश्यक विधेयक है। अभी तक कोई कानून नहीं था। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कितना ही धन भेजा जा सकता था। हमने भारत में विदेशी धन के भेजने को नियमित करना आवश्यक समझा। मेरे पास ऐसी जानकारी है कि कई मिशनरियों तथा धार्मिक संगठनों के माध्यम से करोड़ों रुपये भेजे गये हैं। 1972–74 में 31 करोड़ रुपया भारत आया। इस विधेयक के कानून बन जाने पर हमें इस बात की जांच का अधिकार मिल जायेगा कि कैसे और कहां से यह पैसा आया और इसका प्रयोग किस प्रकार हुआ। क्या इसका ठीक प्रयोग हुआ है आदि, ताकि इस पर रोक ठीक नियंत्रण रखा जा सकेगा।

श्री राम सहाय पाण्डे : गृह मंत्री ने बताया है कि इस विशिष्ट धर्मार्थ समिति के प्रधान जयप्रकाश नारायण हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में ऐसे कितने संस्थान हैं जिनसे जे० पी० सम्बद्ध हैं और जिन्हें विदेशों से धन मिलता है। दूसरे यह भी आरोप लगाया गया कि इन संगठनों को चीन से पैसा मिलता है। क्या ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और धर्मार्थ संस्थाओ पर जिन्हें विदेशो धन मिलता है पर नजर रखी जाती है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जब भी हमें विदेशी धन भारत आने की जानकारी मिलती है तो हम उन संस्थाओं पर निगरानी रखते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, सरकार को विदेशों से मिलने वाले धन को विनियमित करने का अधिकार नहीं है।

सतर्कता विभागों में अनिर्णीत पड़े सतर्कता के मामले

*42. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतर्कता विभागों में अभी कितने मामले निपटाने के लिये पड़े हुये हैं ;

(ख) वर्ष 1973–74, 1974–75 तथा 1975–76 में सतर्कता सम्बन्धी कितने मामले निपटाये गये ; और

(ग) इन मामलों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10398/76]

इसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में वर्ष 1973-74 और 1974-75 की अपेक्षित सूचना दी गई है।

वर्ष 1975-76 की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अगली वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जाएगा, जो सामान्य अवधि में संसद् के सामने रखी जाएगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह अवांछनीय तथ्य है कि 1973-74 से 1974-75 वर्ष के अन्त तक लम्बित सतर्कता सम्बन्धी मामलों की संख्या बढ़ गई है। सरकार ने यह घोषणा की थी कि जिन लोगों की रिपोर्ट खराब है तो उन्हें अनिवार्यत: सेवा से निलम्बित कर दिया जाएगा चाहे उनके विरुद्ध कोई भी मामला लम्बित न हो। लेकिन 1973-74 में केवल 2 और 1974-75 में केवल 5 राजपत्रित अधिकारी अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किये गये हैं हालांकि जांच अधीन मामलों की संख्या बहुत बड़ी है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह सत्य है कि 1973-74 के मुकाबले में लम्बित मामलों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। 1973-74 में यह संख्या 5,708 और 1974-75 में बढ कर 5,926 हो गई। लेकिन इस विषय में उपाय किये गये हैं कि अनुशासन सम्बन्धी मामलों के निपटान में कम से कम समय लगे। जैसा कि विवरण से स्पष्ट है अनुशासन सम्बन्धी मामले अधिकतर अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध हैं। और केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग इस मामले के निपटान में हस्तक्षेप नहीं करते बल्कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का काम विभागीय अनुशासन समितियों का है। इस बीच केन्द्रीय सतर्कता आयोग को ये हिदायत दी गई हैं कि सी० बी० आई० द्वारा आरोपों की जांच का कार्य सामान्यतया 3 मास के भीतर पूरा हो जाना चाहिये और चार्ज शीट करने तथा जांच समिति का प्रतिवेदन तैयार करने में छ: मास से अधिक समय नहीं लगना चाहिये। यदि किसी मामले में बिलम्ब हो तो वह मामला और बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण अपने से उच्च अधिकारी को सौंप देना चाहिये। मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि छ: महीने से लम्बित मामलों सम्बन्धी एक तथ्यात्मक विवरण इस विभाग को प्रस्तुत किया जाये जिसमें बिलम्ब के लिये कारण बताये जाने चाहियें।

एक प्रश्न यह किया गया कि अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये अधिकारियों की संख्या कम है। लेकिन इस विवरण में अनिवार्यत: सेवा निवृत्त किये जाने वाले मामलों की कुल संख्या नहीं दी गई। इसमें केवल उन मामलों की संख्या दी गई है जिनके विरुद्ध सतर्कता सम्बन्धी मामले चलाये गये और जिन्हें दण्डस्वरूप सेवा निवृत्त कर दिया गया। आपात स्थिति के बाद से 6-3-76 तक सेवा निवृत्त किये गये कुल कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

प्रथम श्रेणी . . .	46
द्वितीय श्रेणी . . .	117
तृतीय श्रेणी	1,573
चतुर्थ श्रेणी	571

कुल संख्या है 2,297। केन्द्रीय सेवाओं में सेवानिवृत्त किये गये अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :

भारतीय प्रशासनिक सेवा	10
भारतीय पुलिस सेवा	12
भारतीय वन सेवा	6

इस प्रकार इस विवरण में ये आंकड़े नहीं हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं इस कुख्यात मामले के बारे में विशेष रूप से जानना चाहता हूं जिसका उल्लेख सदन में गत वर्ष किया गया था---2 मई, 1975 और 11 अप्रैल 1975 को इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था---भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा अध्यक्ष के सम्बन्ध में, जिनके बारे में यह समाचार छप चुका है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके बारे में जांच पूरी कर ली गई है और सरकार भी सदन को यह बता चुकी है कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों का अध्ययन कर रही है ? परन्तु इस, विशिष्ट पदाधिकारी को न तो अनिवार्यत: सेवा निवृत्त कर दिया गया है और न ही इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और उस सम्पूर्ण समय के दौरान जब तक कि उसके विरुद्ध जांच चलती रही अपने पद पर बना रहा और वह इतनी शक्ति सम्पन्न स्थिति में था कि वह अपने विरुद्ध चल रही जांच को प्रभावित कर सकता था। इस समय लाकहीड काण्ड की चर्चा विश्व की विभिन्न राजधानियों में चल रही है और हमारे पास टकरु आयोग का अद्यतन प्रतिवेदन भी है, जिसमें श्री पी० आर० नायक के व्यवहार की चर्चा भी है, जो सम्भवत: जांच से छूट जाये क्योंकि उसने सचिव का पद छोड़ दिया है, अब वह उनकी पहुंच से बाहर है, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष सम्बन्धी इस कुख्यात मामले में विशेष रूप से क्या कर रही है और भारत सरकार के सचिव या ऐसे बड़े पदों वाले उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो इसलिए सजा पाने से बच जाते हैं कि वह सेवा निवृत्त हो जाते हैं या जांच में विलम्ब हो जाता है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मुख्य प्रश्न बहुत सामान्य सा था अर्थात सतर्कता आयोग के समक्ष पड़े उन निर्णीत मामलों की संख्या। अब यह एक विशेष मामले का उल्लेख कर रहे हैं। अगर वह अलग प्रश्न पूछें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : 2 मई, 1975 की अतारांकित प्रश्न संख्या 8434 के रूप में मैंने इस व्यक्ति विशेष, अध्यक्ष, भारत पर्यटन विकास विभाग के बारे में प्रश्न पूछा था और सदन को यह बताया गया था कि इस व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपना निर्णय दे दिया है और वह विचाराधीन है। इस बात को लगभग एक वर्ष हो गया है। यदि वह व्यक्ति अपने पद पर आसीन रहते हुये मजे उड़ाता रहता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पक्ष में लाने तथा जिन्होंने उसके विरुद्ध आरोप लगाये थे उनके विरुद्ध दबाव डालने के लिए प्रयत्नशील रहता है तो भला मैं और सदन किस प्रकार से चैन से बैठ कर यह सब देख सकते हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यदि यह प्रश्न श्री सुन्दरम के बारे में है, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश के अनुसार उन्हें चेतावनी जारी कर दी गई थी।

Shri M. C. Daga : May I know the number of cases in which you were forced to launch prosecution by the Bureau of Investigation from 1st April. 1973 to 31st March, 1974, the number of cases in which the departmental enquiry was considered necessary, the number of cases in which punishment was necessary, the number of cases in which prosecutions were launched and the number of cases in which enquiry has been started and what are the results ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : इन सब बातों का उल्लेख विवरण में किया गया है परन्तु मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए मामलों के कुछ आंकड़े दे देता हूं। वर्ष 1975 में पंजीकृत मामलों की संख्या थी, 1,196; इनमें सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारी; 619; केन्दीय जांच ब्यूरो द्वारा हाथ में लिये गये मामले, जिनमें वर्ष के आरम्भ में पड़े अनिर्णीत मामले भी शामिल हैं, की संख्या, 2,282; मुकदमे के लिए भेजे गये मामलों की संख्या 453; न्यायालयों द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या 325; 271 मामलों में दोष सिद्ध हो गया अर्थात 83.4 प्रतिशत मामलों में; किन मामलों में बरी या मुक्त कर दिया गया उनकी संख्या 54; विभागीय कार्यवाही के लिए जिन मामलों की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, उनकी संख्या 812; जिन मामलों में विभागीय कार्यवाही पूरी की जा चुकी है उनकी संख्या 816; जिन मामलों में सजा दी गई है, उनकी संख्या 681, अर्थात 83.5 प्रतिशत।

श्री बसन्त साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान आपातस्थिति में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का जो वातावरण बना हुआ है उसमें उन मामलों में भी कार्यवाही की गई है जोकि 6 या 7 वर्ष से विभागीय जांच के लिए अनिर्णीत पड़े हुये थे और जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, उन्हें उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है ? क्या आप ऐसे मामलों पर पुनःविचार करने के लिए कोई तंत्र बनायेंगे ताकि इन अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्राप्त हो सके और जहां कहीं कोई उचित मामला हो, वहां आप न्याय कर सकें ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यदि किसी को अकारण ही परेशान किया गया हो तो वह उपयुक्त प्राधिकारियों के पास अपील कर सकता है। सिविल सेवा आचार संपहता नियमों में इसकी व्यवस्था है।

केरल में इदमलयार परियोजना के लिए विशेष सहायता

*43. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केरल में इदमलयार परियोजना के लिये एक करोड़ रुपये की विशेष सहायता मांगी है;

(ख) क्या मांगी गई विशेष सहायता की मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) 1976-77 की राज्य की वार्षिक योजना तैयार करते समय इदमलयार परियोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। वर्ष 1976-77 की आवश्यकता 3.50 करोड़ आंकी गई थी। राज्य की अनुमोदित वार्षिक योजना में इसे पूरी राशि की व्यवस्था की गई है।

श्री ए० के० गोपालन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इदमलयार परियोजना के लिए योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1973 में मंजूरी दे दी गई थी और राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस परियोजना का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया जा चुका है और उस पर लगभग 187.85 लाख रुपया खर्च भी किया जा चुका है।

श्री आई० के० गुजराल : परियोजना वर्ष 1973 में मंजूर की गई थी और उस समय इस पर 23.40 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। अब यह अनुमानित व्यय बढ़ कर 29.25 करोड़ रुपये हो गया है और चालू योजना के तीनों वर्षों के लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या योजना आयोग के मुख्य सलाहकार के साथ 6-6-75 को विचार विमर्श किया गया था और उस विचार विमर्ष के निष्कर्ष क्या है ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं सम्भवत: आपको ठीक तरह से यह तो नहीं बता पाऊंगा कि मुख्य सलाहकार के साथ किस मामले पर विचार-विमर्श हुआ। परन्तु प्राय: परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने और वास्तविक कार्यक्रम तथा अपेक्षित धनराशि के बारे में ही विचारविमर्श किया जाता है। इस विशिष्ट मामले में उदाहरणार्थ, राज्य सरकार ने 1976-77 में 195 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है परन्तु योजना आयोग ने यह धनराशि बढ़ाकर 350 लाख रुपये कर दी है।

श्री ए० के० गोपालन : इस लिखित विवरण में यह बताया गया है कि इसके बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के साथ विचारविमर्श किया गया था और उसी की मंत्रणा के आधार पर ही केरल सरकार से इस परियोजना के लिए अपने ही संसाधनों से धनराशि जुटाने के लिए कहा गया था और इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग प्रश्न है। वह सड़कों के बारे में है।

श्री ए० के० गोपालन : परियोजना में वह भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उसके बारे में आप कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हो, तो पूछ सकते हैं।

श्री आई० के० गुजराल : मैं परियोजना के विभिन्न पहलुओं का ब्यौरा सम्भवत: न दे पाऊं।

श्री ए० के० गोपालन : विवरण में आपने बताया है कि केन्द्र द्वारा परियोजना के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस समय परियोजना पर 29·25 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान है और ज्यों ज्यों समय बीतता जायेगा हम इसके लिए धन राशि देते रहेंगे जैसे कि अब हम दे रहें हैं।

विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम और केन्द्रीय मंत्रालयों की आवश्यकताएं

*46. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इरीम्पनम-कलामसारी सड़क तथा पांच अन्य सड़कों को 'विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम और केन्दीय मंत्रालयों की आवश्यकताओं' में शामिल किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केरल सरकार ने इरिम्पनम-कलामसारी मार्ग तथा पांच अन्य सड़कों को जिनकी आवश्यकता केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट के लिए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम और केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं, सम्मिलित किये जाने के लिए जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया था। जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय ने केरल सरकार को सलाह दी थी कि उक्त योजना के अंतर्गत तब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकेगी जब तक कि भारत सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा सड़क परियोजना प्रायोजित नहीं की जाती। तत्पश्चात केरल सरकार ने हिन्दुतान पेपर कारपोरेशन की केरल न्यूजप्रिंट परियोजना के लिये जरूरी पांच सड़कों के सुधार कार्य को इस योजना में शामिल करने हेतु प्रायोजित उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से अनुरोध किया। बाद में इस मामले में जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय को पुनः लिया गया और उनकी सलाह पर केरल राज्य को यह परामर्श दिया गया कि चूंकि इस योजना के लिये अभी तक कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है अतः वे इन सड़कों के निर्माण कार्य को अपने साधनों से पूरा करायें।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार छः सड़कों के लिए पर्याप्त धन नहीं दे सकती, क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री कम से कम इरिमपनम-कलामसारी मार्ग को अपने भविष्य के वित्तीय प्रस्तावों में सम्मिलित करेंगे ? केरल में तैयार हो रही नयी परियोजना के लिए इस मार्ग की आवश्यकता है। उन्होंने केरल की छः सड़कों के लिए सहायता मांगी है आप उनमें से कम से कम एक के लिए तो सहायता दें।

श्री बी० पी० मौर्य : राज्य सरकार के साथ हमारे करार के अनुसार सड़कों का आधारभूत ढांचा राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जायेगा। इस योजना में हमें कम से कम पांच सड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। इनकी लम्बाई 146 किलो मील है। इनपर लगभग 2.11 करोड़ रूपये की लागत आयेगी इसके लिये संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालय से बात की थी जहां तक इस योजना का प्रश्न है इस पर हम और भार नहीं डाल सकते ।

श्री एन० श्री कान्तन नायर : केरल न्यूज प्रिन्ट परियोजना मुख्य रूप से इन पांच सड़कों के पूरे होने पर निर्भर करता है। क्या वित्त मंत्री महोदय इसके लिये वितीय व्यवस्था के लिए कोई और सुझाव देंगे ?

श्री बी० पी० मौर्य : जैसे कि मैंने कहा कि हमारी योजना 82 करोड़ रुपये की है। हम और मार नहीं सह सकेंगे। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि आधारभूत ढांचा वह तैयार करेंगे अत: राज्य सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इन सड़कों के बिना परियोजना के पूरे होने का क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार यह कार्य करे।

औद्योगिक नीति में परिवर्तन

*49. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति में बड़े परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार की विकास, सामाजिक न्याय और औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की नीतियां औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से विनियंत्रित है। औद्योगिक नीति संकल्प के विस्तृत ढांचे के अन्तर्गत सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति में समय समय पर परिवर्तन किये है ताकि विशेष रूप से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले उद्योगों का तेजी से विकास किया जा सके। हाल ही में सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए अभ्युपाय किये हैं जिससे अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके तथा प्राथमिकता के अनुसार नये विनियोजन जिनमें प्रशासनिक नियंत्रण कम से कम हो, किये जा सके ।

श्री भान सिंह भौरा : 1 फ़रवरी, 1976 को मंत्री महोदय श्री पाई ने मद्रास में एक वकतव्य दिया था। मैं उसमे से उद्धृत करता हूं :

> "वर्तमान निर्यात प्रयत्नों मैं औद्योगिक गृहों का योगदान 20 प्रतिशत था और एकाधिकार गृहों, जिन्होंने बहुत सी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया, का योगदान बहुत कम रहा। उन्होंने कहा कि यदि देश ने जिन्दा रहना है तो 1988 तक निर्यात को बढ कर 18,000 करोड़ रुपये का हो जाना चाहिए।"

आगे "श्री पाई ने कहा बताया गया है कि विदेशी मुद्रा बचाने तथा उसके स्रोतों को बढाने के लिये नीति में परिवर्तनो का संकेत किया ।"

विवरण में उन्होंने बताया है कि उन्होंने कुछ कार्यवाही कि है । मैं जानना चाहता हूं कि उनके मद्रास के वतकव्य पर ध्यान देते हुए नीति सम्बन्धी क्या परिवर्तन किये गये है ?

श्री टी० ए० पाई : औद्योगिक नीति संकल्प में सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रो की तथा उन क्षेत्रों की जिनमें सरकारी तथा निजी क्षेत्र कार्य कर सकेंगे, एवं उन क्षेत्रों की जिनमें; केवल निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति है, परिभाषा दो गई है । मेरे इस वक्तव्य का कि इस देश के उद्योगों को उत्पादन और निर्यात बढ़ाना चाहिए, औद्योगिक नीति से कोई सम्न्ध नहीं है ।

श्री भान सिंह भौरा : मंत्री महोदय को टाटा द्वारा दिये गये तीन महीने के इस अल्टीमेटम को देखा होगा :

"फ़रवरी के पहले पूर्वार्ध में, टाटा ने भारतीय तेल निगम को लिखे पत्र में मार्च, 1976 तक वैध सभी आदेशो को रद्द कर दिया ।

टाटा के धमकी देने वाले रवैये के कारण मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार टाटा के इस पत्र के आगे झुक जायेगी ?

श्री टी० ए० पाई : हमें किसी से कोई अल्टीमेटम प्राप्त नहीं हुआ है । अल्टीमेटम से सरकार की नीति नहीं बदली जा सकती ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक लाइसेंसो की उदार नाति के बावजूद देश में औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए जो लाइसेंस जारी किये गये उनके अधिकांश मामलों में उद्योगों की स्थापना को महत्व नहीं दिया गया और दूसरे क्या यह भी सच है कि कई मुख्य मंत्रियों ने उद्योग मंत्रालय को राय दी है कि जब तक राज्य सरकारों को कुछ विशिष्ट शक्तियां नहीं दी जाती कि वे राज्यों में विभिन्न वस्तुओं के बारे में अग्रता को ध्यान में रखते हुए राज्य की औद्योगिक लाइसेंसो सम्बन्धी नीति निर्धारित करें देश का औद्योगिक विकास तीव्र गति से नहीं हो सकेगा ।

श्री टी० ए० पाई : जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों पर निगरानी रखी जा रही है । राज्य सरकारों को भी लाइसेंस जारी करने के बाद सब सहायता दी जाती है और यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे पूरी सुविधाएं प्रदान करें ताकि उद्योग स्थापित हो सकें । हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो लाइसेंस विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों में जारी किये गये हैं उन पर दृष्टि रखी जाये । जहां तक औद्योगिक आवेदनों का प्रश्न है यह सभी राज्यों के माध्यम से आते हैं अत: मुख्य मंत्रियो को यह शिकायत नहीं हो सकती कि उनकी सिफ़ारिशों के विपरीत लाइसेंस जारी किये गये हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : Have they got any report identifying the backward areas and if so, the number of industries set up in those backward areas and what steps have been taken or are being taken to facilitate the setting up of industries in the public sector in these areas ?

श्री टी० ए० पाई : आपको विदित है कि भारत का 75 प्रतिशत क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता है और हमने कारखाने लगाने के लिये 600 लाइसेंस दिये हैं। यह जानने के लिये हम विशेष प्रयत्न कर रहे हैं कि वे उद्योग चालू क्यों नहीं किये गये ? वित्तीय संस्थाओं को ये हिदायतें दी गई हैं कि वे इन परियोजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था को प्राथमिकता दें। हमने दृढ़ निश्चय किया है कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उस कार्य को पूरा किया जाये। यह कार्य 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा, यह कहना कठिन है।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री जी ने कहा है कि उनकी नीति का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और आत्म निर्भर होना है। इसलिये वास्तविक उत्पादन क्षमता के उपयोग के बारे कुछ ढील दी जा सकती है। क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ औद्योगिक गृह जोरदार शब्दों में कह रहे हैं कि मन्दी आ गई है इसलिये वे उत्पादन में कमी कर रहे हैं। क्या सरकार इस बारे में सचेत रहेगी कि उत्पादन में कमी न होने पाये। क्या उत्पादन कम करने वाले एककों को सरकारी अधिकार में ले लिया जाएगा ?

श्री टी० ए० पाई : जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है सरकार सन्तुष्ट है कि उत्पादन बढ़ रहा है, कुछ उद्योगों में मन्दी आई है और उनकी बिक्री पहले की अपेक्षा कम हुई है। सरकार की नीति यह है कि रोजगार के जितने साधन पैदा हुये हैं वह कायम रहें और ऐसी नीतियों का पालन किया जाये जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें। प्रत्येक एकक को सरकारी अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा सोच-विचार के बाद ही होता है।

श्री डी० एन० तिवारी : मंत्री जी के अनुसार 600 लाइसेंस दिये गये हैं। उनमें से कितने उद्योग लगाये गये हैं और किन क्षेत्रों में लगाये गये हैं ?

श्री टी० ए० पाई : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये।

कलपक्कम में मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के प्रथम एकक का चालू किया जाना

+

*50. **श्री बो० एन० रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम में मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना के प्रथम एकक को चालू करने में बिलम्ब होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) अब आशा है कि मद्रास परमाणु ऊर्जा विद्युत परियोजना का पहला यूनिट वर्ष 1978 के आरम्भ में चालू हो जायेगा । इसके चालू होने में बिलम्ब का प्रमुख कारण भारत में तैयार किये जाने वाले उपकरणों की सप्लाई में देरी होना है । बिजलीघर स्थापित करने तथा उसे चालू करने से सम्बन्धित कार्यों के क्रम पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है तथा जहां कहीं भी आवश्यक पाया जाता है वहां देरी को दूर करने की कार्यवाही तत्काल की जाती है ।

श्री बी० एन०रेड्डी : क्या विदेशों से विशेषकर कनाडा से सहायता ली गई है, इस योजना के शीघ्र कार्यन्वयन के लिये यह सहायता अनिवार्य है ।

श्री कृष्णन चन्द्र पन्त : कुछ उपकरण कनाडा से आने वाले थे । इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है और समाचारपत्रों में भी रिपोर्ट छपीं हैं ।

कागज की उपलब्धता और इस का मूल्य

*53. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब कागज की उपलब्धता बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कागज उत्पादकों ने मूल्य कम न होने देने के लिए एक कार्टल बनाया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. पी० मौर्य) : (क) और (ख). इस समय किसी भी किस्म के कागज की सप्लाई की अभी अथवा अनुपलब्धता सम्बन्धी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ). कागज का मूल्य कम न होने देने के लिये कागज उत्पादकों द्वारा कार्टल बनाये जाने की जानकारी सरकार को नहीं है । वस्तुतः यह बात जानकारी में आई है कि बाजार में कड़ी मूल्यस्पर्धा चल रही है ।

Shri K. M. Madhukar : Sir, the Private Paper Mill owners have been sooting the Country by forming a Cartel. They are fleecing money from students who have to pay more money for their books and are unable to purchase exercise books in sufficient quantities. The Oriental Paper Mill and other mills have earned huge profits by creating artificial shortage. Infact they want to discourage the Government from decreasing the price of paper. Government should take over all the private firms to ensure proper supply of white paper and exercise books to studens.

Shri B. P. Maurya : So far as the white paper, which is used for printing is concerned, there is no shortage. We need about one lakh ninety thousand tonnes of this white paper and we are producing a bit more.

The Government do not propose to nationalise the paper industry because we need lot of money for setting up paper factories in public ,sector. We had provided about 27.896 tonnes of paper for exercise books last year and this year from April to June. We are making available 48,000 tonnes for the purpose.

Shri K. M. Madhukar : The hon. Minister has very cleverly side tracked the issue. The Govt. had taken over two paper mills in Bihar *viz*. Ashoka Paper Mills & Thakur Paper Mills but these two units have not started production so far. I afraid paper mill owners are putting pressure on the Government. If not, what steps Government have taken to start production and to remfe shortage of paper ?

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत लम्बा प्रश्न किया है। यह तो उत्पादन के बारे में है।

Shri K. M. Madhukar : Sir, the Minister seems to be ready to reply.

Shri B. P. Maurya : The hon. Member seems to be entertaining some misunderstanding. There is no question of any pressuere on the Government.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य ने दो कारखानों के बारे में पूछा है।

Shri B. P. Maurya The hon. Member can write to me in this regard or he may put a separate question.

INCORPORATION OF A RULE IN GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT RULES REGARDING GIVING AND TAKING OF DOWRY BY CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

***54. Shri M.C. Daga, Shri N.K. Sanghi :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Central Government hae incorporated a rule in the Government Servants Conduct Rules under which the Centrl Government employees will be punished for giving and taking dowry ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) :

(a) Yes. Sir.

(b) A copy of rule 13-A of the CCS (Conduct) Rules. 1964 is placed in the Table of House.

Copy of Rule 13-A of CCS (Conduct) Rules 1964, Reffered to in reply to Part (b) of Lok Sabha StarredQuestion No. 54 Dated 10-3-1976

'13A. No goverenment servant shall—

(i) give or take or abet the giving or taking of dowry ; or

(ii) demand. directly or indirectly. from the parents or guardian of a bride or bridegroom as the case may be. any dowry.

E. planation :—For the purposes of this rule. 'dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 to 1961)'.

Shri M.C. Daga : How are you going to implement these instructions ? How will you find out the instances of taking dowry or giving dowry ? Secondly, will the Kanya Dan'. or the presents given by relatives & friends form part of the dowry. Thirdly, are not the Conduct rules framed by the Governments of Haryana. Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan more stringent ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : महोदय, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 पहले से ही लागू है। अब उसकी हिदायतें केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अन्तर्गत लाई गई हैं अब तो केवल यही संशोधन किया गया है। दहेज सम्बन्धी हिदायतों का पालन करने के आदेश 1965 से ही लागू हैं। यदि दहेज लेने या देने संबंधी कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्यवाही की जाती है। लेकिन शिकायत अवश्य होनी चाहिए। अन्यथा कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : माननीय सदस्य ने जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया है, मुझे उनका पूर्ण आभास है। दहेज लेने और देने की घटना का पता चलना कठिन है। इसके लिए हमें आप जैसे लोगों का सहयोग चाहिए जिन्हें पता हो कि उनके पड़ौस में क्या हो रहा है। जन समर्थन के बिना यह कार्य सफल नहीं हो सकता है। सोभाग्य से महिलाओं के सभी संगठन और अन्य युवा संगठन इस कार्य में रुचि ले रहे हैं। हमारा विचार है कि दहेज के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना चाहिए।

Shri M.C. Daga : Millions of copies of Puran and Gita have been sold but no body acts upon them. So it is our duty to help in the implementations of this law. But I want to ask how many persons have been punished since the enactment of Dowry Act, 1961.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब चूंकि इस बात को आचरण नियमों के अन्तर्गत ले आया गया है इस लिए अब उम्मीद है कि शिकायतें प्राप्त होंगी।

श्री एन० के० साँघी : इन नियमों को आचरण संहिता में रखना बहुत बढ़िया कार्य है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की शब्दावली के आधार पर ही यह संशोधन किया गया है। उसमें काफी विस्तृत व्याख्या की गई है जिसके आधार पर शादी के अवसर पर दी गई भेंट को देहज नहीं माना जायेगा।

क्या सरकार पुन : विचार करेगी और इसकी पुन : परिभाषा निर्धारित करेगी अथवा इस सम्बन्ध में कुछ करेगी।

श्री एफ० एच० मोहसिन : दहेज की यह परिभाषा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 से ली गई है। मुस्लिम वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत स्वीकार की गई मेहर की राशि इसके अन्तर्गत नहीं आती। इस समय मुस्लिम वैयक्तिक कानून में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का हमारा कोई विचार नहीं हैं।

पाकिस्तान में गैर-सैनिकों का सैन्यीकरण

*55. **श्री रामसहाय पाण्डे :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान में गैर-सैनिकों के सैन्यीकरण के कथित वृहत कार्यक्रम की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली पाकिस्तान में गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी जाती है ताकि हमारी रक्षा योजना बनाते समय उन्हें ध्यान में रखा जा सके ।

श्री राम सहाय पाण्डे: समय समय पर प्रकाशित इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कि श्री भट्टो पाकिस्तान में सैन्यीकरण के बृहत कार्यक्रम बनाने हेतु विभिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं और जैसा कि हाल में हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि चीन के रक्षा उपमंत्री तैयारियो का निरीक्षण करने के लिए पाकिस्तान में पधारे हैं और चूंकि अमरीका ने पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और फ्रांस भी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है और श्री भुट्टो पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हथियार मांगने के लिए स्वयं कई देशों में गद्द हैं--पाकिस्तान द्वारा बढ़ाई गई सैनिक शक्ति स्वभावत : भारत के विरुद्ध प्रयोग की जायेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि देश की प्रभसत्ता की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का हमारा विचार है ?

श्री बंसी लाल : जैसाकि मैंने पहले बताया है कि अपने रक्षा प्रयोजनों के लिए योजना बनाते समय हम इन सब गतिविधियों पर सर्तक निगरानी रख रहे हैं ।

श्री रामसहाय पांडे : प्रतिबंध हटाये जाने पर हमने जो प्रतिरोध किया है उसपर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बंसीलाल : इस अनुपूरक प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कच्चे माल की सप्लाई

***58. श्री सरजू पाण्डे** : : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्यावश्यक कच्चे माल की सप्लाई में सुधार करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में इसे कहां तक सहायता मिलेगी ?

उद्योग और नागरिकर पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) से (ग) : सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल का संभरण सुप्रवाही बनाने हेतु समय समय पर कदम उठाती रही है । देश में मिलने वाले अधिकांश कच्चे माल के वितरण पर नियंत्रण नहीं लगाया गया है, अत : पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए उद्योगों को अधिमान देने का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है । लघु उद्योगों को आवंटित की जो जाने वाली इस प्रकार की आयातित कच्ची सामग्री के मामलों में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित एककों के साथ अपेक्षाकृत उदारता बरती जाती है । इसका उल्लेख चालू आयात व्यापार नियंत्रण नीति के पैरा 76 में किया गया है ।

Shri Sarjoo Pandey : The Minister has just now stated that generally there is no shortage of raw material and the industries set up in backward areas are given liberal treatment in the distribution of raw material. I would like to know whether some provision has been made to give preferential treatment, specially to industries in Eastern Uttar Pradesh in the matter of distribution of raw material ? I would also like to know whether any complaint has been received from eastern U.P. that raw material is not being made available to industries there ?]

श्री टी० ए० पाई : क्या यह लघु औद्योगिक यूनिटों के लिए है ?

श्री सरजू पांडे : जी हां ।

श्री टी० ए० पाई : जब तक लघु उद्योगों में नये यूनिटों का सम्बन्ध है, रसायन सम्बन्धी उद्योग को सामान के मूल्य का 100 प्रतिशत के बराबर, बिजली उपकरणों से सम्बन्धित उद्योग को 70 प्रतिशत के बराबर और अन्य उद्योगों को 40 प्रतिशत के बराबर कच्चे माल का नियतन किया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों में स्थित नए यूनिट को, यदि वह रसायन से सम्बन्धित है तो उसे उपकरणों के मूल्य के 100% और किसी अन्य परम्परागत उद्योग को 75 प्रतिशत के आधार पर कच्चे माल का नियतन किया जाता है। जबकि अन्य क्षेत्रों में स्थित छोटे यूनिटों के मामले में प्रवर सूची में शामिल उद्योगों के लिए 6 महीने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए के मल्य के कच्चे माल का नियतन किया जाता हैं और गैर-प्रवर सूची में शामिल यूनिटों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया है। अन्य यूनिटों के मामल में प्रवर उद्योगों के लिए यह राशि प्रत्येक छमाही के लिए 1 लाख रुपए है और अन्य उद्योगों के मामले में यह राशि प्रत्येक छमाही के लिए 1.5 लाख रुपए है ।

यदि माननीय सदस्य ऐसा कोई विशेष मामला मेरे ध्यान में लाते हैं जहां किसी यूनिट को कच्चे माल की कमी के कारण हानि हो रही है, मैं उस पर अवश्य ही ध्यान दूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत तथा अमरीका द्वारा संयुक्त वैज्ञानिक कार्य

44. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अमरीका का विचार बहुत से क्षेत्रों में संयुक्त रूप से वैज्ञानिक कार्य आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) विचाराधीन क्षेत्रों के अन्तर्गत जल तथा मृदा संरक्षण, ग्राम्य उपयोग के लिए सौर ऊर्जा, ईंधन तथा कच्चे माल के लिए जल्दी बढ़ने वाले पेड़, प्रकाश-संश्लेषी कार्यक्षमता, खाद्यान्नों की हानियों को कम करने के लिए कृषोत्तर प्रौद्योगिकी तथा सौर-विद्युत शामिल हैं।

पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यक्रमों के अन्तर्गत, कोयले की सफ़ाई तथा धुलाई, कोयले के जलने से गैस का विसर्जन, ठोस अपशिष्ट व्यवस्था तथा जल शोधन का समावेश किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संयुक्त कार्यक्रमों में अन्यों के साथ-साथ पोषण, उपायचयी तथा विषोषक, रोग, स्वास्थ्य सेवाओं का सोपान्न तथा व्यवसायिक सुरक्षा शामिल हैं। इलैक्ट्रानिक घटकों की विश्वसनीयता के मूल्यांकन तथा इलैक्ट्रानिक सामग्री लक्षण वर्णन के प्रचालन कार्यक्रमों को भी विकसित किया जाएगा।

भारत इटली संयुक्त उपक्रम परियोजनायें

*45. **श्री मती रोजा विद्याधर देश पाँडे :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इटली के संयुक्त उपक्रम की बहुत सी परियोजनायें भारत में स्थापित होंगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) ये परियोजनायें किस सीमा तक भारत में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित होंगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) भारत इटली संयुक्त आयोग की हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता में अन्य बातों के साथ साथ इटली के सहयोग से भारत में निम्नलिखित वस्तुयें बनाने की संभावनाओं का पता लगाया गया,

(क) लौह अयस्क पिलेटस,

(ख) चमड़ा/चमड़े का माल

(ग) अभ्रक का कागज

(घ) कम्पोस्ट निर्माण करने वाले संयंत्रों के लिए ढलाई और गढ़ाई।

(ङ) एल्यूमिनियम (ट्रीटमेंट प्रक्रिया)

(च) जूट मिल मशीनें

इन सभी प्रस्तावों में भारत में उपलब्ध कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी।

हाल ही में सरकार ने भारतीय और इटली की पार्टियों के बीच निम्नलिखित भिन्न वस्तुएं बनाने हेतु जैसे, कपड़ा मशीनें, मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित रेशे बनाने की मशीनें, मोटर गाड़ियों का सहायक सामान, डीजल इंजिन, सिले सिलाए कपड़े, बिजली के उपकरण, आक्सीजन टेंटस्, टायर मोउल्डस, गैस सिलेन्डरों, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनें, मोटर गाड़ियों के टायर/टयूब के वाल्व, दवाइयां, चमड़े के जूते, एब्रेसिव ग्राईंडिंग व्हील्स, बटरफलाई वाल्व्ज आदि के लिए सहयोग व्यवस्था के लिए सहमति दी जा चुकी है।

नैमित्तिक (कंजूअल) कलाकारों के बारे में नये नियम

*47. **श्री शशि भूषण** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैमित्तिक कलाकरों के बारे में कुछ नये नियम बनाये गये हैं ;

(ख) नैमित्तिक कलाकारों के लिये स्थानान्तरण नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) 10-12 वर्षों से भी अधिक समय से काम कर रहे तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा में नियमित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) इन कर्मचारियों को कब स्थाई रूप से खपा लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) नैमित्तिक कलाकार आकाशवाणी के केन्द्रों/कार्यालयों के दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों तथा तदर्थ और अल्प अवधि के लिये कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के के लिये लगाये जाते है। इसलिये उनके तैनाती स्थान से उनका स्थानान्तरण करने, उन्हें नियमित करने या उनको स्थायी रूप से खपाने का सामान्य रूप से कोई प्रश्न नहीं उठता आकाशवाणी में ऐसा कोई नैमित्तिक कलाकार नहीं है जो लगातार 10 वर्षों या इससे अधिक समय से काम कर रहा हो।

एक प्रसिद्ध मलयाली गीत को आकाशवाणी से प्रसारित न करने का निर्णय

*48. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आकाशवाणी के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि सुविख्यात शास्त्रीय मलयाली लेखक, स्वर्गीय अरायेम्मन थांपी, द्वारा रचित तथा आधुनिक चलचित्र "एँनिप्पडिक्ल" के लिये संगीतबद्ध किये गये एक प्रसिद्ध मलयाली गीत जो "प्रनांथन एनिबक्कू थन्ना. . ." शब्दों में आरम्भ होता है, को आकाशवाणी से प्रसारित नहीं किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या मलयाली समाचारपत्रों और साहित्यक क्षेत्र में इस निर्णय पर रोष प्रकट किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी हां।

(ख) जब यह गीत पहली बार प्रसारित किया गया था तब जनता ने यह आपत्ति उठाई थी कि इस गीत का तत्व कामोद्दीपक है। तब इस गीत को स्थानीय स्वर-परीक्षण समिति के पास भेजा गया था। उस समिति ने यह राय दी कि यह गीत प्रसारण योग्य नहीं है।

(ग) इस कार्रवाई की एक वर्ग के फ़िल्मी पत्रों द्वारा आलोचना की गई। साहित्यिक क्षेत्रों में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) मामला विचाराधीन है।

केरल में इड्डकी पन बिजली परियोजना का चालू किया जाना

*51. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने इस वर्ष फ़रवरी में केरल में इड्डकी पन बिजली परियोजना को चालू किया था ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के आगामी चरण को शीघ्रता से पूरा करने हेतु 1976-77 की वार्षिक योजना में इसके लिये पर्याप्त धन नियत किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) इड्डकी जल-विद्युत परियोजना के पहले उत्पादन यूनिट को चालू करके प्रधान मंत्री ने यह परियोजना 12 फ़रवरी, 1976 को राष्ट्र को समर्पित कर दी है। अब परियोजना के तीसरे चरण पर कार्य किया जाना है और 1976-77 में इसके लिये कितनी निधि की व्यवस्था की जाये, इस बात पर विचार किया जा रहा है।

पंचेश्वर पन बिजली परियोजना

*52 **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचेश्वर पन बिजली परियोजना से भारत और नेपाल दोनों को लाभ होगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां। पंचेश्वर जल-विद्युत परियोजना में यह व्यवस्था है कि इससे पहले चरण में लगभग 5200 मिलियन यूनिट और दूसरे चरण में लगभग 4,800 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष निश्चित रूप से होगा। इस के अतिरिक्त नियंत्रित जल प्रवाह से भी लाभ होगा।

कागज उत्पादकों को हुआ लाभ

*56. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंबई अनुसंधान केन्द्र द्वारा किये गये अध्ययन की ओर दिलाया गया है, जिस में कागज की बनावटी कमी और बाजार में ऊंचे मूल्यों के कारण पिछले कुछ वर्षों में कागज उत्पादकों द्वारा कमाये गये अत्यधिक लाभों का पर्दाफाश किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) कुछ कागज मिलों ने बढ़ती हुई कीमतों और कागज की कमी के कारण पिछले वर्षों में काफ़ी लाभ कमाया था । उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण लगाकर इस स्थिति में सुधार कर दिया गया है जिस के परिणाम स्वरुप कागज तत्काल उपलब्ध हो गया है । इस समय कीमतों में भारी होड़ चल रही है ।

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN BIHAR

*57. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of villages in Bihar which were electrified in 1975 under the Rural Electrification Scheme ; and

(b) the number of villages proposed to be electrified in 1976 ?

The Minister of Energy (Shri K.C. Pant) : (a) 372 villages in Bihar have been electrified during the year 1975-76 upto 31-1-1976.

(b) The proposals for village electrification for 1976-77 have not yet been finalised.

वर्ष 1974–75 में बिजली उत्पादन के लक्ष्य और उनकी प्राप्ति

*59. श्री सरदीश राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि वर्ष 1974–75 में पन बिजली और तापीय बिजली स्रोतों से बिजली उत्पादन के अलग-अलग लक्ष्य क्या थे और कहां तक पूरे हुए ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : हालांकि वर्ष 1974–75 के दौरान बिजली के उत्पादन के लिये कोई सुस्पष्ट लक्ष्य नहीं रखा गया था, फ़िर भी इस वर्ष 43,000 मिलयन यूनिट ताप विद्युत ऊर्जा का तथा 27,500 मिलियन यूनिट जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ ।

तारापुर परमाणु बिजली घर से रेडियो धर्मिता के संदूषण के प्रभाव

*60. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजली घर से रेडियो धर्मी संदूषण निकटवर्ती तट पर फैल गया है जिस के परिणामस्वरूप सब्जियों, जल तथा मछली के द्वारा स्थानीय लोगों पर संदूषण का प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या रेडियो धर्मी कणों के गिरने एवं उस के प्रभाव की जांच के लिये कुछ उपाय गिये गये है ; और

(ग) यदि हां तो उस के क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जैसा कि सभी बिजली घरो में होता है तारापुर परमाणु बिजली घर के संचालन के समय उस में से रेडियो सक्रियता की मामूली सी मात्रा निकलती है । तथापि इस रेडियो सक्रियता का औसत सांद्रता का स्तर, पीने के काम में लाये जाने वाले पानी के लिये निर्धारित स्तर से कम है । समुद्र की लहरों के साथ मिलने पर रेडियोसक्रियता की सांद्रता और भी हल्की पड़ जाती है । परीक्षणों से पता चला है कि बिजली घर से दूर समुद्रो जल में अथवा वायुमंडल में विद्यमान रेडियोसक्रियता के स्तर में और तारापुर में विद्यमान पृष्ठभूमीय रेडियोसक्रियता के स्तर में या संसार में अन्यत्र कहीं भी विद्यमान स्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं है । सर्वेक्षण के परिणामों से यह भी पता चला कि जिस आबादी पर बिजलीघर से निकली रेडियोसक्रियता का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है उस आबादी द्वारा रेडियोसक्रियता के सभी सम्भावित स्रोतों नामक सब्जियों, जल, मछलियों आदि के माध्यम से ग्रहण की गई रेडियोसक्रियता की मात्रा बहुत कम है तथा विकिरण सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित बीमा से सभी तरह से नीचे है ।

(ख) तथा (ग) रेडियो सक्रियता की मात्रा को मापने के लिये परियोजना के क्षेत्र में स्थापित की गई एक वातावरण सर्वेक्षण प्रयोगशाला, यह सुनिश्चित करने के लिये कि निकट के ऐसे गांवो में, जो समुद्र के किनारों पर या उन से दूर बसे हुए है, रहने वाले लोगों द्वारा ग्रहण की जाने वालो रेडियोसक्रियता का स्तर अडानिप्रद स्तर से नीचे ही रहना है, नियमित रूप से तथा व्यापक स्तर सर्वेक्षण करती रहती है

ट्रैक्टर के मूल्य में वृद्धि

223. **श्री समर मुखर्जी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इस सरकार द्वारा ट्रेक्टरों पर से नियंत्रण हटाये जाने के तुरन्त बाद 'एस्कार्टस' ने अपने ट्रैक्टरों के मूल्य में 4,000 रुपये से अधिक वृद्धि कर दी जिसका कृषिकों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उन की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) ट्रेक्टरों पर से मूल्य नियंत्रण हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क). जी, हां। किन्तु इस पर भी ये ट्रैक्टर इसी क्षमता और अश्वशक्ति वाले अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में लगभग 2500 रुपये सस्ते हैं।

(ख) और (ग). सरकार, सम्बद्ध उत्पादों के मूल्य ढ़ांचों के साथ साथ मांग और उपलब्धता के परस्पर संबंध जैसे संदर्भ में भी सम्पूर्ण उत्पाद की मूल्य गति पर निगाह रखती है। निर्माताओं में कार्यकारी मूल्य सापेक्षता को कुछ अंश तक समान रखने के उद्देश्य से कानूनी मूल्य नियंत्रण को मूल्य निगरानी के रूप में लागू किया गया था और सामाजिक रूप से जरूरी स्तर में मूल्यों को बनाये रखने की आवश्यकता है। मूल्य निगरानी अब ट्रैक्टरों के प्रिय माडलों तक ही सीमित है जोअपने अश्वशक्ति के क्षेत्र में मूल्य प्रमुख के रूप में कार्य करेगा और बाजार स्थिति तथा उत्पादन रुख को ध्यान में रखते हुए अन्य निर्माताओं को इन के अलावा अपने ट्रैक्टरों के मुल्य अधिक रखना संभव नहीं हो सकेगा, जिस पर निगरानी बराबर बनी रहेगी। इस के परिणामस्वरूप ट्रैक्टरों के चुने हुए माडलों पर वास्तविक रूप से निगरानी रखने की प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य रुख पर प्रभावी रूप से निगरानी रखी जायेगी।

पाकिस्तान में सैनिक गतिविधियाँ

224. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान की सैनिक गतिविधियों में तेजी आई है और वहां बड़े जोरों के साथ तैयारियां की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान की सैनिक गतिविधियों में इस अकस्मात तेजी की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) क्या पाकिस्तान की ओर से पहले के सामान ही अकारण आक्रमण की संभावनाओं को ध्यान में रखकर पर्याप्त सावधानिक उपाय किये गये है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग). हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली पाकिस्तान में गतिविधियों पर सरकार बराबर नजर रखती है और हमारे रक्षा आयोजन में ऐसी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है।

औद्योगिक लाइसेंसों का उपयोग

225. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ; और

(ख) उन में से ऐसे लाइससों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनका उपयोग किया गया है और कारखाने स्थापित किये गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क). 1973,1974 और 1975 में जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10399/76]

(ख) परियोजनाओं के कार्यन्वयन/चालू करने में सामान्यतया औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तिथि से तीन से चार वर्ष समय लगता है। अतः 1973 से 1975 की अवधि में जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है।

घुड़दौड़ और लाटरियों पर रोक

*226. श्री राज सिंह देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में घुड़दौड और लाटरियों पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : जी नहीं श्रीमान।

आचार्य सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प

227. श्री समर गुह :
श्री जनेश्वर मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले अपने आश्रम में आचार्य विनोबा भावे द्वारा आयोजित आचार्य सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संकल्प की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क). जनवरी, 1976 में पौनार में आचार्य सम्मेलन में पारित कथित मतैक्य की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है।

(ख) मैतक्य में आपात स्थिति की उद्घोषणा के परिणामस्वरूप अनेक लाभों की सराहना की गई थी। यह भी सहमति हुई कि तेजी से सामाजिक और आर्थिक उन्नति, विशेष कर हमारे समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिये संविधान मे संशोधन करने की आवश्यकता है। इस में हमारी जनता के सभी वर्गों से स्वयं को अनुशासित करने का विषय में हिंसा का त्याग करने तथा विघटनकारी प्रवृतियों का मुकाबला करने हेतु शपथ लेने की अपील की गई थी। इससे स्थिति को सामान्य बनाने तथा एकता और सहयोग का वातावरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिये कदम उठाने की मांग की गई थी।

(ग) सरकार का यह मत है कि आपात स्थिति के बाद जो लाभ हुए है उन्हें और संगठित किया जाये। सम्मेलन में जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा सुधरती हुई स्थिति को ध्यान में रख कर विचार किया जायगा।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के कारखानों में प्रशिक्षण

२२९. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद उन के मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के कारखानों में संयंत्र वार, प्रशिक्षु भर्ती किये गये ; और

(ख) उन में से कितने प्रशिक्षु अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10400/76]

Availability of Cement Quota to States

229. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) wherefrom is the quota of cement made available to each State and manner in which they are distributed among the people ; and

(b) whether there is any variation in the price of cement in different States and if so, by what percentage.

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (a). On the basis of the anticipated production of cemet in the country, quarterly allocations are made to the Central Sector and the States Sector. Out of the quantity earmarked for the States Sector, allotment of quota to each State is made with reference to the pattern of consumption. As far as possible the quantities for each State are allocated from the nearest cement factories. The State authorities, in turn, sub-allocate the quota among various users.

(b). Yes Sir. The variation in the price of cement in different States ranges upto 50%. Price of cement is at present controlled in terms of the Cement Control Order, 1967. While a uniform f. o. r. destination price is fixed by the Central Government, the whole-sale and retail price at which cement may be sold within a State are fixed by the State Government, under clause 10 of that Order. This clause provides that in fixing the maximum price, the State Government shall have due regard to handling and transport charges ; godown charges, stockists' margin of profit; local taxes (including actrio) if any, and additional road transport charges where allowed. The incidental charges should not, however, exceed Rs. 20 per tonne.

सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि

230. **श्री श्रीमती मुकुल बनर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ में दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे कितने छात्र दाखिल किये गये जिनकी फीस, रहने और खाने पीने पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिये छात्रवृत्ति दी गई थी ;

(ख) क्या उनको दी गई छात्रवृत्ति स्कूल में उनके अध्ययन की पूरी अवधि के लिये है ;

(ग) क्या स्कूल ने शिक्षा वर्ष 1975–76 से लड़कों की फीस बढ़ा दी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या छात्रवृत्ति की राशि में भी वृद्धि की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क). सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे छात्रों की संख्या 11 थी ।

(ख). छात्रवृत्ति पूरे सन् के लिये है बशर्ते कि छात्र यथा समय में अगली कक्षा में उत्तीर्ण हो जाये ।

(ग). जी हां, श्रीमान् ।

(घ). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि के प्रश्न पर शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है ।

Draft Revised Sub-Plan for Tribes By Madhya Pradesh

231. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh has forwarded to the Centre a draft revised sub-plan for the tribes ;

(b) whether this sub-plan has been approved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) & (b). The Government of Madhya Pradesh have submitted a draft sub-plan for Tribal Areas of the State to the Centre. It has been examined and was discussed with state authorities last on the 14th December, 1975. The State Government have been requested to recast the sub-plan in the light of discussions held in the Planning Commisin.

A.I.R. Coverage of Sessions of Political Parties

232. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State :

(a) the time allotted to the Congress Party for A.I.R. broadcast of the coverage of A.I.C.C. Session held at Kamagata Maru Nagar in December, 1975 and the total time alloted for the coverage of the entire Session ;

(b) whether his Ministry has laid down any policy in respect of the time to be given to various political parties and individuals to propagate the policies and principles of their parties during the respective Sessions of their parties, after the proclamation of Emergency; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dhairm Bir Sinha) : (a). No time has such is allotted by A.I.R. to any political party. Depending upon the significance of the occasion and its news value apropriate time is given to such happenings. The total coverage of the entire Session was for 13 hours and 42 minutes.

(b) and (c). Do not ar ise.

"समाचार" द्वारा पी० टी० आई० और यू०एन० आई० के कर्मचारियों को खपाया जाना तथा उनकी सेवा शर्तें

233. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पी० टी० आई० और यू० एन० आई० के सभी कर्मचारी नवगठित "समाचार" समाचार ऐजेंसी में खपा लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या "समाचार" में वेतनमान, ग्रेड और सेवा सुरक्षा के लिये नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क). जी, अभी नहीं । (ख). प्रश्न नहीं उठता ।

आपात स्थिति समाप्त करना

234. **श्री विजय मोदक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधान मंत्री तथा उनके सहयोगियों द्वरा दिये गये इस आशय के वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुये कि समूचे देश में स्थिति सामान्य है, सरकार आपात स्थिति समाप्त करने और स्थगित मूल अधिकारों को बहाल करने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ एच० मोहसिन) : बाह्य आक्रमण से तथा आन्तरिक गड़बड़ से भी भारत की सुरक्षा का खतरा समाप्त नहीं हुआ है इसलिये अभी आपातस्थिति समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

महाराष्ट्र में बिजली परियोजना के लिए प्रस्ताव

235. **श्री वसन्त साठे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में फ्रांस, बेलजियम और इटली से बिजली परियोजना के लिये सहायता प्राप्त करने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये विचाराधीन है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने हाल ही में यह प्रस्ताव किया है कि उन्हें विदेशी सहायता प्राप्त कर दी जाये, अथवा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स से विदेशी ऐजेंसियां जैसी शर्तों पर आवश्यक उपकरण प्राप्त कराये जायें ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) बिजली परियोजनाओं की क्रियान्विति में वित्तीय संकट को दूर करने के लिये राज्य सरकार को सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क). जी, नहीं ।

(ख). राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ). विद्युत् परियोजना के लिये धन की व्यवस्था, राज्य की योजनाओं के लिये की गई धन-व्यवस्था में से ही की जानी है ।

संकट-ग्रस्त औद्योगिक एककों के लिए राहत उपाय

236. **श्री रानेन सेन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने संकटोन्मुख औद्योगिक एककों के लिये अनेक राहत उपाय करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने के ऐसे कितने संकटग्रस्त एककों को राहत प्रदान की गई तथा कितनी राशि की राहत दी गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम में उन औद्योगिक उपक्रमों के मामलों में जिनका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है कुछ प्रकार के संचित दायित्वों पर रोक लगाकर कुछ राहत देने की पहले से ही व्यवस्था विद्यमान है। उन एककों के सम्बन्ध में जो संकट के कगार पर हैं किन्तु जिनका प्रबन्ध अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं किया गया है इस प्रकार की कोई व्यवस्था अधिनियम में उपलब्ध नहीं है । किन्तु औद्योगिक एककों में संकट की अवस्था के लक्षणों का प्रारम्भ में ही पता लगाने तथा संकट को रोकने के लिये समय से अभ्युपाय करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जो सामान्यतया औद्योगिक एककों को वित्त उपलब्ध करते हैं । हाल ही में विचार विमर्श किया गया था। ऐसे एककों की समस्याओं पर सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक होगा ।

(ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में 20–सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति

237. **श्री एप० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में 20–सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वित की प्रगति का समग्र मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है। कार्यक्रम के विभिन्न विषयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10401/76]।

राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना के श्रमिकों के निलम्बन के बारे में अभ्यावेदन

238. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना के नौ श्रमिकों के निलम्बन के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; **और**

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों को गम्भीर अनुशासनहीनतापूर्ण कार्यों के कारण निलम्बित किया गया था। 9 कर्मचारियों में से 4 कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हो गये हैं। दो कर्मचारियों को, जिन्होंने अपने आरोपों को स्वीकार कर लिया है, उपयुक्त दंड देने के पश्चात् फिर से नौकरी में ले लिया गया है। बाकी तीन कर्मचारियों के मामलों में, उन कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने की अनुमति देने की दरखवास्त औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त, कोटा को दे दी गई है।

अयोध्या में रेडियो स्टेशन

239. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवधी बोली तथा संस्कृति को जीवन्त रखने के उद्देश्य से अयोध्या में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। यह क्षेत्र आकाशवाणी, गोरखपुर और आकाशवाणी, लखनऊ के प्राथमिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Directives to States for Implementation of 20-Point Programme

240. Shri Ramavtar Shastri :
Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have laid special emphasis on public co-operation for the successful implementation of 20-point economic programme ;

(b) whether any directives in this regard have been given to State Governments;

(c) if so, the main features thereof; and

(d) the steps taken by various States to execute them ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) : (a) to (d). The Prime Minister in her letter to the Chief Ministers dated July 4, 1975, stressed the need for association of local people in the implementation of 20-point Economic Programme. Peoples' association has also been emphasized in various meetings held with the State Governments and again at the Chief Ministers' Conference held in New Delhi on 5th and 6th March, 1976.

विदेशी फर्मों द्वारा विविधिकरण कार्य

241. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में विदेशी फर्मों द्वारा किये जा रहे कथित विविधीकरण कार्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा विनियमन, 1973 की धारा 29 के अधीन उक्त अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी कम्पनियों को औद्योगिक और अन्य गतिविधियों के विविधीकरण अथवा विस्तार के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ।

इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों पर फेरा (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) की धारा 29 को लागू करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों जिन्हें 20-12-1973 को सभा पटलों पर रखा जा चुका है, के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए राज्यों को सहायता

242. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता दी जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). राज्यों की योजनाओं में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन को इस वर्ष

और अगले वर्ष उच्च प्राथमिकता दी गई है। सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त कतिपय चुनींदा सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं की प्रगति में तीव्रता लाने के लिये इस वर्ष राज्यों को 85.40 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता आवंटित की गई है। अगले वर्ष के लिये राज्यों की वार्षिक योजनाओं में कुल 3551 करोड़ रुपये के परिव्यय में से २०-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली स्कीमों के लिये 2143 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस प्रकार 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्था और उसका कार्यान्वयन राज्य योजनाओं के एक अंग के रूप में किया जा रहा है।

Setting up of Industries in Private Sector in U.P.

243. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the number of industries set up in the Ballia and Ghazipur (Uttar Pradesh) in private sector, under the backward areas development scheme ;

(b) if no industry has been set up, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to set up industris there in the public sector ?

The Minister of Industry and Civil Suppiies (Shri T.A. Pai) : (a) to (c). As per information received from Govt. of Uttar Pradesh 158 and 249 Small Scale Industrial Units have been set up in Private Sector in Ballia and Ghazipur respectively during the fourth plan period upto the year 1974-75. One Co-operative Sugar Mill has been set up in Ballia in large Sector. It is also proposed to set up one Sugar Mill in Nandganj Ghazipur in the State Public Sector by U.P. State Sugar Corporation. Lucknow and one Mild Steel Billet Unit by U.P. State Industrial Development Corportion, Kanpur in joint Sector at Ballia.

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली जा रही लिपिक ग्रेड की परीक्षा

244. श्री बी० माधवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध स्कूल संस्थान द्वारा लिपिक ग्रेड परीक्षा, 1973 में उत्तीर्ण हुये ऐसे उम्मीदवारों को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है जिनके नामों की सिफारिश संस्थान ने की थी ;

(ख) क्या संस्थान द्वारा 1974 में ली गई उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुये सभी उम्मीदवारों को सेवा में ले लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1973-परीक्षा के उतीर्ण उम्मीदवारों को नौकरी न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीयकार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग). लिपिक ग्रेडों परीक्षा, 1973 के परिणामों के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा और इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाली अन्य सेवाओं की रिक्तियों में नियुक्ति के लिये सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा 2400 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। उनमें से 1674 उम्मादवारों को उपलब्ध रिक्तियों पर योग्यता क्रम के अनुसार नामांकन किया गया था। शेष 726 उम्मीदवारों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा)

विनियम, 1965 के विनियम 8 के उप-विनियम 4(क) की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की प्रत्याशित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये योग्यता के क्रम में आरक्षित सूची में रखा गया था। इस विनियम के परन्तुक की शर्तों के अनुसार अगली परीक्षा अर्थात् 1974 की परीक्षा के परिणामों के घोषित होने से यह सूची निष्प्रभावी हो जानी थी। 1974 की परीक्षा के परिणामों के घोषित हो जाने तक 726 उम्मीदवारों में से 425 उम्मीदवारों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की रिक्तियो में नामित किया जा चुका था और शेष 301 उम्मीदवारों को रोजगार नहीं दिया जा सका था। लिपिक ग्रेड परीक्षा, 1974 के परिणामों के आधार पर जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये सिफारिश की गई थी उन सभी उम्मीदवारों को सेवा में ले लिया गया है।

औद्योगिक विकास की दर

245. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 की औद्योगिक विकास दर अपेक्षा से बहुत कम होगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) अप्रैल से दिसम्बर, 1975 की अवधि की औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ो के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक है। जब कि 1974–75 की इसी अवधि की विकास दर 2.5 प्रतिशत रही है। तिमाही आंकड़ों से ज्ञात होता है कि चालू वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही की विकास दर का औसत 5.5 प्रतिशत से अधिक है जब कि प्रथम तिमाही में यह दर 0.7 प्रतिशत रही थी। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति आशानुकूल है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा आयोजित विचारगोष्ठी

246. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा आयोजित दस-दिवसीय क्षेत्रीय विचार गोष्ठी जनवरी, 1976 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) क्या इस विचार गोष्ठी में उस घोषणा और योजना के संदर्भ में चर्चा की गई थी जो गत वर्ष के आरम्भ में लीमा में हुए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और विचार-गोष्ठी में भारत का क्या योगदान रहा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इकाप के सहयोग से यूनिडों ने यूनिडो के कार्यों के सम्बन्ध में 10 दिवसीय 19 से 30 जनवरी, 76 के बीच पांचवीं क्षेत्रीय संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की थी जिसमें लीमा सम्मेलन में औद्योगिक विकास और सहयोग के बारे में की गई घोषणा और कार्य योजना पर विचार विमर्श हुआ था ।

2. यूनिडो के कार्यों सम्बन्धी यह क्षेत्रीय संगोष्ठी जो मुख्य रूप से एशिया के सबसे कम विकसित देशों एवं सुदूर पूर्व देशों के लिये इस श्रृंखला में पांचवीं थी जिनकी वित्त व्यवस्था यूनिडो को स्विस सरकार द्वारा स्वैच्छिक चन्दे से की जाती है ।

3. संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य ये थे : (i) सबसे कम विकसित देशों में जहां बाह्य द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सहायता महत्वपूर्ण योग दे सकती है । उन क्षेत्रों का पता लगाना और/अथवा औद्योगिक विकास सम्बन्धी कार्यकलापों के विशद एवं विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना ; (ii) विकासमान देशों के पारस्परिक लाभ के लिये सहयोग के कार्यकलाप का संवर्धन करना ।

4. सबसे कम विकसित देशों में जिन्होंने संगोष्ठी में भाग लिया, ये थे अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, फिजी, नेपाल, पापुआ, न्यूगिनी और श्रीलंका । जिन विकासमान देशों को संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया था वे थे : भारत, मलयेशिया, इन्डोनेशिया, फिलिपीन', कोरिया गणराज्य और थाइलैण्ड ।

5. संगोष्ठी का उद्घाटन उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री ने किया था । संगोष्ठी के दौरान सहयोग के लिये 50 औद्योगिक परियोजनाओं का पता लगाया गया था ।

परियोजना में औद्योगिक विकास की विशद रूपरेखा शामिल है । 50 परियोजनाओं में से 30 सबसे कम विकसित और चन्दा देने वाले विकासशील देशों के बीच सहयोग के बारे में थीं और शेष 20 प्रमुखत: अग्रगामी अथवा प्रदर्शनात्मक संयंत्रों के रूप में यूनिडो द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिये थीं। भारत ने अफगानिस्तान, बंगला देश, फिजी, नेपाल, पापुआ, न्यूगिनी और श्री लंका से प्रशिक्षण की सुविधायें देने, सर्वेक्षण रिपोर्ट और सम्भाव्यता अध्ययन तैयार करने हेतु विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करने भारत की प्रयोगशालाओं में सामग्री की जांच करने आदि के लिये 19 परियोजनाओं के बारे में सहयोग के लिये यूनिडो के तत्वावधान में विकासशील देशों के बीच सहयोग करने के लिये सहमति दी थी । विकासशील देशों के बीच पारस्परिक सहयोग के बारे में हमारा रवैया और आम दृष्टिकोण के विषय में भाग लेने वाले देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने सर्वसम्मति से सराहना की । भारत ने सहायता के जिन ठोस प्रस्तावों का समर्थन किया उसकी सहायता पाने वाले देशों में संगोष्ठी में अत्यधिक प्रशंसा की । भारत ने "कोआपरेशन अमंग डेवलपिंग कन्ट्रीज—ए प्रोफाइल आफ इंडियाज आफ" नामक एक प्रलेख भी प्रचालित किया था । इस प्रलेख में उन विभिन्न सुविधाओं, जैसे तकनीकी और अन्य सेवाओं की विस्तार से जानकारी मौजूद है जो

भारत दूसरे विकासशील देशों को प्रदान कर सकता है। इस प्रस्ताव का भी आदर किया गया और उसकी सराहना की गई थी। इसके अलावा भारत ने नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित करने हेतु यूनिडो को सभी सुविधायें प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया था।

तमिलनाडु में योजना और औद्योगिक विकास के मामले

247. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की घोषणा के बाद प्रशासन राज्य में योजना और औद्योगिक विकास के मामलों को किस प्रकार हल कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के०गुजराल) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

तमिलनाडु सरकार ने जो सूचना दी है उसके अनुसार राज्य में राष्ट्रपति के शासन की घोषणा के बाद औद्योगिक विकास विभाग ने कार्यान्वित की जा रही और कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की समीक्षा, उन क्षेत्रों का निर्धारण जिनमें क्षमताओं का कम उपयोग हो रहा है, का और आगे आवश्यक अध्ययन करने जैसे मामलों, कार्यपद्धति कठिनाइयों, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिये बैंक से धन की प्राप्ति और जहां कहीं सम्भव हो सूती कपड़ा उद्योग की शिकायतें दूर करने के मामलों पर तमिलनाडु सरकार सहित सम्बद्ध प्राधिकारियों से क्रमिक विचार-विमर्श किया। हथकरघा उद्योग की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सहकारी समितियों के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों की संख्या 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जिन अन्य विकास परियोजनाओं पर विचार हो रहा है वे हैं हथकरघा बुनकरों के लिये निर्यात-अभिमुख उत्पादन और हाट-व्यवस्था परियोजना और 10,000 बुनकरों के लिये सघन विकास परियोजना। काफी संख्या में छोटे चर्मकार और चमड़े की कमाई करने वाले कारीगर इस उद्योग में काम कर रहे हैं। उनको देखते हुये ई० आई० कमाई गई खालों और चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जा रहा है। कच्चा माल और दुर्लभ सामग्री देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है और आवेदन पत्रों की शीघ्र जांच-पड़ताल करने, इस कच्चे माल को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्रीय निदेशकों को अधिकार दिये गये हैं।

राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य बिजली बोर्ड अब इस स्थिति में है कि वह 250–260 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है।

राज्य में औद्योगिकीकरण के लिये जो काम हो रहा है उसकी प्रगति की सामान्य समीक्षा करने के लिये और परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये किस प्रकार की कार्यवाही करनी होगी, इस बारे में तकनीकी विकास महानिदेशालय के तीन अधिकारियों के एक दल ने राज्य के उद्योग विभाग, वाणिज्य संघ और कुछ औद्योगिक एसोसिएशनों से विस्तृत रूप से विचार-विमर्श

किया था। तमिलनाडु सरकार के सहयोग से निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन के लिये कार्य दल गठित किए गए हैं :—

(1) वांछित क्षेत्रों में क्षमता का अधिकतम उपयोग और क्षमता को शीघ्रता से बढ़ाना।

(2) तमिलनाडु की समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आयात-निर्यात और औद्योगिक लाइसेंस कार्य पद्धतियों का अध्ययन जिसमें तकनीकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाना और आंकड़ा बैंक की स्थापना आदि शामिल है।

(3) बिजली की मांग और बिजली देने में की गई कटौतियों को देखते हुये उद्योगों को प्राथमिकता देना।

(4) आशयपत्रों को और अधिक कारगर ढंग से पड़ताल करने और परियोजनाओं के सामयिक कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए केन्द्र-राज्य संचार व्यवस्था।

(5) लघु, मध्यम और बड़े आकार के औद्योगिक क्षेत्रो में अधिक अच्छे समन्वय और सम्बद्धता।

तमिलनाडु सरकार ने उद्योग विभाग में एक विशेष कक्ष की स्थापना भी की है जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के दलों के दौरों के कारण जो मामले उठेंगे उन पर आगे कार्यवाही करेगा।

भागीरथी पर बहु प्रयोजनीय पन-बिजली परियोजना का निर्माण

248. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी में भागीरथी पर एक बहु प्रयोजनीय पन-बिजली परियोजना के निर्माण को पांचवीं योजना में शमिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये वर्ष 1976–77 में कितनी निधि का नियतन किया गया है ; और

(ग) इस बांध स्थल से निर्वासित किए जाने वाले लोगों के पुनर्वास तथा उन्हें मुआवजा देने की पूर्व-आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह स्कीम पांचवीं योजना अवधि में लाभ देने के लिये शामिल नहीं की गई है।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मंगाई जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अधिक तेल तथा प्राकृतिक गैस की प्राप्ति के लिए भूमिगत परमाणु परिक्षणों का प्रयोग

249. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस की प्राप्ति में वृद्धि के लिये शांतिपूर्ण भूमिगत परमाणु परीक्षणों का प्रयोग किया जाएगा ;

(ख) क्या देश में ऐसे परीक्षणों में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण सम्बन्धी मामलों का स्तर विश्व में सबसे उत्तम है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यदि ऐसा परीक्षण करने की आवश्यकता आर्थिक एवं प्रौद्योगिक आधारों पर पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है तो परीक्षण करने के बारे में विचार किया जाएगा ।

(ख) तथा (ग) यदि इस प्रकार की कोई परियोजना हाथ में ली गई तो उसके लिए सुरक्षा सम्बन्धी सबसे ऊंचे मानदण्डों को अपनाया जाएगा तथा निकलने वाले पैट्रोलियम उत्पादों की रेडियोसक्रियता की जांच यह सुनिश्चित करने के लिये की जाएगी कि वे उत्पाद रेडियोसक्रियता से मुक्त हैं ।

समाचार ऐजेन्सी 'समाचार' की वित्तीय स्थिति

250. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई गठित समाचार ऐजेंसी "समाचार" की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के शेयरधारियों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) "समाचार" कंपनी नहीं है, बल्कि यह संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1976 को पंजीकृत एक संस्था है । "समाचार" को कोई वित्तीय कठिनाई है इसकी सरकार को जानकारी नहीं है ।

कोयला उत्पादन में लक्ष्य तथा उसकी उपलब्धि

251. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य तथा उसकी उपलब्धि क्या थी ; और

(ख) कोयले के मूल्यों को कम न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1974–75 में 880 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में कोयले का वास्तविक उत्पादन 884.10 लाख टन था ।

(ख) कोयला उत्पादन की लागत में वृद्धि तथा कोयला खान कामगारों को 1-1-75 से मजदूरी वृद्धि के वित्तीय परिणामों सहित अन्य कारकों की लागतों में वृद्धि तथा अन्य निवेश सामग्री के मूल्य में वृद्धि हो जाने से कोयले की कीमतों में कमी करना सम्भव नहीं है ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षायें

253. **श्री धामनकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा के लिये क्या न्यूनतम आयु सीमा और न्यूनतम शिक्षा अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) क्या 10 2+3 शिक्षा प्रणाली लागू करने से बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस शिक्षा में बैठने के लिये पर्याप्त अवसर पाने से वंचित हो जायेंगे ; और

(ग) क्या बेहतर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को आकर्षित करने और उन्हें प्रतियोगिता में बैठने के लिये कम से कम दो अवसर प्रदान करने के लिये आयु सीमा में उपयुक्त वृद्धि करना सम्भव नहीं होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री बन्सी लाल) : (क) (1) न्यूनतम आयु 16 वर्ष ।

(2) न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष ।

(ख) और (ग) क्योंकि सभी राज्यों ने नई शिक्षा प्रणाली (10+2+3) को अभी तक लागू नहीं किया है और क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिये परीक्षा की योजना पर नई प्रणाली का कुछ वर्षों के पश्चात् ही प्रभाव पड़ेगा । अतः शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ेंगे उनका अध्ययन किया जाएगा, जिनमें आयु-सीमा बढ़ाने का औचित्य भी सम्मिलित है ।

त्रिपुरा में गुमती परियोजना का पूरा किया जाना

254. **श्री दशरथ देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में गुमती परियोजना के कब तक पूरा हो जाने और बिजली का उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ग) इसमें अनुमानतः कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आशा है कि त्रिपुरा की गुमती परियोजना 1976 की दूसरी तिमाही में पूरी होकर विद्युत् का उत्पादन प्रारम्भ कर देगी, बशर्ते कि जलाशय में जल उपलब्ध हो ।

(ख) दिसम्बर, 1975 के अन्त तक इस परियोजना पर 10.8 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं ।

(ग) प्रति वर्ष 37.7 मिलियन यूनिट ।

अमरीकी जासूसी उपग्रह

255. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी समाचारपत्रों में हाल ही में ऐसे समाचार प्रकाशित हुये हैं कि अमरीकी जासूसी उपग्रह वर्ष 1972 में भारत में सैनिक गतिविधियों के निरन्तर चित्र ले रहे हैं और सैनिक संस्थापनों के चित्र एकत्र कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अमरीका द्वारा ऐसी जानकारियां उन देशों को नहीं दी जा रही हैं जिन से हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं हैं ;

(ग) क्या इससे हमारे रक्षा सम्बन्धी तैयारियों को गम्भीर आघात पहुंचता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सरकार ने इस आशय के कुछ समाचार देखे हैं ।

(ख) से (घ) यह सरकार के अधिकार में नहीं है कि अन्य देशों को सूचना देने से रोका जाय ; तथापि, ऐसी सम्भावना उत्पन्न हो जाने की स्थिति में हमारी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए उपयुक्त राजनीतिक तथा अन्य कार्यवाही की जाएगी ।

आकाशवाणी की विदेश सेवा के लिए बंगला कार्यक्रम का प्रसारण

256. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली के "सी" केन्द्र के माध्यम से विदेश सेवा से 4.30 और 5.00 म० प० के बीच प्रसारित किया जाने वाला बंगला कार्यक्रम इस बीच बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां । बंगला सेवा अपराह्न 4.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक वैदेशिक सेवाओं के अंग के रूप में प्रसारित की जाती थी, दिल्ली "सी" के माध्यम से नहीं ।

(ख) इस सेवा को जारी रखना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

नये सैनिक स्कूलों की स्थापना

257. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों में किन-किन स्थानों पर नये सैनिक स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव किये ;

(ख) उनमें से किन स्थानों पर स्कूल खुल गये हैं ; और

(ग) शेष मामलों में से प्रत्येक के बारे में क्या प्रगति है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) केवल हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने ही एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने हमें हाल ही में सूचित किया है कि स्थल का चयन विचाराधीन है।

सैनिक स्कूलों का कार्यकरण

258. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सैनिक स्कूलों के कार्यकरण की जांच करने तथा उसमें सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफ़ारिशों के साथ प्रतिवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया; उसकी मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा कौन सी सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और कौनसी अब क्रियान्वित कर दी गई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) 29 अक्तूबर, 1975। रिपोर्ट की मुख्य सिफ़ारिशों के सारांश का एक विवरण संलग्न है।

(ग) जब कि समिति की अधिकांश सिफ़ारिशों का अध्ययन किया जा रहा है और उन पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा परन्तु प्रवेश परीक्षाओं तथा प्रिंसिपलों के चयन से सम्बन्धित उनमें से दो सिफ़ारिशों पर कार्यवाही की गई है।

विवरण

(1) सैनिक स्कूलों को अपना विशिष्ट स्वरूप रखना चाहिये और उन्हें उनके लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप पूरी तरह से बढ़ने देना चाहिये।

(2) लड़कों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा मुख्यतः उनकी समझ और स्मरण शक्ति तथा अभ्यर्थियों की धारण क्षमता जानने के लिये की जानी चाहिये।

(3) सम्बन्धित संचित प्रगति रिपोर्ट के साथ हरेक लड़के का वैयक्तिक रिकार्ड रखना उचित होगा। आठवीं श्रेणी के अन्त में यदि कोई जांच होती है तो 'सत्र की समाप्ति' की ये संचित रिपोर्टें उन मामलों को छांटने में सहायक होनी चाहिये जो सामान्य प्रगति दिखाने में असफ़ल रहते हैं।

(4) प्रिन्सिपल के सावधानीपूर्वक चयन पर उचित बल दिया जाना चाहिये ।

(5) मुख्याध्यापक को गुण-सह-वरिष्ठता के आधार पर अध्यापन कर्मचारियो में से चुनना चाहिये ।

(6) लेफ्टिनेंट/कैप्टेन और समकक्ष पद में अपेक्षित अर्हताओं के साथ कम से कम तीन अफ़सर अध्यापन कर्मचारियों में रखे जाने चाहिये ।

(7) अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में अच्छी ख्याति प्राप्त कालेजों के स्नातकों को तरजीह दी जानी चाहिये । अध्यापकों की गुणत बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के रूप में पदों के 20 प्रतिशत के लिए एक सलैक्शन ग्रेड होना चाहिये ।

(8) स्कूलों में अध्यापकों के अन्तर सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित तौर पर रखा जाना चाहिये ।

(9) अध्यापकों के बच्चों को दिवा छात्रों के रूप में स्कूल में आने की सुविधाओं के बारे में प्रवेश प्रतिशतता 5 प्रतिशत से बढ़ाकर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर देनी चाहिये ।

(10) मिल्ट्री स्कूलों और राष्ट्रीय इण्डियन मिल्ट्री कालेजों के लिए तृतीय वेतन आयोग द्वारा सिफ़ारिश किए गए वेतन मानों को ध्यान में रखते हुये अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के वेतन मानों का संशोधन कर देना चाहिये ।

(11) राज्यों के भार को कम करने के लिये, क्वार्टर मास्टर, मैस प्रबन्धक, पी० टी० आई०, चिकित्सा अधिकारी और प्रशिक्षण कर्मचारियों जैसे वर्गों की और व्यवस्था करके रक्षा मंत्रालय उनकी सहायता कर सकता है ।

(12) सैनिक स्कूलों के लिये अवैतनिक सचिवों को सैनिक स्कूलों के लिये पूर्णकालिक कार्य करना चाहिये । उसकी सामान्यत: न्यूनतम पदावधि चार वर्ष होनी चाहिये । सैनिक स्कूल सेलों को भी सुदृढ किया जाना चाहिये ।

(13) स्कूलों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए जो लड़कों को नेशनल डिफ़ैंस अकादमी में प्रवेश के लिए प्रेरित करे ।

(14) क्योंकि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लक्ष्य रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित अन्य सैनिक स्कूलों जैसा ही है । अत: उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ को भविष्य में उसी तरह से विकसित किया जाना चाहिये जैसी कि रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गई है ।

राज्यों में सार्वजनिक वितरण केन्द्र

259. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लिये आवश्यक वस्तुओं को व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत है, आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु क्या सार्वजनिक वितरण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के कोई प्रयास किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां' तो कुल सार्वजनिक वितरण केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) उचित मूल्य/राशन की दुकानों की संख्या 30-6-1975 को 2,24,805 से बढकर फ़रवरी, 1976 के अन्त में 2,33,282 हो गई। इसी प्रकार मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या जून, 1975 के अन्त में 1,66,000 से बढ कर जनवरी, 1976 के अन्त में 2,17,000 हो गई। इसी तरह नियंत्रित कपड़े के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या भीजून, 1975 के अन्त में 29,324 से बढ कर दिसम्बर, 1975 के अन्त में 46,694 हो गई। राज्यवार ब्यौरा संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10402/76]।

पश्चिम बंगाल, असम, उडीसा और त्रिपुरा में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र

260. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में नये उद्योग स्थापित करने के लिए मंत्रालय को वर्ष 1974-75 में तथा दिसम्बर, 1975 तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये ;

(ख) पार्टियों को कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ग) क्या किसी बड़े व्यापार (एकाधिकार) गृह ने भी उक्त अवधियों में मंत्रालय से अपने उद्योग का विस्तार करने अथवा उसके विविधीकरण के लिये अनुमति मांगी थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्यों में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए लाइसेंस हेतु पिछले दो वर्षों 1974 और 1975 की अवधि में 235 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे।

(ख) इसी अवधि में इन राज्यो के एककों के लिए 224 आशयपत्र और 211 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ग) जी, हां।

(घ) बड़े औद्योगिक गृहों (ए० प्र० व्या० प्र० उपक्रमों) से इन राज्यों में पर्याप्त विस्तार करने और नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए इसी अवधि में प्राप्त आवेदनों में से 9 आवेदन स्वीकार किये गये तथा अन्य 16 आवेदन रद्द, या समाप्त आदि किये गये।

पांचवीं योजना और वार्षिक योजनाओं में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास की व्यवस्था

261. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घकाल से संसाधनों आदि का सन्तुलन न रहने के कारण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिले अत्यन्त निर्धन हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन समस्याओं को जानने तथा उसके समाधान करने के लिये योजना आयोग ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) पांचवीं योचना में और विशेषकर वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 की वार्षिक योजनाओं में उन जिलों के विकास के लिये कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गुजराल) : (क) और (ख) यह सही है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले अपेक्षाकृत पिछड़े हुये हैं। इस पिछड़ेपन के कई कारण हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना उनकी प्राकृतिक भोगोलिक रचना के कारण कठिन है, और इस कारण वहां आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने में अधिक लागत और कठिनाई दोनों आती हैं। कृषि योग्य भूमि भी सीमित मात्रा में होती है और जनसंख्या के कम घनत्व के कारण भी औद्योगिक विकास कार्यों में कठिनाई आती है। पूर्वी जिलों की स्थिति इससे कुछ भिन्न है। इस क्षेत्र में बार-बार बाढ आती है और सूखा बार-बार पड़ता है, यहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है और कृषि जोतों की संख्या अपर्याप्त है। इस कारण यहां के लिये एक इस प्रकार की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है जो यहां की परिस्थितियों के अनुरूप हो।

पांचवीं योजना के बाद से इन अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के प्रयासों पर बल दिया गया है। इन दोनों क्षेत्रो के लिए क्षेत्रीय योजनाये बनाने के प्रयास किये गये हैं और पर्वतीय जिलों के लिए तो केन्द्र अतिरिक्त सहायता भी दे रहा है।

(ग) पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। पर्वतीय क्षेत्रो के लिये 1974–75 और 1975–76 की वार्षिक योजनाओं में तथा पूर्वी जिलों के लिये राज्य सरकार के योजना-दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्था इस प्रकार की गई है :—

(लाख रुपये)

	1974–75	1975–76
पर्वतीय जिले . .	2100.88	2278.00
पूर्वी जिले . . .	6887.00	7346.00

मशीनों की किराया खरीद के लिये आवेदन पत्रों पर विचार करने में विलम्ब

262. **श्री राज राज सिंह देव :**
श्री वीरभद्र सिंघ :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनों की किराया खरीद के लिये आवेदन पत्रों पर विचार करने में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा विलम्ब किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विभिन्न उद्यमियों से गत तीन वर्षों में कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये और उक्त अवधि में कितनों पर निर्णय किया गया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). किराया-खरीद आधार पर मशीनरी खरीदने सम्बन्धी आवेदनों पर सभी दस्तावेजों के पूर्ण होने पर कार्यवाही करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होता। किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण निगम ने जून, 1975 से आवेदनों पर कार्यवाही की गति धीमी कर दी है। किन्तु वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार होने की आशा है।

(ग) गत वर्ष प्राप्त और निपटाये गये आवेदनों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निपटाये गये आवेदनों की संख्या	अनिर्णीत आवेदनों की संख्या
1974–75	501	428	73

वार्षिक योजनाओं के लिये राज्यों द्वारा संसाधन जुटाया जाना

264. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 की वार्षिक योजनाओं के लिये कितने तथा किन-किन राज्यों ने प्रत्याशित संसाधन जुटाये हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में यदि कोई कमी रही हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है जिसमें 1974–75 और 1975–76 की वार्षिक योजनाओं के लिए राज्यो द्वारा जुटाये

जाने वाले अतिरिक्त संसाधनों के लक्ष्यों और उनसे इस सम्बन्ध में प्रत्याशित लाभ के बारे में बताया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०--10403/76]

(ख) यदि किए गए उपायों के फलस्वरूप पूरे वर्ष के लाभ को ध्यान में रखा जाए तो एक राज्य को छोड़कर, दोनों वर्षों के कुल लाभ में, वास्तव में कोई कमी देखने में नहीं आती। इस राज्य में जो कमी रही उसका कारण यह है कि किए जाने वाले उपायों में से कुछ को वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

राज्यों द्वारा वार्षिक योजना लक्ष्यों की पूर्ति

265. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 की वार्षिक योजनाओं के वास्तविक लक्ष्य प्रत्येक राज्य द्वारा पूरे कर लिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि कोई कमी रही हो तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). जहां तक 1974-75 की वार्षिक योजना के वास्तविक लक्ष्यों का सम्बन्ध है, कुछ मामलों में सम्भावित उपलब्धियों और अन्य मामलों में वास्तविक उपलब्धियों के सम्बन्ध में विवरण 1975-76 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में पहले ही उपलब्ध है। प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में 1975-76 की प्रत्याशित उपलब्धियां और उनमें यदि कोई कमी हो तो उसके कारण संकलित किए जा रहे हैं, जिन्हें 1976-77 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में दिया जाएगा ; अन्तिम रूप दिए जाने के बाद यह वार्षिक योजना सभा पटल पर रखी जाएगी।

देश में विद्युत की स्थिति

266. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में विद्युत की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) वर्ष 1976 में विभिन्न राज्यों में कितने तथा किन-किन स्थानों पर नये सुपर तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बिजली की जो थोड़ी सी कमी है उसको छोड़ कर देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति सामान्यत संतोषजनक है।

(ख) यदि धन आदि उपलब्ध हो जाये तो सिंगरौली में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र पर 1976-77 में निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

आणविक ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना

267. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया है और उनमें कितने केन्द्रों का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) क्या इन केन्द्रों से पैदा की जाने वाली विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर दी जायेगी ; और

(ग) इन परमाणु ऊर्जा केन्द्रों के संचालन के लिये क्या कार्मिक प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): (क) इस समय महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु बिजलीघर तथा राजस्थान में कोटा के समीप रावतभाटा में स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट में बिजली का उत्पादन हो रहा है। निम्नलिखित परमाणु बिजली घर निर्माणाधीन है :

बिजलीघर	स्थान	क्षमता
1. राजस्थान परमाणु बिजलीघर—दूसरा यूनिट	कोटा के समीप रावतभाटा, राजस्थान	200 मेगावाट
2. मद्रास परमाणु बिजलीघर पहला यूनिट	कलपक्कम, तमिलनाडु	235 मेगावाट
3. मद्रास परमाणु बिजलीघर—यूनिट	दूसरा यथोपरि	235 मेगावाट
4. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना—पहला यूनिट	नरोरा, जिला बुलंदशहर उत्तर-प्रदेश	235 मेगावाट
5. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना—दूसरा यूनिट	यथोपरि	235 मेगावाट

(ख) परमाणु बिजलीघरों के जीवन काल में, उन से उत्पादित बिजली आमतौर पर कोयले की खानों से 800 किलोमीटर से ज्यादा दूर स्थित ताप बिजलघर में उत्पादित बिजली से सस्ती समझी जाती है। परमाणु बिजली की सप्लाई उपभोक्ताओं को सीधे ही नहीं की जाती है। यह बिजली ग्रिड को भेज दी जाती है तथा, इस वजह से, इस के अपेक्षाकृत सस्ता होने से विद्युत बोर्डों द्वारा उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली बिजली की औसत कीमत भी घट जाती है।

(ग) इन परमाणु बिजलीघरों का संचालन तथा रख रखाव करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक नयूकलीय प्रशिक्षण केन्द्र आजकल कोटा के समीप रावतभाटा में चल रहा है। इस केन्द्र में एक परमाणु बिजलीघर का अनुरूप भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1974 तथा 1975 के लिए राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय

268. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 तथा 1975 में राष्ट्रीय आय क्या थी और प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ; और

(ख) वर्ष 1974 तथा 1975 में पूंजी निर्माण की दर क्या थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :–

	1973–74*		1974–75**	
	प्रचलित भाव	स्थिर (1960–61) भाव	प्रचलित भाव	स्थिर (1960–61 भाव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. राष्ट्रीय आय (करोड़ रु०)	49,148	20,034	60,120	20,075
2. प्रति व्यक्ति आय (रु०)	851.8	347.2	1,022.4	341. 4
3. पूंजी निर्माण की दर (बाजर भाव के आधा आभार पर शुद्ध घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	13.0	—	12.8	—

सहकारी समितियों का पुनर्गठन

269. **श्री वसन्त साठे :**

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक गतिविधियों में समाज के कमजोर और दलित वर्ग के कारगर रुप से भाग लेना सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावी कार्य के रुप में सहकारी समितियों के पुनर्गठन करने संबंधी किसी योजना पर कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

*अनंतिम

**त्वरित

(ग) क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना के बारे में किये गये प्रयास अत्यंत सीमित थे और उन से प्राप्त हुए परिणाम नगण्य हैं ; और

(घ) उन का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने का दृष्टि से ग्रामीण श्रमिकों को सहकारी समितियों में संगठित करने के लिये क्या कारगर कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सहकारी सोसाइटियों के कार्यकरण को नया रूप देने के लिये कई उपाय किय गये हैं जिस से कि कमजोर तथा कम सुविधा प्राप्त वर्ग का कारगर रूप से भाग लेना सुनिश्चित किया जा सके । इन उपायों में ये शामिल है :–

(i) कई राज्यों में सहकारी कानूनों में संशोधन किये गये है ताकि छोटे तथा सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को कृषि ऋण/बहुद्देशीय सोसाइटियों का सदस्य बनने में आसानी हो सके ।

(ii) सहकारी सोसाइटियों के निदेशक मण्डल/प्रबन्ध समितियों में कमजोर वर्गों के लिये न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये कानूनी प्रावधान किये गये हैं ।

(iii) केन्द्रीय सहकारी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि शीर्ष बैंकों से उन के द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में से कम से कम 20 प्रतिशत भाग छोटे किसानों तथा कमजोर वर्गों को सोसायटियों को दिये गये ऋणों की बकाया धनराशि के रूप में हो ।

(iv) ऋण नीति तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन इस दृष्टि से अनुमोदित किये गये है कि छोटे किसानों, काश्तकारों और बटाईदारों को अधिक ऋण मिल सके ।

(v) कमजोर वर्गों की सहायता पहुंचाने के लिये डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, मछली पालन जैसे कार्यकलापों वाली व्यवसायी सहकारी सोसाइटियों का विकास करने पर बल दिया जा रहा है ।

(ग) व (घ) देश में श्रमिक सहकारी सोसाइटियों के कार्यकलापों में लगातार विस्तार होता रहा है । श्रमिक सहकारी सोसायटियों की कुल संख्या 30 जून 1971 को 6717 से बढ़कर 30 जून, 1975 को 9147 हो गई ; इसी अवधि में इन सोसायटियों की सदस्य संख्या 4.76 लाख से बढ़कर 5.99 लाख हो गई और इन के द्वारा किये गये कार्यों का मूल्य 2163 लाख रुपये से बढ़कर 3300 लाख रुपये से अधिक हो गया । 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सन्दर्भ में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वन ठेका सहकारी सोसायटियों सहित श्रमिक सहकारी सोसायटियों का विकास करने के इस कार्यक्रम का विस्तार करने तथा इसे मज़बूत बनाने के लिए संगठित प्रयत्न करें और इन सहकारी सोसायटियों को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता दें तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सुविधायें भी प्रदान करें ; ताकि वे काम देने वाली एजेन्सियों से पर्याप्त काम ले सकें ।

सहकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुयें

270. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में आम खपत की उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिये एक सुपरिभाषित नीति तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे मे क्या अत्यावश्यक कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जा रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) सरकार ने सुस्थापित उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों और उन के परिसंघो को या तो स्वतंत्र रूप में या अप्रयुक्त क्षमता वाली वर्तमान औद्योगिक यूनिटों के सहयोग से चुनी उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहित करने का निर्णय किया है।

(ख) व (ग). राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करें और उन्हें उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्र को भेजें।

गैर-कानूनी ठहराये गये संगठनों से सम्बद्ध पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग

271. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या गैर-कानूनी ठहराये गये आनन्दमार्ग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों से सम्बद्ध बहुत से ऐसे पर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी जो अभी पकड़े नहीं गये हैं देश-भक्त एवं लोकतन्त्री कर्मचारियों के विरुद्ध आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आनन्द मार्ग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बंद्ध उत्तर पूर्वी रेलवे का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी देशभक्त और लोकतंत्री कर्मचारियों के विरुद्ध आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने की योजना

272. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस सूत्री कार्यक्रम की बातों में से एक बात बिजली की कमी पूरी करने के लिये 2600 मैगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन करने का उल्लेख है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बीस-सूत्री कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, शीघ्रता से कार्यान्वित किये जाने वाले विद्युत् कार्यक्रमों तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत सुपर ताप विद्युत् केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

लगभग 1323 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता चालू की जा चुकी है तथा काफी अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता शीघ्र ही और चालू कर दी जाएगी। विभिन्न विद्युत् परियोजनाओं को शीघ्र ही चालू करने तथा समय-सूची के अनुसार ही इनका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए भी सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभ में प्रत्येक क्षेत्र में, कोयला खानों के पास ही उपयुक्त स्थानों पर एक-एक सुपर ताप-विद्युत् केन्द्र स्थापित करने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

273. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में 28 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1323 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष रूप से उत्तर बिहार के लिये और शेष बिहार के लिये सामान्यत: बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जो 99.3 किलोवाट के अखिल भारत औसत की तुलना में मात्र 11.02 किलोवाट है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : उत्तर बिहार की बिजली और ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उत्तर बिहार के उत्पादन यूनिटों से तथा दक्षिण बिहार के साथ पहले से ही बनाए गए परस्पर संयोजनों (इन्टर कनेक्शनों) से सहायता देकर की जा रही है। उत्तर बिहार के लिए 115 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता की मंजूरी दी जा चुकी है। केन्द्रीय क्षेत्र में एक ताप-विद्युत् केन्द्र फरक्का में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर बिहार में उपलब्ध विद्युत्-पूर्ति में इससे वृद्धि होगी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए 895 मेगावाट की कुल अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता की मंजूरी दी जा चुकी है।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं का तेजी से विकास

274. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिये विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, असम और केरल के आदिवासी क्षेत्रों में कौन सी विकास परियोजनायें शुरू की गई हैं और तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों को उप-योजना क्षेत्र में, जिन्हें अच्छी तरह सूत्रबद्ध की गई एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अधीन ले लिया जायेगा, अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1975–76 में उड़ीसा को 292 लाख रुपये, बिहार को 281 लाख रुपये, आन्ध्र प्रदेश को 123 लाख रुपये, आसाम को 80 लाख रुपये और केरल को 12 लाख रुपये तक की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी। अग्रिम कार्यवाही में निम्नलिखित समेत आन्तरिक कार्यक्रम आ जाते हैं :

(1) परियोजनाओं की तैयारी तथा आवश्यक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत।

(2) प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन तथा उसे मजबूत करना।

(3) भूमि अभिलेख तैयार करना।

(4) ऋण तथा विपणन संरचना की स्थापना या उसे मजबूत करना।

(5) ऋण मुक्ति की योजनाएं।

(6) वृक्षारोपण के प्राथमिक कार्य।

(7) लघु सिंचाई योजनाएं पूरा करना।

अब तक उड़ीसा ने 2, बिहार ने 3, आन्ध्र प्रदेश ने 3 और केरल ने 1 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना प्रस्तुत की है। राज्य सरकारों से शेष आई०टी०डी०पी० शीघ्र भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

केरल मैडिकल प्रेक्टीशनर्ज विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति

275. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विधान सभा द्वारा पारित केरल मैडिकल प्रैक्टीशनर्ज विधेयक सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति के लिये पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो अनुमति देने में विलम्ब का क्या कारण है; और

(ग) अनुमति कब तक दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). मामला अभी विचाराधीन है।

कलकत्ता में वायु प्रदूषण नियंत्रण

277. **श्री इन्द्रजीत ुप्त** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े नगरों में वायु प्रदूषण रोकने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता के विशेष सन्दर्भ में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक शीघ्र कार्यवाही का सम्बन्ध है, वायु प्रदूषण (रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1975 पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन पर्यावरणीय अनुसंधान समिति तथा मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम हेतु पर्यावरणीय समस्याओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, कुछ निधि का विनिधान भी किया गया है। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण पर अध्ययन, कुछ चुनी हुई परियोजनाओं के अन्तर्गत हैं अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विचाराधीन हैं।

केरल अखबारी कागज परियोजना

278. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल अखबारी कागज परियोजना की स्थापना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ग) इस परियोजना को सहायता दे रहे देशों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और स्थल को समतल करने का कार्य शुरू हो गया है। कच्चे माल के संभरण और अन्य अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा चुकी है तथा परियोजना के लिए आधारभूत इंजीनियरी उनके द्वारा तैयार की जा रही है। दीर्घकालिक सुपुर्दगी वाली कुछ वस्तुओं के लिए क्रयादेश दिये जा चुके हैं तथा बाकी वस्तुओं के लिए क्रयादेशों के सम्बन्ध में परामर्शदाताओं के

परामर्श से शीघ्र निर्णय ले लिये जाने की आशा है। निर्माण प्रबन्ध के लिए सविवरण इंजीनियरी और अन्य तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। एक परियोजना कार्यालय ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा महाप्रबन्धक और अन्य कर्मचारी स्थापना स्थल पर ही नियुक्त हैं।

(ख) परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की अनुमानित राशि 27.70 करोड़ रुपये है।

(ग) आशा की जाती है कि के०एफ०डब्ल्यू० (पश्चिम जर्मनी) और स्वीडिश और यू०के० के ऋणों से कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।

केरल में विदेशी स्वामित्व के बागानों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अध्यादेश

279. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में विदेशी स्वामित्व के बागानों के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रस्तावित अध्यादेश के सभी पहलुओं पर विचार किया है और उस पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार के परामर्श से मामले की अभी जांच की जा रही है।

उपग्रह शिक्षण टेलीविजन परीक्षण कार्यक्रम का केरल तक विस्तार

280. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या सूचना और प्रासारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उपग्रह शिक्षण टेलीविजन परीक्षण कार्यक्रम का केरल तक विस्तार किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। राज्य सरकार ने सितम्बर, 1975 में उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग कार्यक्रमों का केरल में विस्तार करने का सुझाव दिया था।

(ग) उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग कार्यक्रमों का केरल में विस्तार करने की संभावना की जांच की गई थी। तथापि, यह पता चला कि सिगनल की शक्ति, बेस प्रोडक्शन केन्द्रों की

अतिरिक्त भाषाओं में कार्यक्रम तैयार करने की सीमित क्षमता और शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना संभव नहीं होगा। राज्य के मुख्य मंत्री को स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

मिलावटी सीमेंट का समानान्तर उद्योग

281. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "पैरेलल इन्डस्ट्री आफ एडलट्रेटेड सीमेंट" (मिलावटी सीमेंट का समानान्तर उद्योग) विद्यमान है; और

(ख) क्या सरकार ने दोषियों का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). यद्यपि उपभोक्ताओं के हाथ मिलावटी सीमेंट बेचे जाने के उदाहरणों के बारे में सूचना मिली है, किन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि देश में मिलावटी सीमेंट का एक समानान्तर उद्योग चल रहा है। मिलावटी सीमेंट का बेचा जाना, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये सीमेंट (किस्म नियंत्रण) आदेश 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह एक संज्ञेय (कार्गिनज़ेबिल) अपराध है और भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा 12 में परिभाषित किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में अपराध की रिपोर्ट न्यायालय में की जाने पर अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। सीमेंट नियंत्रक ने भी सभी राज्यसरकारों और संघ क्षेत्रों को सीमेंट में मिलावट करने के जो मामले उनकी जानकारी में आयें उनमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। जब कभी इस प्रकार के कदाचार के मामले देखने में आते हैं तो राज्य नागरिक पूर्ति विभाग और राज्य पुलिस विभाग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

EXPENDITURE ON DEFENCE INSTITUTE OF FIRE RESEARCH

282. Shri M. C. Daga : Will the **Minister of Defence** be pleased to state the total expenditure incurred on the Defence Institute of Fire Reesearch in 1973, 1974 and 1975, respectively ?

The Minister of State Defence Production in the Ministry of Defence (Shri V.N. Gadgil) Total expenditure incurred on the Defence Institute of Fire Research year-wise is :

1973-74	Rs. 17·91 lakhs
1974-75	Rs. 17·95 lakhs
1975-76 (Upto Jan. 1976)	Rs. 21·03 lakhs

उद्योगों में महिलाओं का स्वनियोजन

283. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में महिलाओं को उद्योगों में स्वनियोजन के लिए बढ़ावा दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों में ऐसे उद्योगों की स्थापना हुई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : जी हां। महिलाओं का स्वनियोजन विस्तृत रूप से कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों जैसे खादी, कताई, अनाज और दालें साफ करना, अखाद्यतेल, साबुन फाइबर (रेशों) आदि उद्योगों तक सीमित है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश भर में इसका संवर्धन किया जा रहा है। इसके अलावा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं की स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत पांच राज्यों जैसे आसाम, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में 11 मुर्गीपालन केन्द्रों और हाथकरघा एककों का अनुदान स्वीकार किया है।

हिन्द महासागर में अमरीका का सातवाँ बेड़ा

284. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सातवें बेड़े के कमान्डर ने हाल ही में कहा है कि उक्त बेड़ा आने वाले अनेक वर्षों तक हिन्द महासागर में रहेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, इस आशय का एक समाचार सरकार ने देखा है।

(ख) सदन में जैसा बार-बार बताया गया है कि सरकार हिन्द महासागर को तनाव और प्रतिस्पर्धा मुक्त क्षेत्र रखना चाहेगी। तथापि, महासागर में विदेशी युद्धपोतों की गतिविधियों को रोकना अथवा हस्तक्षेप करना व्यवहार्य नहीं है।

"समाचार" को चलाने के लिए परिषद् का गठन

285. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया, युनाइटेड न्यूज़ आफ इंडिया, समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार के एकीकरण के बाद गठित "समाचार" को चलाने के लिए एक परिषद् का गठन किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). "समाचार" इसके प्रस्तावक सदस्यों के आवेदन पत्र पर संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1976 को पंजीकृत एक संस्था है। पता चला है कि आवेदन-पत्र के आधार पर और इसके विनियमों के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति बनाई गई थी।

टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को सहायता

286. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को अपना घाटा पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) इस एकक को निर्यातोन्मुखी बताने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जी हां।

NATIONAL FIRE SERVICE COLLEGE IN NAGPUR

287. Shri M.C. Daga : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total annual expenditure incurred on the National Fire Service College in Nagpur ;

(b) whether some foreign students also join this institute for study ;

(c) whether the Indian students remain unemployed even after completion of their studies in this college ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to tackle this problem ?

Deputy Minister in the Ministy of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) the estimated gross expenditure to be incurred on the National Fire Service College, Nagpur for 1975-76 is Rs. 6·65 lakhs.

(b) Yes. Sir.

(c) Only a very small number of private candidates remain unemployed for some length of time.

(d) A record of all private candidates who pass the cours from the National Fire Service College. Nagpur is maintained at the college and their names are recommended to prospective employers. Most of them get employed as a result of these recommendations.

NEWS ITEM CAPTIONED "166 OFFICIALS CONDUCT TO BE PROBED"

288. Shri M.C. Daga Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Sunday Standard dated the 25th January, 1976 under caption "166 officials conduct to be probed" ;

(b) whether acts of those officers were investigated and if so, the number of officers found guilty and the numer of those exonerated ; and

(c) whether the cases in respect of guilty officers were filed in the court ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Deparment of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentry Affair] (Shri Om Mehta) (a) to (c) The reference in this news-item. is to the new cases which were taken up for investigation/enquiry by the C.B.I. during the month of December, 1975. So far, investigation of four of these cases has been completed ; further necessary action against these four public servants will be considered by the concerned authorities in the light of the results of the investigation. In the remaining cases. The investigations are still in porogres..

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र द्वारा वन-अपशिष्ट (वेस्ट) से अपरिष्कृत तेल बनाने के बारे में अनुसंधान

289. **श्री राम सहाय पाण्डे :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के शोधकर्ता वैज्ञानिकों ने वन-अपशिष्ट (वेस्ट) से अपरिष्कृत तेल बनाने के बारे में एक पद्धति का पता लगाया है;

(ख) क्या इस दिशा में कोई और अनुसंधान किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अन्तरिक्ष विभाग में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वैज्ञानिक और इंजीनियर देशी स्रोतों से उपलब्ध उपादानों में से कुछ को बदलने पर विशेष बल देते हुए राकेट प्रणोदकों के लिए विभिन्न द्रव्यों के अनुसंधान और विकास में लगे हुए हैं। इस कार्य के क्रम में, पेट्रोलियम क्षारक रसायनों से व्युत्पन्न हुए एक विशिष्ट रसायन को, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा अखाद्य तिलहनों से व्युत्पन्न किये गये समान द्रव्य से परिवर्तित कर दिया गया है। इस कार्य ने, वन में उत्पन्न अखाद्य तिलहनों का उपयोग करने की सम्भावनाओं को खोल दिया है, तथा इस समय, अपरिष्कृत पेट्रोलियम तथा अन्य कई उपयोगी उत्पादों के उत्पादन के लिए पर्याप्त रूप में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। आर्थिक शोषण की संभाव्यता और सभी तकनीकी प्राचलों की स्थापना करने के लिए आगे अनुसंधान और अध्ययन चालू हैं।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पाकिस्तान-टर्की सहयोग

290. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पाकिस्तान और टर्की के बीच कथित सहयोग की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) समाचार पत्रों में छपी एक खबर के अनुसार पाकिस्तान, टर्की तथा ईरान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं।

(ख) सरकार ने इस मामले पर गौर किया है।

शाँतिपूर्ण कार्यों के लिए दूसरा परमाणु विस्फोट

291. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :
श्री कुमार माझी :

क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांतिपूर्ण कार्यों के लिए दूसरा परमाणु शीघ्र ही करने का विचार है और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) :

(क) यदि शांतिमय उपयोगों के लिए कोई परीक्षण करने की आवश्यकता पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है तो परीक्षण करने के बारे मे विचार किया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

292. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मुख्य मंत्रियों से इस बारे में कोई चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुख्यतया किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गुजराल): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) जी हां।

(घ) 1976–77 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री सहित राज्यों के मुख्य मंत्रियो से जिन प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वे इस प्रकार हैं :—

(1) 1976–77 की राज्य वार्षिक योजना का आकार तथा इसकी विषय-वस्तु और राज्य तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जैसे कृषि, सिंचाई विद्युत, राष्ट्रीय न्यूनतम

आवश्यकता कार्यक्रम, 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सहयोगी कार्यक्रम और सम्बन्धित राज्यों के पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रो की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास-नीतियों के आधार पर इसका क्षेत्रवार वितरण;

(2) 1976-77 की वार्षिक योजना के आकार के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए अलग-अलग राज्यो में संसाधनों की कुल उपलब्धता ।

विवरण

1975-76 और 1976-77 के लिए अनुमोदित योजना
परिव्यय

(लाख पए)

विकास के प्रमुख शीर्ष	1975-76 के लिए अनुमोदित योजना	1976-77 के लिए अनुमोदित योजना	कालम (2) से कलाम (3) में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1. कृषि और सम्बद्ध सेवाएं .	35361	45828	29.60
2. सहकारिता . .	4665	5635	20.79
3. जल और विद्युत विकास .	141959	193797	36.52
4 उद्योग और खनिज .	14008	17275	28.32
5. परिवहन और संचार .	19043	24680	29.60
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	45661	60936	33.45
7. आर्थिक सेवाएं . .	5662	5134	—
8. सामान्य सेवाएं . .	789	1870	137.01
कुल जोड़ . .	267148	355155	32.94

वर्ष 1974-75 में परमाणु ऊर्जा से प्रजनित विद्युत का लक्ष्य और वास्तविक प्राप्ति

293. **डा० सरदीश राय :** क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 75 के लिए परमाणु ऊर्जा से प्रजनित विद्युत का लक्ष्य क्या था और वास्तव में इस वर्ष ऐसी विद्युत का कितना उत्पादन हुआ ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : वर्ष 1974-75 में केवल तारापुर परमाणु बिजली घर तथा राजस्थान

परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट द्वारा ही बिजली का उत्पादन किया गया। इन बिजली घरों के लिए बिजली के उत्पादन के लक्ष्य तथा उसमें उत्पादित बिजली की मात्रा आंकड़े निम्नलिखित है ——

	लक्ष्य	उत्पादित बिजली की मात्रा
	मिलियन यूनिट	मिलियन
तारापुर परमाणु बिजली घर . .	1,600	यूनिट
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का पहला	930	1,458
यूनिट . .		748

Post-Matric Scholarships to S .C. Students

294. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether a ceiling on income has been prescribed in regard to giving of post-mat scholarships to the scheduled Caste Students ; and

(b) whether Central Government propose to withdraw this condition ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F.H. Mohsin) (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

Recommendtion by Lokur Committee for according Recognition To S.C. and S.T

295. Sari G.C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Lokur Committee has recommended removal of regional barriers while according recognition to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) if so, whether central Government have taken any decision thereon ; and

(c) if not, the time by which a decision will be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) The Lokur Committee has recommended removal of area restrictions in the lists of Schedule castes and Scheduled Tribes except.

(i) when two ethnological groups residing in different parts of a State bear the same name but have different social standing ; and

(ii) when because of the widely differing socio-economic condition of members of the same community in different parts of a state it is necessary to schedule it in one part but not in the rest.

(b) and (c) : Government have accepted in principle the view that area restrictions should as far as possible be removed.

Central Assistance for Welfare of Denotified Tribes

296. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Central Government have stopped the assistance which States were being given earlier for the welfare of denotified tribes (Vimukta Jatis) ; if so, the reasons therefor ; and

(b) whether Government perpose to revive this Centrally sponsored scheme so that denotified tribes (Vimukta Jatis) Give up leading the life of criminals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) &(b): With effect from the fifth-five Year Plan, schemes for the Welfare of denotified, nomadic &semi-nomadic tribes are being implemented as part of the State Plan for which Central assistance is also available. There is no proposal to include these schemes amongst the Centrally Sponsored Schemes again.

Assistance to State for setting up Police Cells for checking offences of untouchability

297. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Goyernment have provided assistance to States for setting up separate Police Cells for checking the offences of untouchability ;

(b) whether this cell has produced desired results ; and

(c) if not, whether Government will consider giving further assistance to States to enable them to strengthen this organisation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) No.

(b) & (c) Special Cells have been set up in a number of States to deal with cases of violence against or harassment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and ensure prompt investigation of criminal cases involving specific offences as also effective prosecution of such cases in courts. These Cells have proved quite advantageous in dealing with such cases. No financial assistance has been given by the Government of India to the State Governments in this regard.

कनाडा द्वारा भारत को न्यूक्लीयर सहायता देना पुनः आरम्भ किया जाना

298. **सरादार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा के साथ कोट्ट समझौता किया गया है जिसके अनुसार वह देश भारत को न्यूक्लीयर सहायता देना पुनः आरम्भ कर देगा; और

(ख) यदि हां,तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री, (श्रीमती ईदिरा गाँधी) : (क) तथा (ख) भारत तथा कनाडा के अधिकारियों की बैठक मार्च के पहले हफ्ते में नई दिल्ली में हुई थी । इस बैठक में जिन मामलों पर बातचीत हुई, वे मामले अभी दोनों देशों की सरकारो के विचाराधीन है ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण

299. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में अद्यतम संशोधन किया जा रहा है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में योजनाकारों द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व आधारभूप लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं और नीति-सीमाओ को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) जपांचवीं योजना के प्रारूप के बुनियादी उद्देश्य सामान्य रूप से प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप हैं। फिर भी अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से उनके महत्व और ब्यौरे में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम

रूप देते समय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20–सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप उसको प्राथमिकताओं और नीतियों में अपेक्षित परिवर्तन कर लिए जाएंगे ।

(ग) उपर्युक्त उद्देश्य से आयोग में संबंधित कार्रवाई की जा रही है और इस कारण संशोधन की मुख्य रूपरेखा के संबंध में अभी से बताना कठिन है ।

"समाचार" द्वारा जिला मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण नगरों में अपने यूनिटों का विस्तार

300. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "समाचार" का भारत के महत्वपूर्ण नगरों और जिला शहरों में अपने यूनिटों का विस्तार करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). सरकार कों सूचित किया गया है कि 'समाकार' विभिन्न क्षेत्रों में अपने यूनिटों का वितार करना चाहता है । इसका ब्यौरा इसकी प्रबन्ध समिति द्वारा अभी तैयार किया जाना है ।

अकोला बुलडाण और नागपुर जिलों के स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के मामले

301. **श्री वसन्त साठे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1975 के अन्त तक महाराष्ट्र राज्य के अकोला, बुलडाणा और नागपुर जिलो के स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के कितने मामले विचाराधीन थे और कितने मामलो में स्वीकृति दे दी गई थी;

(ख) जून, 1975 के बाद फरवरी, 1976 तक इन जिलों के कितने मामलों की जांच की गई कितने मामलों में स्वीकृति दी गई, कितने रद्द किये गये और कितने मामले जांच करने पर विचाराधीन रखे गए ;

(ग) क्या प्रत्येक जिले के बहुत से मामले राज्य सरकार को भेजे गए हैं और ऐसे मामलों में काफी समय से निर्णय नहीं किया गया ; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ एच० मोसहिन) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

जिले का नाम	स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की संख्या	
	स्वीकृत किये गये ।	दस्तावेजी सबूत । स्पष्टी करण के अभाव में फाइल किये गये
अकोला	384	57
बुलडाणा. .	120	12
नागपुर.	900	155

गृह मंत्रालय में कोई मामला संवीक्षा के लिए लम्बित नहीं पड़ा था ।

जिन मामलों को फाइल कर दिया गया है उनके बारे में राज्य सरकार/सम्बन्धित व्यक्तियों से आवश्यक सबूत/सत्यापन रिपोर्टें भेजने को कहा गया है ।

(ख) सूचना इस प्रकार है :—

जिले का नाम	जुलाई, 1975 से फरवरी, 1976 तक के मामलों की संख्या			
	जांच की गई	स्वीकृत किये गये	रद्द किये गये	दस्तावेजी सबूत/स्पष्टीकरण के अभाव में फाइल किए गए
अकोला	56	4	19	33
बुलडाणा	12	2	00	10
नागपुर	155	21	25	109

गृह मंत्रालय में कोई मामला संवीक्षा के लिए लम्बित नहीं पड़ा था ।

जिन मामलों को फाइल कर दिया गया है उनके बारे में राज्य सरकार/सम्बन्धित व्यक्तियों से आवश्यक सबूत/सत्यापन रिपोर्टें भेजने को कहा गया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार को समय-समय पर स्मरण कराया जाता है ।

महाराष्ट्र की विचाराधीन विद्युत परियोजनाएं

302. **श्री वन्सत साठे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य की कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति हेतु मंत्रालय तथा योजना आयोग के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को निपटाने मे शीघ्रता करने का कोई अनुरोध किया है ; और

(ग) इन परियोजनाओं की जांच करने तथा उन्हें निपटाने के बारे में (परियोजना बार) कितनी प्रगति हुई है तथा विचाराधीन परियोजनाओं को निपटाने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). महाराष्ट्र की पांचवीं पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा में शामिल जिन परियोजनाओं से पांचवीं योजना अवधि के दौरान लाभ प्राप्ति अपेक्षित है उन सभी को स्वीकृति दी जा चुकी है ।

महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने और परियोजनाओं के लिए परियोजना-रिपोर्टें भेजी हैं। इन परियोजनाओं से छठी योजना की अवधि में लाख मिलने की संभावना है। इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकार अनुरोध कर रही है। इन परियोजाओं का ब्यौरा और इनकी वर्तमान स्थिति उपाबंध में दी गई सूची में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--10404/76]

इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की बैठक

303. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने अधिक लाभ कमाने वाले उद्योगों से अपील की थी कि वे कर्मचारियों को अधिक बोनस देने के बजाये मूल्यों में कमी करें; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उधोगों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रही ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख):-- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 12 फरवरी, 1976 को हुई बैठक मे उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री द्वारा दिये गए भाषण पर आम चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने कहा था कि पुरस्कार लाभ से नहीं अपितु उत्पादकता से जोड़े जाने चाहिए और अधिकाधिक उत्पादन अभियान में कामगरो के हितो की पुरी रक्षा की जानी चाहिए।

Workers participation in manageent of "Samachar" News Agency

304. **Shri Ramavatar Shastri** : Willthe Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the National Council of Indian Working Journalists Association has made a demand for the participation of working journalists and editors in the management of "Samachar" the only news agency of the country, after passing a resolution to this effect in its meeting held in Bangalore :

(b) whether the Council has also made a demand for security in service of the employees of the news agencies ; and

(c) if so, the reaction of Government to these demands ?

The Deputy Minister in the ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes Sir.

(c) The Samachar is a Society registered on 24-1-76 under the Societies Registration Act, 1860. Under its Regulations journalists are eligible to be taken as members of the Society. However, it is for the Managing Committee to decide upon requests for membership of either the Society or its Managing Committee. As regards security in service of employees, Government have every hope that the Samachar would duly safeguard this.

Wagon Production

305. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has arrived at an agreement with the Railway Minister in regard to augmentation of wagon production in the country ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the steps taken to implement this agreement ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George) (a) Yes, Sir.

(b) & (c) An agreement has been arrived at on the broad principles of pricing of wagons in consltation with Chief Cost and Accounts Officer, Ministry of Finance on these principles, offers for placement of orders for 15,555 wagons (in terms of four wheelers) have been made to the ten active wagon building units in the industry on 10-2-1976.

Recession in Engineering Industry

306. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister **of Industry and** Civil Supplies be please to state:

(a) whether the engineering industry in the country has been facing recession for the last few months;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken by Government to remove those causes ?

The Minister of state in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Murya) (a) to (c): There has been an improvement in production in industries covered by basic metal, metal products, electrical machinery and transport equipment group during the last six months. However, there has been an appreciable decline in the production in industries like Cars, Room air-conditioners, domestic refrigerators, electrical motors, steel pipes and tubes etc. A Study Group was appointed to examine in depth the problems of Consumer Durables industries. The Group has since submitted its report to Government. On the whole the engineering industries have in fact registered a slight improvement in the rate of growth during the past 6-8 months as compared to the position in April to March, 1975.

दिल्ली में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम की असमर्थता

307. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के पास पूरे साधन नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) बिजली की इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, अपने स्वत: के विद्युत उत्पादन से और उत्तर क्षेत्र स्थित केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त सहायता से दिल्ली की बिजली संबंधी आवश्यकताएं भली भांति पूरी कर रहा है ।

समय से पूर्व सेवा निवृत किये गये सरकारी अधिकारियों के लिए मामलों में पुनर्विचार करने के लिए "पैनल" की स्थापना

308. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समय से पूर्व सेवा-निवृत किये गये सरकारी अधिकारियों के मामलों में पुनर्विचार करने के लिये हाल ही में "पैनलों" की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त "पैनलों" द्वारा अब तक कितने मामलों पर पुनर्विचार किया गया ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सरकार ने हाल ही में उन सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर, जो समय से पूर्व सेवानिवृत्त किए गए हैं, विचार के लिए उपर्युक्त समितियों की सहायता से कार्याविधि निर्धारित करते हुए अनुदेश जारी किए हैं ।

(ख) उपर्युक्त अनुदेशों को देखते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पुनरीक्षित किए गए मामलों की संख्या के सम्बन्ध में इस विभाग को सूचना प्राप्त नहीं हो रही है ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिजली के मीटरों के लिए जमानत राशि का जमा किया जाना

309. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान (देसू) ने सरकारी कर्मचारियों को उनके सरकारी मकानों में लगाए गए मीटरों के लिए जमानत की राशि न जमा कराने की छूट को समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) संस्थान के हितों की रक्षा की दृष्टि से, यह निर्णय किया गया है कि बिजली के कनेक्शनों के लिए सिक्यूरिटी जमा कराने के मामले में दिल्ली में सरकारी आवासों में रहने वाले बिजली के उपभोक्ताओं को तथा अन्य उपभोक्ताओं को एक बराबर माना जाए ।

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण के करने के बाद कोयले के मूल्य में वृद्धि

310. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद कोयले के मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इस मूल्य वृद्धि का राष्ट्रीयकरण के साथ कोई संबंध हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले का किसम-वार उत्पादन कितना हुआ है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) कोयले के मूल्यों में वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी, उपकरणों और सामान की लागत तथा कामगरों को सुविधाओं आदि की वृद्धि से हुए वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखकर की गई थी ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले का ग्रेड-वार उत्पादन अनुबंध में दिया गया है ।

विवरण

(आंकड़े मिलियन टनों में)
पी—अनंतिम

ग्रेड	1973–74	1974–75	1975–76
कोककर कोयला			दिसम्बर 75 (अनंतिम) तक
ए . . .	0.24	0.31	0.12
बी . . .	0.09	0.12	0.02
सी . .	0.68	0.90	0.36
डी . . .	1.02	1.35	0.76
ई . . .	1.51	1.99	1.08
एफ . . .	4.16	5.47	2.42
जी . . .	2.23	2.94	1.74
एच . . .	1.94	2.55	1.65
एच एच . . .	3.90	5.14	5.79
उप जोड़ . . .	15.77	20.77	*19.00

*टाटा आइरन एण्ड स्टील कं०; इंडियन आइरन एण्उ स्टील कं० तथा ग्रेड जम्मू कश्मीर सहित ।

ग्रेड	1973-74	1974-75	1975-76
अकोकर कोयला :			दिसम्बर 75 तक (अनन्तिम)
सेलेक्टेड–ए . .	3.46	3.77	4.10
सेलेक्टेड––बी	4.41	4.80	1.72
ग्रेड—I . . .	29.08	31.68	23.51
ग्रेड––II . . .	8.23	8.85	6.92
ग्रेड–III . . .	6.73	7.22	6.25
ग्रेड रहित . .	10.49	11.32	3.19
उप जोड़ . . .	62.40	67.64	**51.50
कुल जोड़ . .	78.17	88.41	70.50

**सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० सहित ।

Atrocities on Harijans in Eastern districts of U.P.

311. **Shri Chandrika Prasad** : Willthe Minister of **Home Affairs** be pleased to statet

(a) the number of Harijans killed, beaten ard raped, separately , in the Eastern districts of Uttar Pradesh, particularly in Ghazipur and Ballia districts, during the last one year ; ard

(b) the action taken by Government in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) . The Government of Uttar Pradesh have reported that 49 Harijars were killed, 771 beaten (cognizable cases) ard 30 raped in fifteen Eastern Districts of Uttar Pradesh i.e., Ghazipur, Ballia, Mirzapur, Jaunpur, Azamgarh, Deoria, Basti, Gonda, Bahrich, Varanasi, Allahabad, Sultanpur, Pratapgarh, Faizabad ard Gorakhpur during the year 1975. Information pertaining to Ghazipur and Ballia Districts is as follows:

Name of District	Killed	No. of Harijans Beaten (in Cognizable cases)	Raped
Ghazipur	3	55	—
Ballia	2	10	1

Criminal cases were registered under each category of these offences and investigation taken up by the police.

औद्योगिक एककों का बन्द होना अथवा उनमें कर्मचारियों की जबरन छुट्टी किया जाना

312. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 के दौरान बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के क्षेत्रों में कितने औद्योगिक एकक बंद हो गए हैं अथवा उन्होंने कर्मचारियां की जरबन छुट्टी कर दी है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर दी गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी मुद्रा में भुगतान किये जाने पर स्कूटरों और कारों का आवंटन

313. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा भेज कर भुगतान किये जाने पर स्कूटरों और कारों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने के कुछ मामले तकनीकी कारणों से अस्वीकृत कर दिये गये हैं और जिन व्यक्तियों ने विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है उन्हें इस कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने स्कूटरों के आवंटन के कुछ मामलों पर दिनांक 6 सितबर, 1975 के अपने पत्र संख्या 6243/75–ए० ई० आई० (I) के अनुसार विचार नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आवेदकों द्वारा कुछ जरूरी शर्तें पूरी न करने पर कुछ आवेदन पत्र अंतिम रूप से रद्द कर दिये गये हैं । अस्वीकृति निम्नलिखित किन्ही एक या अधिक कारणों से की गई है :–

(1) जहां विदेशी मुद्रा आवेदक के नाम में भेजी गई उसके निजी खाते में जमा न की गई है ।

(2) जहां विदेशी मुद्रा तीन महीने से अधिक समय से उसके खाते में जमा की गई है ।

(3) जहां आवेदक का विचार भारत में दो वर्ष से कम की अवधि तक रुकने का है ।

(4) जहां आवेदक को विदेशी मुद्रा किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसका संबंधी नहीं है और विदेश में रहता है ।

(5) जहां आवेदक, ने गत चार वर्षों में नया स्कूटर खरीदा है ।

फिर भी कुछ आवेदन ऐसे हैं जो कि कई मामलों में पूरे नहीं हैं और उनकी कमियों के बारे में आवेदकों को बता दिया गया है । यदि आवेदक इन कमियों को पूरा कर देते हैं तो उन मामलों पर फिर से विचार किया जाता है और आवंटन किया जाता है । अतः ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने विदेशी मुद्रा के माध्यम से अदायगी की हो, कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

(ख) उपरिलिखित संदर्भ में कोई पत्र जारी नहीं किया गया था । फिर भी, पत्र संख्या 62431/75--ए ई आई-III दिनांक 6-9-75 से संबंधित एक मामले पर विचार किया गया था किन्तु आवंटन इस लिए नहीं किया जा सका क्योंकि आवेदक ने कमियों को अर्थात् (1) अपरिवर्तनीय खाते का खोलना और (2) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक प्रमाण पत्र प्राप्त करना, बताए जाने पर भी पूरा नहीं किया ।

आपातकालीन उपायों का उल्लंघन करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

314. **श्री राज राज सिंह देव :**
श्री वीरभद्र सिंह :

(क) **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद आपात-कालीन उपायों का उल्लंघन करने वाले कितने केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध, मन्त्रालय-वार, कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखता है ।

सीमेंट का उत्पादन

315. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् सीमेंट उद्योग ने बहुत अधिक प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1976 मास में कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ है; और

(ग) क्या उसके मन्त्रालय को आशा है कि वर्ष 1975-76 में सीमेंट का कुल उत्पादन वर्ष 1974-75 के उत्पादन से अधिक होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी, 1976 में 94 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ था ।

(ग) जी, हां । 1974-75 की अवधि में 146.5 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ था, जबकि 1975-76 में लगभग 170 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन होने की आशा है ।

तमिलनाडु में 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति

316. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां के शासकीय प्रशासन में सुधार लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नये शासन के अन्तर्गत तमिलनाडु में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस सीमा तक लागू किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के परिणामस्वरूप तमिलनाडु में प्रशासन को गतिशील बनाने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं । 20 सूत्री आर्थिक कार्य-क्रम को तेजी से लागू करने के लिए राज्य प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है तथा उसके अधीन प्रगति की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए भी प्रबन्ध किये गये हैं ।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता

317. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी-कितनी प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को अन्य दो पर्वतीय क्षेत्रों के समकक्ष लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वे सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए है ।

(ख) स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में एक एकीकृत उप-योजना तैयार की गई है और इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा । राज्य योजना की वित्त व्यवस्था के लिए दी गई कुल केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, इस उप-योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के प्रयत्नों में सहायता के रूप में राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1973-74, 1974-75 और 1975-76 में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश (पर्वतीय क्षेत्र) को दी गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहयता ।

(प्रति व्यक्ति रु०)

राज्य	1973-74	1974-75	1975-76
हिमाचल प्रदेश . .	67.7	64.6	68.3
जम्मू और कश्मीर . .	70.6	65.4	67.1†
उत्तर प्रदेश—पर्वतीय क्षेत्र .	‡	31.4§	31.4§

"फास्त ब्रीडर टक्नोलोजी" के आधार पर काम करने के लिए नया "रिएक्टर रिसर्च सेन्टर"

318. **श्री पी० गंगा देव :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्ट ब्रीडर टैक्नोलोजी, के आधार पर काम करने वाले नये "रिएक्टर रिसर्च सेन्टर" के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों से लाभ उठाने के लिए विभिन्न नये अनुसन्धान कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी हां । बिजली का उत्पादन करने के लिए फास्ट ब्रीडर तकनीक से सम्बन्धित अनुसन्धान एवं विकास-कार्य करने के लिए एक रिऐक्टर अनुसन्धान केन्द्र तमिलनाडु में कलपक्कम नामक स्थान पर पहले से ही स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग जिन अनुसन्धान एवं विकास-कार्यक्रमों को हाथ में लेगा, उन कार्यक्रमों का ब्यौरा इस विभाग के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन में, जो कि माननीय सदस्यों के लिए प्रचारित किया जा चुका है, दिया गया है । उस प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं ।

---

†इसमें अग्रिम योजना कार्य के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है ।

‡योजना आयोग द्वारा कोई विशेष सहायता नहीं दी गई ।

§यह केवल विशेष केन्द्रीय सहायता है । इसमें राज्य की वार्षिक योजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता शामिल नहीं है । इस प्रकार अन्य राज्यों के आंकड़ों से इजसकी तुलना नहीं की जा सकती ।

विद्युत प्रजनन के लिए अपेक्षित परमाणु कच्चे माल में आत्मनिर्भरता

319. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत प्रजनन तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित परमाणु कच्चे माल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या परमाणु विद्युत् से भारत में कुल विद्युत्-प्रजनन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग विद्युत् उत्पादन एवं अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक यूरेनियम, थोरियम, जर्कोनियम, हीलियम, नायोबियम, टैंटेलम आदि जैसे विभिन्न प्रकार के न्यूक्लीन कच्चे माल का पता लगाने के लिए क्रमबद्ध एवं नियमित रूप से पूर्वेक्षण करता रहता है। पूर्वेक्षण की नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यूरेनियम, थोरियम तथा जर्कोनियम के पर्याप्त भंडारों का पता लगाया जा चुका है।

(ख) तथा (ग) आने वाले कुछ वर्षों में, देश में कुल विद्युत् की आवश्यकता को पूरा करने में परमाणु बिजली का योगदान, विभिन्न अवरोधी कारणों से निश्चय ही सीमित रहेगा। औद्योगिक ढांचे का विकास होने तथा अत्यधिक जटिल उपकरणों का देश में ही निर्माण करने की क्षमता में वृद्धि होने तथा साधनों के उपलब्ध होने के साथ-साथ देश के कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जहां तापपन बिजली का उत्पादन करने की सम्भावना सीमित ही है, बिजली पैदा करने के कार्यक्रम में परमाणु बिजली का योगदान महत्वपूर्ण रहने की आशा की जा सकती है।

भारतीय मानक संस्था

320. **श्री पी० गंगा देव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था विदेशों में "आई० एस० आई०" चिन्ह को लोकप्रिय बनाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मानक संस्था ने उन सभी देशों का पता लगा लिया है जो भारतीय उत्पादों का आयात करते हैं;

(ग) क्या भारतीय मानक संस्था उन देशों की मानक संस्थाओं से "आई० एस० आई" चिन्ह को अपने मानक चिन्हों के बराबर मान्यता देने के लिए प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) भारतीय मानक प्रमाणीकरण चिन्ह को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से देश तथा अन्य देशों में दिखाई जाने के लिए 'स्टैम्प आव क्वालिटी' नामक एक विशेष फिल्म बनायी गयी थी। इसके साथ-साथ एक

विशेष "खरीदार गाइड" तैयार की गयी थी जिसमें भारतीय मानक प्रमाणीकरण चिन्ह लगे उत्पादों तथा प्रत्येक उत्पाद की निर्माता फर्मों की एक सूची दी गयी है । समुद्रपार स्थित देशों के कई भारतीय दूतावासों में इस प्रकाशन का परिचालन किया गया था । ऐसे देशों का पता लगाने की दृष्टि से भारतीय मानक संस्था निर्यात के ब्यौरों का विश्लेषण कर रही है ताकि यह पता लगाने के लिए इन देशों से बातचीत की जा सके कि क्या ये देश बिना और अधिक निरीक्षण किए आई० एस० आई० चिन्हित माल स्वीकार कर लेंगे ।

एक योजना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जा रही है ताकि सदस्य देश और आगे जांच पड़ताल किए बिना एक राष्ट्रीय निकाय अथवा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए इसी प्रकार के संगठन द्वारा चिन्हांकित उत्पादों को वे परस्पर स्वीकार कर सकें । मानकीकरण (आई० एस० ओ०) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने एक पुस्तिका भी संकलित की है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश में हो रही चिन्हांकन प्रमाणन सम्बन्धी गति-विधि और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में सूचना दी गयी है । इसमें भारतीय मानक संस्था की चिन्हांकन प्रमाणीकरण योजना की सूचना भी शामिल है । इस पुस्तिका की प्रतियां प्रमाणीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसके अब 81 सदस्य हैं के सभी सदस्य देशों में परिचालित कर दी गई है ।

ब्रिटिश स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूशन तथा भारतीय मानक संस्था के विचाराधीन एक यह प्रस्ताव भी है कि क्या सम्बन्धित देश पारस्परिक आधार पर प्रमाणीकरण चिन्हांकन को मान्यता दे सकते हैं ।

अवैध रूप से चल रहे बन्दूक कारखानों का पता लगाना

321. **श्री राम भगत पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ अन्य भाग, में अवैध रूप से चल रहे कुछ बन्दूक कारखानों का हाल ही में पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सिवाय मिजोराम के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम व उत्तर प्रदेश तथा किसी संघ शासित क्षेत्रों में ऐसे कारखाने का 29-2-1976 तक पता नहीं लगा है ।

शेष राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र मिजोरम के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

झारगुडा में विश्व में सब से मोटी कोयले की परत का पता लगाना

322. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेण्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड को झारगुडा कोयला खान में विश्व की सबसे मोटी कोयले की परत का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इसका सम्बन्ध सम्भवतः सिंगरौली कोयला क्षेत्र के झोंगुर्दा ब्लाक (मध्य प्र देश) से है। अन्दर को मुड़ी हुई झोंगुर्दा की ऊपरी कोयला परत को पहले ज्ञात अधिकतम मोटाई 131.83 मीटर थी जो संसार को सबसे मोटी कोयला परतों में से थी। लेकिन हाल ही में एक बोरिंग-छिद्र से 160.35 मीटर की मोटाई का पता चला है जो उपलब्ध भूगर्भीय रिकार्ड के अनुसार संसार की सबसे अधिक मोटी परत है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न केन्द्रीय और तकनीकी सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती

323. **श्री धासनकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न केन्द्रीय तथा तकनीकी सेवाओं के लिए की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदकों और परीक्षार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए कोई मशीनीकृत प्रक्रिया अपनाने और आवेदकों के चयन के लिए कोई नयी तकनीक अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवार आगे आ रहे हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवारों के न मिलने के कारण कितने प्रतिशत पद खाली छोड़ दिये जाते हैं और आरक्षित पदों के लिए आवेदकों को खोजने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) संघ लोक सेवा आयोग आवेदन पत्रों की संवीक्षा की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर यन्त्रीकरण का सहारा ले रहा है। आयोग ने कार्य पद्धतियों की पुनरीक्षा की है तथा उन्हें सुप्रवाही भी बनाया है और कार्य पद्धतियों को काफी सरल भी किया है। अब तक उपलब्ध मशीनों के जरिये कार्य को निबटाया जाना सम्भव हो सका है। किन्तु कार्यभार को बढ़ती हुई प्रवृत्ति के आधार पर और आधुनिक तथा वैज्ञानिक भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कम्प्यूटरकृत प्रणाली को लागू करने की दृष्टि से कदम उठाये हैं।

(ख) वर्ष 1964 से आगे भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा और श्रेणी 1 की ऐसी केन्द्रीय सेवाओं में भी जिनमें भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाती है, सभी आरक्षित रिक्तियों को सिवाय एक अथवा दो परीक्षाओं के जिनमें अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में कमी हुई है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति द्वारा भरा गया है, किन्तु केन्द्रीय सेवाओं (तकनीकी) की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है।

(ग) 1972, 1973 और 1974 के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण, न भरे गये पदों का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

(1) अखिल भारतीय सेवाएं :—अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा है, परन्तु अनुसूचित आदिम जातियों के कोटे में 3.2 प्रतिशत की कमी है।

(2) केन्द्रीय सेवाएं :—इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों के कोटे में 1 प्रतिशत (गैर-तकनीकी) तथा अनुसूचित आदिम जातियो के कोटे में 41.5 प्रतिशत की कमी है।

(3) केन्द्रीय सेवाए :—इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों के कोटे में 77 प्रतिशत और (तकनीकी) अनुसूचित आदिम जातियों के संबन्ध में 98.5 प्रतिशत की कमी है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियो को सेवाओं में लेने में सुधार लाने के लिए, इन समुदायों के उम्मीदवारों को अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं और राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी के रूप में देश के विभिन्न भागों में स्थित परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुशिक्षण (कोचिंग) दिया जाता है। इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं के लिए भी दो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हैं। उन उम्मीदवारों के लिए चार अनुशिक्षण-एवं मार्ग दर्शन केन्द्र खोले गये हैं जिनका नाम श्रेणी–III के पदों के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है।

पुराने एवं अनुपयोगी वाहनों के निपटान में कथित घोटाला

324. **श्री मूलचंद डागा :** क्या **रक्षा मंत्री** पुराने एवं अनुपयोगी वाहनों के निपटान में कथित घोटाले के बारे में 10 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सेंण्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी में काम करने वाले कुछ कर्मचारियो ने आवंटन नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करके उन्हें आवंटित वाहनो को बेच दिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में शिकायत भी प्राप्त हुई थी और जांच के दौरान कुछ लोगों ने वाहनों को बेचना स्वीकार भी कर लिया था; और

(ग) यदि हां, तो मामसे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सेण्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी के कर्मचारियों द्वारा ऐसे वाहनों की बिक्री किए जाने के बारे में कोई शिकायत/सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो उन्हे आवंटित किए गये हों। सेण्ट्रल व्हीकल डिपो दिल्ली छावनी के सम्बन्ध में जो गड़बड़ी पहले सूचित की गई थी और जिसकी जांच-पड़ताल चल रही है वह भूतपूर्व सैनिको को आवंटित किए गये अनुपयोगी/छांट कर निकाल दिए गये वाहनों से सम्बन्धित है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेण्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी में इन कथित गड़बड़ियों से सम्बन्धित दो मामले दर्ज किए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच-पड़ताल में ऐसा कोई अपराध स्वीकार नहीं किया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रजिस्टर किए गये मामलों में उनके द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों मे गैर जनजातियों लोगों की घुसपैठ को रोकना

325. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों के वर्गीकरण के निश्चित न होने के कारण कथित अनुसूचित क्षेत्रों में गैर जनजातीय लोगों की घुसपैठ हो रही है और इससे जनजातीय लोगों को उनकी परम्परागत भूमियों से उखाड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के संगठित जनजातीय क्षेत्रों में गैर-जनजातीय लोगों के प्रवेश को रोकने के लिये उन क्षेत्रों के बचाने हेतु क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में जनजातीय लोगों को सम्बद्ध करने के लिये किस तन्त्र की स्थापना की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है । किन्तु त्रिपुरा भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1975 में विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें प्रधानतः जनजातियो से आबाद कुछ गांवों तथा तहसीलों की जानकारी प्राप्त की गई है । जन जातियों की भूमि के संरक्षण और उनको पूर्व क्रय अधिकार देने के विशेष प्रावधान किये गये हैं ।

(ग) राज्य स्तर पर जन-जातीय समिति विकास कार्यक्रम तथा जन जाति के हितों को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के साथ सम्बद्ध है ।

1975–76 में त्रिपुरा में उपयोजनाओं और समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन

326. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 में उपयोजनाओं तथा समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिये उपबन्धित 20 करोड़ की राशि में से त्रिपुरा का अंश क्या है; और

(ख) क्या त्रिपुरा के लिये किसी विस्तृत कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है और यदि हां, तो वे योजनाएं क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओममेहता): (क) वर्ष 1975–76 में त्रिपुरा सरकार को जन जातीय उप-योजना के लिये 31 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है ।

(ख) त्रिपुरा उपयोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पटसन उत्पाद उपकर नियम, 1976

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पटसन उत्पाद उपकर नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 89 (ङ) में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 10389/76]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 10390/76]

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय नमक अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 81(ङ) और 82(ङ) जो दिनांक 16 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०सां०नि० 267 और 268 जो दिनांक 28 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०सां० नि० 271 जो दिनांक 28 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 10391/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 21 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 238 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 1 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 100 (ङ) में प्रकाशित हुए में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 10392/76]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 94 (ङ) और 95 (ङ) जो दिनांक 25 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०सां०नि० 101(ङ) और 102 (ङ) जो दिनांक 1 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०सां०नि० 104(ङ) जो दिनांक 1 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 10393/76]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन तथा इनके विलम्ब से रखे जाने का कारण बताने वाला विवरण

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1972–73 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 10394/76]

नौसेना औपचारिकता सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम 1975, नौसेना अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं भारत डायनैमिक्स लिमिटेड हैदराबाद, गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड कलकत्ता, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बंगलौर, के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन और उनके लेखा परीक्षित लेखे

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पट पर रखता हूं ।

(1) नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसैनिक औपचारिकता सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि० आ० 237 में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 10129/76]

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नौसेना छुट्टी (पहला संशोधन) विनियमन, 1976 जो दिनांक 21 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 29 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियमन 1976, जो दिनांक 21 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि० आ० 32 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 10395/76]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत डायनैमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1975–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(तीन) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(चार) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 10396/76)

Beas construction Board Rules, 1976

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheswar Prasad): I beg to lay on the Table :

A copy of the Beas Construction Board Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 242 in Gazette of India dated the 21st February, 1976, under sub-section (3) of section 97 of the Punjab Reorganization Act, 1966. [Placed in Library. See, No. L. T. 10397/76]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 8 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 8 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

महासचिव : मैं निम्नलिखित विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 1976

(दो) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1976

सभापति तालिका के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE. PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मैंने श्री पी० पार्थसारथी को, श्री एच०के० एल० भगत के स्थान पर, जिन्हें मन्त्री नियुक्त किया गया है, सभापति-तालिका में नामनिर्दिष्ट किया है।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

(श्री डी० बसुमतारी कोकराझार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये 1 अप्रैल, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1ख द्वारा अपेक्षित रीति से अनुचचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये 1 अप्रैल, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में सहयोजित करने के लिए 1 अप्रैल, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये राज्य सभा से दस सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हों और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में सहयोजित करने के लिए

1 अप्रैल, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

रेलवे बजट, 1976–77

RAILWAY BUDGET 1976-77

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं 1975–76 के संशोधित अनुमान और 1976–77 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं ।

यह वर्ष निश्चय ही सही अर्थों में महत्वपूर्ण वर्ष रहा है । देश में नयी चेतना और संकल्प भावना जागृत हुई है । रेलों ने देश की सेवा में रचनात्मक योगदान किया है और कार्य संचालन में कई नये रिकार्ड स्थापित करके इतिहास बनाया है ।

वित्तीय परिणाम : 1974–75

चालू वर्ष के संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करने से पहले मैं संक्षेप में पिछले वर्ष अर्थात् 1974–75 के वित्तीय परिणामों की समीक्षा करूंगा ।

1974–75 के संशोधित अनुमान में 128.19 करोड़ रुपये के घाटे की प्रत्याशा की गई थी । मुझे सदन को यह बताते हुये प्रसन्नता है कि वास्तव में वर्ष के अन्त में यह घाटा कम होकर 113.82 करोड़ रुपये रहा है । संचालन परिणाम के अन्तर्गत 14.37 करोड़ रुपये के अन्तर का मुख्य कारण यह था कि संशोधित अनुमान की तुलना में यातायात से कुल प्राप्ति 7.04 करोड़ रुपये अधिक रही और साथ ही संशोधित अनुमान तैयार करते समय पहले से 50 करोड़ रुपये की जिस बचत का वादा किया गया था, उसके अलावा साधारण संचालन व्यय में 5.27 करोड़ रुपये की और बचत हुई है । इसके अतिरिक्त वास्तविक संगणना के अनुसार सामान्य राजस्व को लाभांश के रूप में 1.86 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया और 'विविध संव्यवहार' के अन्तर्गत भी 0.20 करोड़ रुपये की थोड़ी-सी बचत हुई ।

1974–75 के अन्त में विकास निधि और राजस्व आरक्षित निधि के अन्तर्गत रेलों पर सामान्य राजस्व का 379.75 करोड़ रुपये का ऋण शेष था ।

संशोधित अनुमान : 1975–76

पूर्वानुमान था कि वर्ष 1975–76 आशा, स्थिरता और निरन्तर प्रगति का वर्ष रहेगा । 23.03 करोड़ रुपये के अधिशेष का अनुमान लगाते समय बजट अनुमान इस प्रत्याशा पर आधारित था कि पिछले वर्ष से यातायात में वृद्धि की जो गति आयी है, 1975–76 में वह और तीव्र होगी । सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि न केवल यह प्रत्याशा पूरी हुई, वरन् रेलों ने

अर्थ व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप उपलब्ध अवसर का भरपूर लाभ उठाया है। आपात स्थिति की घोषणा के परिणामस्वरूप काम की जो अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई, उससे रेलों ने अपने परिचालन कार्य में पर्याप्त सुधार किया है। भाड़ा यातायात के परिवहन में नये कीर्तिमान स्थापित हुये हैं और सभी मार्गों पर कोटा प्रणाली और मार्ग सम्बन्धी अन्य प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं।

भाड़ा यातायात का रिकार्ड लदान

दिसम्बर, 1975 में औसतन प्रतिदिन बड़ी लाइन पर 24,957 और मीटर लाइन पर 6,041 माल डिब्बों का लदान हुआ और प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक भाड़ा यातायात 172.3 लाख मीटरिक टन रहा। ये इस महीने के ही रिकार्ड आंकड़े नहीं थे बल्कि पिछले किसी भी महीने में तदनुरूपी आंकड़ों से कहीं अधिक थे और फिर अगले ही महीने--जनवरी, 1976 में यह रिकार्ड भी टूट गया जब औसतन प्रति दिन बड़ी लाइन पर 25,065 और मीटर लाइन पर 6,480 माल डिब्बों का लदान हुआ और प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक भाड़ा यातायात कुल मिलाकर 179.4 लाख मीटरिक टन हो गया।

कोयला यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रेलों के कुल भाड़ा यातायात में एक तिहाई कोयला है और देश की अर्थ-व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इस्पात कारखानों, बिजली घरों और सीमेंट फैक्टरियों जैसे सभी प्रमुख उपभोक्ताओं की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया गया और उनके पास पर्याप्त स्टाक मौजूद हैं। ईंट के भट्टों जैसे अन्य उपभोक्ताओं के लिये भी कोयले की ढुलाई में काफी सुधार हुआ है। सीमेंट के परिवहन में भी गति आयी है। हर महीने लगभग दस लाख मीटरिक टन सीमेंट की ढुलाई हुई है; सदैव से अभावग्रस्त राज्यों को सीमेंट की पर्याप्त सप्लाई हुई है; और उनमें से अनेक ने वितरण सम्बन्धी समस्त नियंत्रण हटा लिये हैं। अनिवार्य वस्तुओं जैसे अनाज, देशी और आयातित दोनों प्रकार के उर्वरक, इस्पात कारखानों को कच्चा माल और उनका तैयार माल, चीनी, नमक, पैट्रोलियम उत्पादन आदि की ढुलाई की मांग सन्तोषजनक ढंग से पूरी की गई है।

वर्तमान संगणना के आधार पर प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक भाड़ा यातायात यदि अधिक नहीं तो बजट प्रत्याशा के अनुसार 1900 लाख मीटरिक टन तक अवश्य पहुंच जाएगा। कुल प्रारम्भिक यातायात, जिसमें विभागीय यातायात भी शामिल है, लगभग 2140 लाख मीटरिक टन अर्थात् बजट के पूर्वानुमान से 40 लाख मीटरिक टन अधिक होने की सम्भावना है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उपर्युक्त प्रत्येक आंकड़े भारतीय रेलों के इतिहास में सर्वाधिक हैं और इनसे नया कीर्तिमान स्थापित होगा।

यात्री यातायात में वृद्धि

यात्री यातायात भी बजट के पूर्वानुमान से अधिक रहा है। इसके अलावा बिना टिकट यात्रा की व्यापक और कड़ी रोकथाम के परिणामस्वरूप टिकट खिड़कियों पर बिक्री भी बढ़ी है।

पिछले वर्ष अप्रैल से दिसम्बर, तक 42 नयी अनुपनगरीय गाड़ियां चलायी गयीं। इस वर्ष अब तक 14 और गाड़ियां चलायी गई हैं और 4 गाड़ियों के फेरे बढ़ा दिये गये हैं। 20 जोड़ी गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है। 1-11-1975 से 52 डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों सहित

कुल 182 गाड़ियों के यात्रा समय में 15 मिनट या इससे अधिक की कमी की गयी है। इन सभी गाड़ियों का ब्यौरा अलग पुस्तिका में दिया गया है जो बजट प्रलेखों के साथ अलग से वितरित की गई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं सवारी गाड़ियों की और अधिक व्यवस्था करने की मांग के प्रति पूर्णत: सजग हूं और साधनों की उपलब्धता के अनुसार उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा।

यातायात से प्राप्तियों में सुधार

इन सभी तथ्यों को देखते हुये अब यातायात से 1762.75 करोड़ रुपये कुल आमदनी प्राप्त होने का अनुमान है जो 1676.86 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 85.89 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें नवम्बर-दिसम्बर 1975 से लागू कुछ वस्तुओं के वर्गीकरण में किये गये परिवर्तनों का प्रभाव भी शामिल है,। लेकिन, वास्तव में प्राप्त होने वाली नकद राशि बजट अनुमान की प्रत्याशा से 19 करोड़ रुपये कम रहने की सम्भावना है जिसका प्रमुख कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ प्रमुख माल प्राप्तकर्ताओं में अपेक्षाकृत मन्द गति से भुगतान किया। अत: प्राप्तियों में शुद्ध वृद्धि 66.89 करोड़ रुपये होगी।

बजटोत्तर दायित्वाँएं

प्राप्तियों में इस वृद्धि से रेलों के संकट से उबरने की सम्भावना बढ़ गई क्योंकि रेलों को 89.92 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त हुआ जो बजट के 23.03 करोड़ रुपये के पूर्वानुमान से लगभग चार गुना है। लेकिन जैसे-जैसे वर्ष बीतता गया, रेलों को एक के बाद एक भारी वित्तीय बोझ वहन करने पड़े और कुल मिलाकर यह बोझ इतना अधिक हो गया कि अनवरत कड़े प्रयास के बावजूद संचालन व्यय में बचत से इस पूरे बोझ को सम्हालना सम्भव नहीं हो सका।

अकेले कर्मचारियों पर होने वाला खर्च ही 111 करोड़ रुपये बढ़ गया। इसमें फरवरी, 1976 में स्वीकृत रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के परिणाम-स्वरूप 10.14 करोड़ रुपये का वह खर्च शामिल नहीं है जिसे बचत से पूरा किया गया। इसमें से 103 करोड़ रुपये कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते की पांच अतिरिक्त किस्तों की पूर्व-तिथि से स्वीकृत और 8 करोड़ रुपये बजट के बाद सेवा-निवृत्त लाभों के उदारीकरण के कारण बढ़े हैं। मूल्यों में प्रत्याशा से अधिक वृद्धि के कारण बजट व्यवस्था की अपेक्षा खर्च 24.52 करोड़ रुपये बढ़ गया। ईंधन की खपत में किफायत के परिणामस्वरूप 5.85 करोड़ रुपये की बचत की गई लेकिन इसके बावजूद मूल्य-वृद्धि के कारण ईंधन पर 15.18 करोड़ रुपये अधिक व्यय हुआ। इस्पात, सीमेंट और स्नेहक जैसे अन्य प्रमुख सामानों की लागत में वृद्धि के कारण भी खर्च 9.34 करोड़ रुपये बढ़ गया। आपातकाल की घोषणा के परिणामस्वरूप उत्पादकता बढ़ाकर चलस्टाक की मरम्मत और उसके अनुरक्षण के पिछड़े काम को और तेजी से पूरा करने के कारण खर्च में 11.60 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। बाढ़ और तूफान से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की पुनर्व्यवस्था पर 4 करोड़ रुपये खर्च हुये जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था।

1449.95 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में खर्च में 152.36 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि में से 151.12 करोड़ रुपये की वृद्धि ऐसे खर्चों के कारण हुई, जो रेलवे के नियंत्रण

से बाहर थे। अभिसमय समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, जिसका मैं उल्लेख करूंगा, कुछ राहत प्रदान की है। उसका लाभ उठाने के बाद भी सामान्य राजस्व को लाभांश की देय राशि 0.37 करोड़ रुपये बढ़ जाने की सम्भावना है और इस तरह यह राशि 198.25 करोड़ रुपये होगी।

बजट के बाद की जिन बढ़ी हुई वित्तीय दायिताओं का उल्लेख मैंने किया है, उनके परिणाम-स्वरूप सामान्य राजस्व को लाभांश सम्बन्धी दायिता का निर्वाह करने के लिये रेलों को 62.81 करोड़ रुपये की कमी पड़ेगी। फिर भी, रेलें अधिक राजस्व उपार्जन के लिये निरन्तर जोरदार प्रयास कर रही हैं। आशा है, हम संशोधित अनुमान की अपेक्षा 30 लाख मीटरिक टन अधिक राजस्व उपार्जक यातायात की ढुलाई कर सकेंगे और इस तरह ढोया जाने वाला प्रारम्भिक भाड़ा उपार्जक यातायात कुल मिलाकर 2170 लाख मीटरिक टन हो जायेगा। इससे निश्चय ही घाटा कुछ हद तक 62.81 करोड़ रुपये से कम हो जायेगा। लेकिन फिर भी विकास निधि से खर्च के लिये सामान्य राजस्व से ऋण लेना होगा और राजस्व आरक्षित निधि में कुछ भी जमा करना सम्भव नहीं होगा।

सेवा का स्तर

इस वर्ष परिणाम की दृष्टि से ही नहीं अपितु सेवा-स्तर में भी सफलतायें प्राप्त की गई हैं। सभी क्षेत्रीय रेलों में समय-पालन में सुधार की सदन ने सराहना की है। चल-स्टाक के आवधिक ओवरहाल का जो बकाया काम पिछले कुछ वर्षों में इकट्ठा हो गया था, उसे उत्तरोत्तर पूरा किया जा रहा है। और सवारी डिब्बों की सफाई और गाडियों में रोशनी की व्यवस्था के स्तर मे सुधार किया जा रहा हैं। स्टेशन अब अधिक साफ-सुथरे और आकर्षक रहते हैं। आरक्षण आसानी से हो जाता है। कर्मचारी यात्रियों की जरुरतों की ओर अधिक तत्परता से ध्यान देते हैं। ग्राहकों के प्रति विनम्रता अब सभी स्तर के रेल कर्मचारियों के लिये अनिवार्य अपेक्षा है। माल की ढुलाई में अब कम समय लगता है।

1975–76 के लिये योजना परिव्यय

आपात स्थिति की घोषणा के फलस्वरूप सवारी और माल डिब्बा कारखानों में उत्पादन बढ़ा है जिससे ये कारखाने योजना बजट में की गई व्यवस्था और प्रत्याशा से कहीं अधिक संख्या में सवारी और माल डिब्बे देने में सफल रहे हैं और इस तरह चल-स्टाक के लिये धन की जरूरत और बढ़ गई है। निर्यात के उद्देश्य से चल-स्टाक के निर्माण पर खर्च के लिये भी रेलों को धन की आवश्यकता थी। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और 58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की गई है। इसके साथ ही, वर्ष के दौरान जितने भंडार की आवश्यकता थी, केवल उतनी ही मात्रा में भंडार खरीदने और कारखानों में किये गये काम के लिये वित्तीय समायोजन की सरल और कारगर प्रक्रिया अपनाने के फलस्वरूप सामान-सूची में लगभग 13.00 करोड़ रुपये की कमी हुई है जब कि 7.00 करोड़ रुपये की वृद्धि की प्रत्याशा थी। इस प्रकार जो अधिक साधन उपलब्ध हुये हैं, उनसे चल-स्टाक सप्लाई करने वालों के बिलों का भुगतान हो सकेगा और निर्यात आर्डर के लिये सक्रिय पूंजी की जरूरत भी पूरी हो जाएगी।

सदन को यह जानकार भी प्रसन्नता होगी कि हाल ही में माल-डिब्बा उद्योग को चौपहियों के हिसाब से, 15,555 माल-डिब्बों के निर्माण और उनकी सप्लाई का आर्डर दिया गया है। इससे इस उद्योग को निश्चय ही अपना उत्पादन जारी रखने के लिये पर्याप्त काम मिल जाना चाहिये।

1976–77 में योजना के साधन-स्त्रोत

सरकार के स्थायित्व कार्यक्रम के अन्तर्गत 1976–77 में निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम के लिये रेलों को केवल 392.81 करोड़ रुपये की राशि ही आवंटित की जा सकी है। इसमें निर्यात के लिये चल स्टाक के निर्माण पर खर्च के 5 करोड़ रुपये, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में निवेश के 10 करोड़ रुपये और महानगर परिवहन परियोजनाओं के 10 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। यद्यपि, तुलनात्मक दृष्टि से, यह राशि चालू वर्ष में आवंटित 361 करोड़ रुपये की राशि से कुछ अधिक है, तथापि 1976–77 के लिये निर्धारित योजना परिव्यय इतना नहीं है कि रेलें अपनी विकास योजनाओं को वांछित गति से कार्यान्वित कर सकें। फिर भी धन का विवेक-पूर्ण बंटवारा करके यह प्रयास किया जायेगा कि जितनी चालू योजनाओं को पूरा कर पाना सम्भव हो, उन्हें पूरा कर लिया जाये ताकि जितनी जल्दी हो सके, उनसे लाभ मिल सके और कुछ अन्य आवश्यक योजनाओं को शुरू किया जा सके।

1976–77 की वार्षिक योजना में नयी लाइनों के निर्माण और उखाड़ी गई लाइनों को फिर से बिछाने के काम पर खर्च के लिये केवल 17.52 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इनमें से 13.53 करोड़ रुपये परियोजनाओं से सम्बद्ध 11 लाइनों के निर्माण के लिये निर्धारित किये गये हैं और शेष 3.99 करोड़ रुपये विकास-कार्यों से सम्बन्धित 14 लाइनों के लिये आवंटित किये गये हैं, जिन पर काम पहले से चल रहा है। साधनों पर भारी दबाव को दृष्टिगत रखते हुये किसी अन्य नयी लाइन को बजट में शामिल करना सम्भव नहीं हो सका है।

माननीय सदस्यों द्वारा सदन में तथा अन्यत्र व्यक्त की गई इस इच्छा से मैं पूरी तरह अवगत हूं कि अनुमोदित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाये और अन्य नयी लाइनों तथा विकास योजनाओं का निर्माण शुरू किया जाये। अतिरिक्त योजना-निधि के लिये रेलवे की मांग के बारे में मैं योजना आयोग और अपने सहयोगी, वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस काम में मुझे जिस सीमा तक सफलता मिलेगी, उसी के अनुसार नयी लाइनों आदि की मांगों को पूरा करना सम्भव हो सकेगा।

प्रास्तावित निर्माण कम्पनी

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मेरे सम्मानित पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने उनका ध्यान इस ओर दिलाया था कि रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्त कम्पनी के रूप में एक परामर्श यूनिट का गठन किया गया है। रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड नामक यह कम्पनी विदेशों से अनेक काम प्राप्त करने में सफल रही है।

परामर्श सम्बन्धी अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने तथा रेलों के निर्माण के बारे में संसार भर में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिये, सरकार रेल मंत्रालय के तत्वावधान में

स्वायत्त कम्पनी के रूप में एक निर्माण यूनिट की स्थापना पर विचार कर रही है। यह कम्पनी विशेष रूप से विदेशों में रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिये अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। लेकिन, इस फर्म की सामान्य पूंजी में निवेश के लिये 1976-77 के बजट में धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि प्रस्तावित कम्पनी के गठन के लिये अन्तिम अनुमोदन अभी प्राप्त करना है। कम्पनी के गठन का अनुमोदन प्राप्त होते ही सम्बद्ध अनुदान के अन्तर्गत आवंटन की स्वीकृत रकम के भीतर ही पुनर्विनियोग द्वारा इसके लिये अपेक्षित धन की व्यवस्था की जायेगी। मैं सदन से इस व्यवस्था के अनुमोदन का अनुरोध करता हूं और नए उपक्रम की सफलता के लिए उनकी शुभ कामनाओं का आकांक्षी हूं।

हवडा-शियाखला रेलवे

भूतपूर्व हवड़ा-शियाखला रेलवे क्षेत्र में एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिये इस आधार पर संसद का अनुमोदन प्राप्त किया गया था कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार इस लाइन के निर्माण और परिचालन पर होने वाले खर्च में बराबर की हिस्सेदार होगी। लेकिन अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार ने अब यह सूचित किया है कि इस बोझ को उठाना उसके लिये सम्भव न होगा लेकिन इस लाइन के निर्माण के लिये वह निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कर सकेगी। इस अवसर पर मैं सदन को वित्तीय व्यवस्था में इस परिवर्तन की सूचना देना चाहता हूं।

रेलवे अभिसमय समिति

रेलवे अभिसमय समिति की दिसम्बर, 1975 की नवीनतम रिपोर्ट में उल्लिखित और संसद् द्वारा पिछले सत्र में अनुमोदित सिफारिशों में पहले दी गयी रियायतें जारी रखी गयी हैं। इसके अलावा, समिति ने यह सुझाव भी स्वीकार कर लिया है कि पांचवीं योजना अवधि में कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण की लागत के लिए स्वीकृत राशि जो अब तक विकास निधि में दिखायी जाती थी, पुंजी खाते में दिखायी जाये। ऐसी पूंजी पर सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान के लिए रेलें केवल तभी जिम्मेदार होती हैं जब वे अपनी लाभांश सम्बन्धी अन्य दायिताओं को पूर्ण रूप से वहन कर सकने में समर्थ हों। समिति द्वारा जो राहत दी गयी है, उसका समावेश बजट प्रलेखों में कर लिया गया है। रेलों द्वारा वहन की जाने वाली सामाजिक दायिताओं के सम्बन्ध में समिति ने अलग रिपोर्ट भी दी है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में राहत देने के लिए समिति की सिफारिशों पर सम्बद्ध मंत्रालयों आदि से परामर्श करना होगा। इस दिशा में तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है और जो परिणाम निकलेगा, उसकी सूचना समिति को दी जायेगी। अभिसमय समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने रेलों की समस्याओं को समझा है और उन्हें उनके प्रति सहानुभूति भी है। मैं इसके लिए उनका कृतज्ञ हूं।

बजट अनुमान : 1976-77

यात्री यातायात में लम्बे अर्से से चल रही वृद्धि में 1973-74 और 1974-75 में कुछ व्यवधान पड़ गया था, लेकिन अब इसमें फिर से वृद्धि शुरु हो गयी है। मूल्यों को कम

करने और कृषि, खनन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं। इन उपायों से प्राप्त सफलता 1975–76 के दौरान माल यातायात में वृद्धि के रूप में परिलक्षित है। इसके फलस्वरूप आगामी वर्ष अर्थ-व्यवस्था में और सुधार की आशा है। शीतकालीन वर्षा समय पर हुई है और रबी की फसल बहुत अच्छी होने की संभावना है। आशा है, अगला मानसून भी अनुकूल रहेगा। इन सबसे आगामी वर्ष रेलों में यात्री और माल यातायात दोनों में काफी बढ़ती होने की संभावना है। आशा है कि यात्री यातायात में 4 प्रतिशत, अन्य कोचिंग यातायात में पांच प्रतिशत और राजस्व उपार्जक माल यातायात में 120 लाख मीटरिक टन की वृद्धि होगी। लगभग 230 लाख मीटरिक टन के विभागीय यातायात को शामिल करके 1976–77 में कुल प्रारम्भिक माल यातायात 2250 लाख मीटरिक टन के लगभग पहुंच जायेगा।

यातायात से प्राप्तियाँ

यातायात में वृद्धि की इन संभावनाओं से अनुमान लगाया गया है कि किरायों और भाड़ों की वर्तमान दरों पर यातायात से कुल 1868.47 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इसमें यात्री यातायात से 518.01 करोड़ रुपये, 'अन्य कोचिंग' यातायात से 87.18 करोड़ रुपये, माल यातायात से 1240.28 करोड़ रुपये और फुटकर मद में 43.00 करोड़ रुपये आमदनी होगी। लेकिन संभव है कि इस आदमनी में से इस वर्ष 20 करोड़ रुपये की रकम वसूल न हो पाये।

संचालन व्यय

1976–77 में संचालन व्यय 1551.42 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस खर्च में कर्मचारियों की परिलब्धियों के सम्बन्ध में निरंतर बढ़ते हुए भारी बोझ के आलावा लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटे काम के नियम के कार्यान्वयन को पूरा करने, मियाभाय पंचाट को लागू करने, वेतन आयोग की सिफारिशों की असंगतियों को दूर करने और कुछ अराजपत्रित पदों की सेवा सम्बन्धी संभावनाओं में सुधार के प्रयोजन से उनका ग्रेड बढ़ाने के लिए होने वाले खर्च की भी व्यवस्था की गयी है। इस संचालन व्यय में, 1975–76 के दौरान ईंधन की कीमत में विभिन्न चरणों में अधिसूचित संशोधनों के पूरे वर्ष के प्रभाव तथा यातायात के निर्धारित स्तर की ढुलाई के लिए अपेक्षित ईंधन, चल-स्टाक की मरम्मत और ओवरहाल के पिछले बकाया काम को पूरा करने और परिसम्पत्तियों को सुन्दर और यातायात के योग्य बनाये रखने के लिए मरम्मत पर होने वाले अधिक खर्च के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

शुद्ध वित्तीय स्थिति

रेलवे अभिसमय समिति की अनुमोदित सिफारिश के अनुसार मूल्यहास आरक्षित निधि में विनियोग की राशि बढ़ाकर 135 करोड़ रुपये कर दी गयी है। पेंशन निधि में अंशदान की मात्रा भी बढ़ा कर 30 करोड़ रुपये कर दी गयी है, ताकि इस निधि से होने वाली प्रत्याशित अधिक निकासियों की जरूरत पूरी की जा सके। चालू लाइन निर्माण-राजस्व और विविध संव्यवहारों पर 22.82 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। सामान्य राजस्व दो देय लाभांश का अनुमान 207.60 करोड़ रुपये लगाया गया है। खर्च की इन मदों को शामिल कर लेने के बाद खर्च की अपेक्षा आमदनी कम रहेगी। अतः 78.37 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है।

बजट प्रस्ताव

मेरे सामने वस्तुतः बड़ा कठोर विकल्प है। मैं वर्तमान किरायों और भाड़ा दरों को यथावत् रहने दे सकता था और सहज ही अनुमोदन प्राप्त कर सकता था। लेकिन इससे बजट की इस खाई को पाटने के लिए साधन जुटाने की जिम्मेदारी सामान्य राजस्व पर आ पड़ती और आम जनता पर भारी बोझ डालना आवश्यक हो जाता। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार यह भी चाहती है कि घाटे की वित्त व्यवस्था पर अंकुश रखा जाये। इसलिये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रेलों के लिए केवल उतने ही अतिरिक्त साधन जुटाना उचित होगा, जिनसे उनकी वित्तीय सक्षमता सुनिश्चित हो सके।

प्रस्तावों के तर्क का आधार

1974-75 में यात्री किरायों में दो बार संशोधन किया गया। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यात्री किरायों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का मेरा कोई विचार नहीं है। अन्य कोचिंग यातायात के शुल्क- दर को भी मैं नहीं छेड़ रहा हूं। मेरे प्रस्ताव, जिनका मैं अब उल्लेख करूंगा, केवल माल यातायात तक सीमित हैं। इन प्रस्तावों को तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया है :—

पहला यह कि जहां तक संभव हो, जन-साधारण के पारिवारिक बजट पर अतिरिक्त बोझ न पड़ने दिया जाये। अतः यह निर्णय किया गया है कि खाद्यान्न, नमक—जो अन्यथा वर्गीकृत नहीं है, खाद्य तेल, गुड़, शक्कर और जागरी जो आम खपत की आवश्यक वस्तुएं हैं ; मुक्त रखी जायें। तिलहन, खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए कच्चा माल है। इसे भी मुक्त रखा जायेगा क्योंकि यदि इसके भाड़ा प्रभारों में कोई वृद्धि की जाती है तो इसका प्रभाव इससे बनने वाले पदार्थों पर भी पड़ेगा।

मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूं कि कोई ऐसा काम न किया जाये जिसका बढ़ते कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़े। तदनुसार उर्वरकों की ढुलाई की वर्तमान भाड़ा दरों में परिवर्तन करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूसरे यह कि अब 500 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले माल डिब्बा भार और सभी प्रकार के फुटकर यातायात के लिए भाड़ा दरों को अपेक्षाकृत लागत के अनुरूप निश्चित किया जाना चाहिए। 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए तो हमारी भाड़ा दरों के 'अधिक दूरी कम किराये वाले ढांचे' से अभी तक परिवहन की पूरी-पूरी लागत की वसूल नहीं हो पाती है। वास्तव में, जैसे-जैसे वहन दूरी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे रेलों की हानि बढ़ती जाती है। इसलिए 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए माल डिब्बा भार की दरों को दुरुस्त करना आवश्यक है।

प्रस्ताव

500 किलोमीटर की दूरी तक ढोये जाने वाले 'माल डिब्बा भार' में माल यातायात पर 5 प्रतिशत का पूरक प्रभार लागू किया जायेगा। 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ढोये जाने वाले माल डिब्बा भार में माल यातायात और सभी प्रकार के फुटकर यातायात पर 10 प्रतिशत का पूरक प्रभार लगेगा।

लेकिन खाद्यान्नों, उर्वरकों, खाद्य तेल, तिलहन, नमक जो अन्यथा वर्गीकृत नहीं है, गुड़, शक्कर और जागरी पर ये प्रभार लागू नहीं होंगे, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं।

माननीय सदस्यों को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें इन प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है।

प्रस्तावों का वित्तीय प्रभाव

प्रस्तावित पूरक प्रभार 1-4-1976 से लागू हो जायेंगें और इन से पूरे वर्ष में 87.35 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इस अतिरिक्त राजस्व से 78.37 करोड़ रुपये का संभावित घाटा 8.98 करोड़ रुपये की बचत में बदल जायेगा, जिसे विकास निधि में विनियोजित करने का प्रस्ताव है।

20 सूत्री कार्य क्रम

आपातकाल की घोषणा और उसके बाद 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रधानमंत्री के आह्वान से रेल कर्मचारियों में—उनके हर कार्यक्षेत्र में—उत्साह और अनुशासन की भावना की नयी लहर पैदा हुई है। उत्पादकता बढ़ी है। कार्य का निष्पादन तेजी से होने लगा है और अयोग्य तत्व निकाल बाहर किये गये हैं। रेलें तीव्रतम गति से काम कर रही हैं और भविष्य की चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध हैं।

रेलवे सहकारी ऋण समितियों ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है और परिणामतः वित्तीय सहायता चाहने वाले रेल कर्मचारी आदायगी की आसान शर्तों पर उनसे ऋण ले सकते हैं।

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की अपेक्षाओं के अनुसार रेलें केवल लगभग 6,000 अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण देती रही हैं। प्रधान मंत्री द्वारा घोषित नये आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से 6 सप्ताह की थोड़ी सी अवधि के भीतर ही अप्रेंटिसों की संख्या दुगुनी कर दी गयी थी। व्यावसायिक क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया है और अब न केवल कारखानों बल्कि लोको रनिंग शेडों मुद्रणालयों, खान-पान स्थापनाओं आदि में भी अप्रेंटिसों की भर्ती की गयी है।

उत्पादन कारखानों में कारखाना परिषदें बनायी गयी हैं, जिनमें प्रबन्धक और श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार वर्तमान कर्मचारी हित निधि समितियों, आवास समितियों, स्टेशन समितियों आदि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के कोटे में कमी पूरी करने के लिए जोरदार कार्यक्रम चालू किया गया है। अल्प-संख्यक समुदायों के साथ भी समुचित व्यवहार सुनिश्चित किया जायेगा।

रेल कर्मचारियों ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की शपथ ली है। विभिन्न स्टेशनों पर गोष्ठियां आयोजित की गयी है जिनमें सभी स्तर के रेल कर्मचारियों ने खुलकर भाग लिया है और कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी निष्ठा व्यक्त की है।

बेरोजगार इंजीनियरों के लिये रोजगार के अधिक अवसर

बेरोज़गार सिविल इंजीनियर स्नातकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना को फिर से परिपुष्ट किया जा रहा है और इसके लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक रेलवे निर्माण-कार्यों के टेंडर देने में उन्हें कुछ रियायतें दी गयी हैं और ठेकेदारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे ठेके की अवधि के दौरान-न्यूनतम संख्या में बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों को मासिक वृत्तिका देकर अपने यहां नियोजित करें।

श्रमिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण

1974 की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद प्रबन्धकों और श्रमिकों के संबंधों में सुखद स्थिरता आयी है और वे एक दूसरे की समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझने लगे हैं तथा समस्याओं को आपसी बातचीत से निपटाने के लिए समान रूप से इच्छुक हैं।

कर्मचारियों की शिकायतों का निराकरण

एक प्रबुद्ध नियोजक के नाते रेलों के प्रबन्धक कर्मचारियों की शिकायतों की ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग हैं। वर्तमान शिकायत निराकरण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है और क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया गया है। महाप्रबन्धकों और मंडल अधीक्षकों ने भी महीने में एक दिन निश्चित किया है, जब कर्मचारी उनसे मिलकर अपनी कठिनाइयों तथा शिकायतों पर खुलकर बात कर सकते हैं। उनकी कठिनाइयों और शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाती है। इस आशय के अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि मुख्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारी, एक कार्मिक विभाग से और एक लेखा विभाग से, निर्धारित समय पर मंडल आदि कार्यालयों का दौरा करें और कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करें तथा उन्हें देय रकमों का शीघ्र भुगतान करने की व्यवस्था करें।

समाजिक सुरक्षा के उपाय

अधिकांश रेल कर्मचारियों को काफी तनाव पूर्ण स्थिति में काम करना पड़ता है। इस लिए यह निश्चय किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में रेलों पर रेलवे भविष्य निधि निक्षेप से संबंद्ध बीमा योजना शुरू की जाये। इसके अन्तर्गत कम से कम पांच साल की सेवा करने के बाद यदि किसी कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी अथवा उत्तराधिकारियों को एक अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह राशि इस आधार पर निर्धारित की जायेगी कि कर्मचारी के भविष्य निधि लेखे में पिछले तीन वर्षों में औसतन कितनी राशि शेष रही है लेकिन यह राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को मुसीबत के समय आर्थिक मदद देने के संबंध में एक उपकारक निधि की स्थापना करने के प्रश्न पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मनोरंजन कार्य–कलाप

रेल कर्मचारियों में मनोरंजन की गतिविधियों को बढ़ावा देना हमारी कल्याण नीति का आवश्यक अंग है। इस नीति को अग्रसर करने के लिए संगीत, नृत्य, नाटक आदि की अंतर्मंडलीय और अंतर्रेलवे सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने का विचार है। इन प्रतियोगिताओं में रेल कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य भाग ले सकेंगे. इन गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शनों को सम्मानित किया जायगा और विजेताओं को समुचित पुरस्कार दिये जायेंगे।

अगली तैयारी

1975–76 रेलों की परिवहन क्षमता में पूर्व सुधार, उत्पादकता और समय पालन के उच्च स्तर, श्रेष्ठतर अनुशासन और बेहतर सेवा जैसी विविध सफलताओं का वर्ष रहा है। पिछले कई वर्षों से प्रारम्भिक भाड़ा यातायात 20 करोड़ मीटरिक टन के आस-पास रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष इसकी मात्रा इससे कहीं अधिक रहेगी। कोई भी सफलता सभी स्तरों पर रेल कर्मचारियों के हार्दिक सहयोग तथा निष्ठापूर्ण कठिन परिश्रम के बिना संभव नहीं थी। श्रीमान् इस अवसर पर मैं रेल कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित कर्तव्य-निष्ठा और उत्तर-दायित्व की उच्च भावना की हृदय से प्रशंसा करना चाहूंगा। 1976–77 में हमारा संयुक्त प्रयास यह होगा कि हम न केवल इस वर्ष की उपलब्धियों को स्थायी बनायें बल्कि वास्तविक उपलब्धियों को और भी अधिक आगे ले जायें और साथ ही रेलों को आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनायें।

भारतीय रेलों का लक्ष्य है कि विकासमान अर्थ-व्यवस्था में अपने विरल संसाधनों का मितव्ययिता-पूर्वक प्रयोग किया जाये और उपयोगकर्ताओं को सन्तुष्ट रखा जाये क्योंकि हमारे लाखों-करोड़ों उपयोगतकर्ता हमसे यह आकांक्षा रखते हैं कि हम उन्हें भरोसे की, तेज और निरापद सेवा सुलभ करायें। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि इस सदन की शुभ-कामनाओं तथा सभी स्तर के रेल कर्मचारियों के एकजुट प्रयास के फलस्वरूप धुंधले अतीत से रेलों का एक नया रूप उभर कर सामने आयेगा। मेरी यह कामना साकार हो।

तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

STATUTORY RESOLUTION Re. PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF TAMIL NADU—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री के० ब्रम्हानन्द रेड्डी द्वारा 9 मार्च, 1976 को प्रस्तुत किये गये निम्न संकल्प पर आगे चर्चा की जायेगी :

> "कि यह सभा तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छद 356 के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्रीमती पार्वती कृष्णदन् (कोयम्बतूर) :तमिलनाडु में द्रुमुक सरकार अपात स्थिति विरोधी रवैया अपनाती रही है। वह 20 सूत्री कार्य क्रम को क्रियान्वित करने के स्थान पर उसे निष्फल करने के लिये विभिन्न उपायों का सहारा लेती रही है। द्रुमक के नेता प्रधानमंत्री तथा देश की सभी देशभक्त और लोक तांन्तिक शक्तियों के विरुद्ध निन्दनीय और झूठा प्रचार कर रहे थे। 27 जून के दल की कार्य कारणी समिति की एक बैठक मुख्य मंत्री के सभापतित्व में हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी देश कों तानाशाही की ओर ले रही हैं। श्री सझियान ने पूर्व से सरशिप पर चिन्ता व्यक्त की है। तमिलनाडु के समाचार पत्रों में सभी कुछ छपता रहा है। द्रमुक द्वारा पारित प्रस्ताव अमरीका तला ब्रिटेन के समाचार पत्रों में छपा है। यही कारण है कि साम्यवादी, दल अन्ना द्रमुक और देश की सभी लोक

तांत्रिक शक्तियां ऐसी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रपति शासन लागू करने से बहुत पूर्व से ही कार्यवाही करने की मांग कर रही थी। आपने उन्हें इस प्रकरा की आपातिजनक कार्यवाहियां क्यों करने दी ?

राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के तुरन्त बाद द्रमुक द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारी साम्यवादी पार्टी के तथा श्रमिक संगठनों के कार्यालयों में यह कहते हुए घुसे कि हम भारतीय साम्यवादी पार्टी और देश की लोकतान्त्रिक शक्तियों को समाप्त कर देंगे ।

पूरे तमिलनाडु में यह दर्शाने के लिय राजनीतिक तथा प्रशासनिक उपाय किय जा रहे थे कि तमिलनाडु शेष भारत से पृथक है। राज्य सरकार यह वक्तव्य देती रही थी कि केन्द्र चुनाव कराये या न कराये श्री करुणानिधि चुनाव करायेंगे और चुनाव के बाद वह मुख्य मंत्री नहीं बल्कि स्वतंत्र तमिलनाडु के प्रधान मंत्री बनेंगे। तमिलनाडु की जनता काफी समय से यह बातें सुनती आई है। इसी लिए 31 जनवरी को जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया राहत महसूस हुई और वहां की जनता के मन में आशा का संचार हुआ। अब यह सुनिश्चित करना केन्द्रीय सरकार का काम है कि लोगों की आशाएं भलीभूत हों। अब प्रमुख कार्य यह है कि तमिलनाड के लोगों को सक्षम तक स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराया जाये।

राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था कि जो बस के चालक दुर्घटना के लिये उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही न की जाये। आप यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं। तमिलनाडु की जनता बहादुर जनता है। उन्होने किसानों के ऋण मुक्त किये जाने के लिये आन्दोलन किये। द्रुमुक सरकार द्वारा वचनों के पूरा न किये जाने के विरुद्ध 1972 से ही आन्दोलन चलता रहा है।

कहा गया है कि तमिल नाडु की बदली हुई स्थिति तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन में लोगों को भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। हम इस बात पर भी बल देते रहे हैं कि तमिल नाडु का स्वारुप नहीं बदला जा सकता और गत चार पांच वर्षों की बुराइयों तथा हानियों पर तब तक नियंत्रण नहीं पाया जा सकता जब तक कि लोकतन्त्र तथा लोक तांत्रिक संस्थायें आगे न आयें। यह कहना गलत है कि राष्ट्रपति शासन में राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं है। 20 सूत्री कार्य क्रम में लोगों को सम्बद्ध करने की बात कही गई है तथा प्रधान मंत्री ने अपने कई भाषणों में लोगों से कहा है कि वे 20 सूत्री कार्य क्रम के कार्यान्वियन में सहभागी बनने के लिये आगे आये तो क्या कारण हैं कि अभी तक कार्यवयन समितियां सामने नहीं आई है ? जब कार्यन्वयन समितियां वन जायगी तभी लोगों के मन में विश्वास पैदा किया जा सकेगा।

श्री ओ० वी० अलगेशन : (तिरुत्तनी) : यह एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधान मंत्री ने विश्वव्यापी प्रतिष्ठा अर्जित की है। 15 फरवरी को मद्रास समुद्र तट पर अभूत पूर्व जन समूह ने एकत्र होकर केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही अर्थात राष्ट्रपति के शासन को लागू करने की सरहाना की है। इस प्रकार हमने पमिलनाडु की जनता की इच्छा का ही आदर किया है। जब किसी राज्य में कोई संवैधानिक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो वहां का प्रशासन चलाने के लिये व्यवस्था करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 356 का उपबन्ध किया गया है। भारत के कई राज्यों में ऐसा कई बार हुआ है।

लेकिन तमिलनाडु के मामले में यह एक नई बात है क्योंकि यह वैसी कार्यवाही नहीं है बल्कि बचाव की कार्यवाही है जिससे तमिल नाडु के लोगों की तनाशाही से रक्षा हुई है जो इससे पूर्व देश के किसी भाग में नहीं थी। इसीलिए तमिलनाडु की जनता ने मद्रास के समुद्र तट पर लाखों की संख्या में एकत्र होकर राष्ट्रपति शासन की घोषणा वाले दिन को पर्व के रूप में मनाया है।

इससे पूर्व इस प्रकार के गम्भीर अपराध के आरोप में किसी सरकार को समाप्त नहीं किया गया है। राज्यपाल की रिपोर्ट द्रमुक सरकार की त्रुटियां और खामियों से भरी अपराधजनक कार्यों की एक लम्बी सूची है। इस रिपोर्ट को पढ़ने पर कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत हो जायेगा कि यह कार्यवाही शीघ्रता से नहीं की गई है। श्री सेझियान ने जांच आयोग की नियुक्ति पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि ये लोग दोषी पाये गये तो उनकी पार्टी स्वयं ही उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

इस बात की बहुत शिकायत की गई है कि पहले के मामलों में की गई कार्यवाही इस जैसी नहीं थी। मामले के गुण दोषो के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। सभी मामलों में एक समान कार्यवाही किये जाने की आशा नहीं की जानी चाहिए।

यह बात सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सन मद्रास में हुआ है जिसके प्रशासन की प्रशंसा शुरू ही से देश भर में होती रही है। अब सबसे पहला काम तमिलनाडु के लोगों को अच्छा, कार्यकुशल तथा ईमानदार प्रशासन प्रदान करना है। द्रमुक सरकार ने अपने शासनकाल में मद्रास के स्वच्छ प्रशासन को विकृत किया है। जिन लोगों ने द्रमुक सरकार के नापाक इरादों तथा कार्यवाहियों के लिये अपना सहयोग दिया है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिये।

द्रमुक सरकार ने तमिलनाडु में आपातकालीन स्थिति पूर्णतः लागू नहीं की थी।

इसके बाद लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourmed for Lunch till Fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes Past Fourteen of the clock

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

Mr. Deputy Speaker in the Chair

तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उदघोषणा के बारे में संविधान संकल्प—जारी

Statutory Resolution Re. President's Proclamation in relation to the state of Tamil Nadu—Contd.

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : दोनों पक्ष के अनेक सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय को 5.15 म०प० पर बुलाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा ऐसा ही चाहती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अलगेशन अपना भाषण जारी रखें।

श्री ओ० पी० अलगेशन : मैं कह रहा था कि आपातकालीन स्थिति का चांद तमिलनाडु में नहीं चमका जबकि यह देश के अन्य भागों में चमका था। अन्य राज्यों में इस बीच बहुत अच्छे-अच्छे काम हुये हैं तथा भ्रष्ट लोगों की छंटनी की गयी है लेकिन तमिलनाडु में यह सब नहीं हुआ है। आशा है कि इस कमी को अब पूरा किया जायेगा।

अब नये शासन को अनेक मामलों पर विचार करना है तथा निर्णय लेने हैं। इस बात को मैं महसूस करता हूं कि इसका काम बहुत कठिन है । लेकिन फिर भी काम तो करने ही हैं तथा लोगों को संतुष्ट करना ही है ।

विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिये नियुक्तियां भाई-भतीजावाद के आधार पर की गयी। मंत्रियों के निकट सम्बन्धियों के सीधे डिप्टी क्लेक्टर नियुक्त किया गया। अब इस स्थिति का समाधान कैसे किया जाये। तामिलनाडु के नये शासन के सामने अब यही समस्या हैं।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। प्रशासन के हर अंग में भ्रष्टाचार घस गया है। द्रमुक सरकार ने भ्रष्टाचार को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना दिया था। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाये ? वहां के मंत्रियों ने तो रिश्वत दरों सम्बन्धी सार-संग्रह ही बना रखा था (**व्यवधान**) वहां की द्रमुक सरकार ने सारे काम अपने दल के हितों में किये हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लोगों को धोखा देने वाले द्रमुक सरकार के सारे कार्य क्या संवैधानिक थे ?

भूमि सुधार के मामले में भी द्रमुक सरकार ने लोगो के साथ धोखाधड़ी से काम लिया है। द्रमुक दल के लोगों को बिना कठिनाई के भूमि मिलती थी । इतना ही नहीं, उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये इन लोगों को बैंकों से लाखों रुपये का ऋण भी मिलता रहा है। सहकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। हर सहकारी संस्था के अंदर द्रमुक कार्यकर्ता रहता था ताकि वह अपने दल के हितों की रक्षा कर सके ।

यदि द्रमुक विधान सभा सदस्यों, कार्यकर्ताओं तथा उनके सम्बन्धियों को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग द्वारा दी गयी ज़मीन को किसी तरह वापस लिया जाये तो यह ज़मीन भूमिहीनों के बीच बांटी जा सकती है ।

इतना ही नहीं, द्रमुक दल के लोग भगवान् में भी विश्वास नहीं रखते। उन्होने तो मंदिरों में भगवान् की राशि का दुरुपयोग तथा गबन भी किया है। वहां के नये शासन को इन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। कौन कहता है कि वे भगवान् पर विश्वास नहीं रखते जबकि वे भगवान् की राशि पर भी कब्जा कर लेते हैं। यही नहीं, गरीबों, के लिये अनाथालय बनाने के नाम पर भी धन एकत्र किया गया। प्रत्येक अनाथालय में 50 अनाथों की व्यवस्था की जानी थी परन्तु वहां कोई अनाथ था ही नहीं। इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

(श्री ओ० पी० अलगेशन)

शांति और व्यवस्था के मामले में भी तमिलनाडु में एक तरह से बिना कानून का राज्य चल रहा था। मख्य मंत्री को काले झंडे दिखाने वाले जन प्रतिनिधियों को बुरी तरह से पीटा जाता था। शांति और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिंताजनक स्थिति ग्रहण कर चुकी थी। पुलिस शासक दल के हितों को पूरा करने के लिये साधन बन चुकी थी। वहां की पुलिस द्रमुक सरकार के प्राइवेट गुंडों का काम करती रही है।

इतना ही नहीं द्रमुक दल के एक विधान सभा सदस्य ने पुलिस द्वारा एक गरीब मच्छुए को बुरी तरह से पिटवाया। गरीब लोगों पर अनेक अत्याचार किये गये।

तमिलनाडु को देश से पृथक करने की प्रेरणा द्रविड़ कषगम दल के नेता ई० वी० रामास्वामी नयकर ने दी थी जो द्रमुक के अध्यात्मिक गुरु माने जाते थे। वे ही पृथकता का प्रचार कर रहे थे। यदि द्रमुक दल ने यह संकल्प पास किया भी था कि वह पृथक नहीं होंगे तो यह बाहरी परिवर्तन मात्र था; दिल से वे अब भी पृथकतावाद का समर्थन करते हैं। राज्य स्वायतता की बात केवल तमिलनाडु में पृथकतावादी आन्दोलन को चालू रखने के लिए की जा रही है। किसी को भी इस भूल में नहीं रहना चाहिये कि उनके दल ने यह मांग छोड़ दी है।

श्री राय सहाय पाँडे (राजनंदगांव) : क्या इसके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ था ?

श्री ओ० वी० अलगेशन : यह मेरे कहने की बात नहीं है।

द्रमुक सरकार संस्कृति को निकृत करने के लिये भी ज़िम्मेवार है। शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के लिये जो पाठ्यपुस्तकें निर्धारित की गयीं उनमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। पाठ्यपुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के स्थान पर द्रमुक सरकार का गुणगान किया गया है। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि द्रमुक ही एक महत्वपूर्ण राजनैतिक दल है। मैं माननीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता हूं कि जो संस्थाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं और द्रमुक का गढ़ बन गई थीं, उन्हें सुधारा जाये। पंचायत बोर्ड, पंचायत संघ, नगरपालिकाओं, सहकारी संस्थाएं, तथा सरकारी क्षेत्र के कई कारखानें, चीनी मिलें, कपास तथा कताई मिलें द्रमुक लोगों के हाथों में थीं। उन्होंने इन्हीं अपनी सम्पत्ति बना रखा था। अब समय आ गया है कि इनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये तथा इन संस्थाओं को सुधारा जाये और जिस प्रयोजन के लिए उन्हें बनाया गया था उन्हें उस काम के योग्य बनाया जाये। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : चर्चाधीन संकल्प में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किया जाये। उद्घोषणा में कहा गया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट थे कि राज्य के शासन को संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल के प्रतिवेदन में कदाचार, कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, पक्षपात के लिये सत्ता का दुरुपयोग के आरोप लगाये गये हैं। ये प्रायः सभी राज्यों में होते हैं। क्या हमारे संविधान में यह अपेक्षित है कि जब भी ऐसा मामला हो, राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है ?

राज्य विधान सभायें सम्बन्धित राज्य के लोगों द्वारा निर्वाचित की जाती हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि इस दल द्वारा 9 वर्ष के निरंकुश शासन का समय 31 जनवरी को समाप्त हो गया लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इन वर्षों के दौरान एक आम चुनाव भी हुआ था और राज्य के लोगों ने "निरंकुश शासन" के बावजूद द्रमुक के लोगों को पुनः चुना तथा इस दल को सत्ता प्रदान की। क्या इससे यह प्रतीत होता है कि मतदाता इस दल से रुष्ट थे ?

केन्द्र को किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लेने की शक्ति प्राप्त है परन्तु इन शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिये जब उस राज्य का प्रशासन पूर्णतया ठप्प हो गया हो। परन्तु सरकार ने इससे विपरीत कदम उठाया है।

प्रतिवेदन में कई आरोप लगाये गये हैं परन्तु उनमें से एक को भी सिद्ध नहीं किया जा सका है। हालांकि कुप्रशासन का आरोप लगाकर तमिलनाडु सरकार को हटाया गया है, फिर भी क्या यह आवश्यक नहीं था कि इस आरोप की न्यायिक जांच पहले करली जाती ? ज्योंहि आरोप लगाये गये थे उनकी जांच उसी समय की जानी चाहिये थी। एक स्थायी न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिये था जैसाकि सन्थानम् समिति ने सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने इसकी उपेक्षा की है। क्या राज्यपाल ने कभी भी केन्द्र सरकार को इस बात से अवगत कराया है कि तमिलनाडु सरकार जिस ढंग से प्रशासन चला रही है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं और इसके प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिये ? इसके विपरीत राज्यपाल तमिलनाडु सरकार के सुचारु प्रशासन से सदैव प्रसन्न रहे हैं। वही राज्यपाल कुछ महीनों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह सरकार राज्य का प्रशासन चलाने के योग्य नहीं है।

मैं महसूस करता हूं कि तमिलनाडु सरकार का प्रशासन इसलिये अपने हाथों में नहीं लिया गया कि द्रमुक सरकार असफल हो गई थी। इसका कारण यह था कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार तथा प्रधान मंत्री की निरर्थक बातों को स्वीकार नहीं कर सकती थी। द्रमुक सरकार का प्रयत्न आपात स्थिति पर तथा इसके दण्डकारी प्रावधानों पर अच्छी तरह से विचार करना था लेकिन सरकार ने इसका अर्थ यह लगाया कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों की अवहेलना की है। किसी ने भी इस बात का एक भी उदाहरण नहीं दिया है जिससे यह पता चल सके कि यह सरकार आपात-स्थिति में कार्य करने में असमर्थ रही है। सरकारी आदेश की अवहेलना करने का आरोप तो इस सरकार पर कदापि नहीं लगाया जा सकता। संघीय ढांचे में स्वायत्त राज्य के रूप में इसे कार्य करने का पूरा अधिकार है। मेरे विचार में राज्य सरकार ने आपातस्थिति के लागू होने से अब तक सारे काम सही किये हैं। यह कहना सही नहीं है कि तमिलनाडु के लोगों ने द्रमुक सरकार के हटाये जाने तथा राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : मैं गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प और राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा जिसके द्वारा तमिलनाडु विधान सभा को भंग करके तमिलनाडु सरकार को हटाया गया है, का पूर्णतया समर्थन करता हूं। यदि आप द्रमुक दल के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पता लगेगा कि यह पृथकतावादी आन्दोलन द्रमुक की ही उपज है। यह पृथकतावाद में विश्वास रखते हैं और देश को विघटित करना चाहते हैं। यही उनकी नीति है। उन्होंने हमें कहा था कि उन्हों

[श्री आर० वी० स्वामीनाथन]

पृथकतावादी नीति को त्याग दिया है लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं कर सके। वह हमेशा पृथकतावादी विचारों का प्रचार करते रहे।

द्रमुक सरकार को हटाने के बाद प्रधान मंत्री ने मद्रास में एक सभा को सम्बोधित किया। उस सभा में 20 लाख से भी अधिक लोग उपस्थित थे। जनता को केवल इसी बात का दुःख है कि सरकार ने यह कार्यवाही देर से क्यों की है। इसे बहुत पहले किया जाना चाहिये था।

जहां तक द्रमुक सरकार की भूलों का सम्बन्ध है, द्रमुक सरकार ने सहकारी आन्दोलन, जोकि ठीक ढंग से कार्य कर रहा था, को तबाह कर दिया। मन्दिरों का काम ठीक ढंग से चल रहा था लेकिन द्रमुक सरकार ने ऐसे लोगों को न्यासी मनोनीत किया जिनकी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं है।

पूछा गया है कि हम इतनी देर तक यह सब कुछ क्यों सहन करते रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री और भारत सरकार की महानता है कि उन्होंने द्रमुक सरकार को इतनी ढील इस आशा पर दी कि शायद वह अपने को सुधार ले लेकिन वह नहीं सम्भली। इसलिये केन्द्र सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। तमिलनाडु राज्य के लोग द्रमुक सरकार के प्रशासन से तंग आ चुके थे। अन्ततोगत्वा बात यह है कि द्रमुक सरकार के हटाये जाने पर किसी ने आंसू नहीं बहाये। तमिलनाडु में प्रत्येक व्यक्ति का यह विश्वास था कि द्रमुक के विरुद्ध की गई कार्यवाही ठीक समय पर की गई और ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक था। यह कार्यवाही वहां के लोगों के हित में थी।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) केरल के अलावा, जहां राज्यपाल ने सरकार और प्रशासन की त्रुटियों और खामियों को आधार बनाकर सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी, अन्य किसी राज्य में इन आधारों को राज्य सरकार खत्म करने के लिये उचित नहीं समझा गया है।

राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि द्रमुक सरकार अपने पक्षपातपूर्ण हितों के लिए कार्य कर रही थी लेकिन द्रमुक सरकार को खत्म करने के लिये केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने हेतु शतप्रतिशत राजनीतिक निर्णय है। द्रमुक सरकार को खत्म करने के निर्णय से न केवल तमिलनाडु के लोगों बल्कि समूचे देश के लोगों के दिलों में अशान्ति और बेचैनी पैदा हो गई है। विपक्षी दलों के लोगों को इस बात की आशंका पैदा हो गई है कि सरकार इस देश में लोकतंत्र नहीं रखना चाहती हैं।

द्रमुक सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि यह सरकार अपने पक्षपातपूर्ण हितों के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग कर रही थी। वह अपने दल के लोगों की सहायता कर रही थी और अन्य दलों के लोगों को अपना कार्य-संचालन नहीं करने देती थी। लेकिन यहां सत्ताधारी दल का क्या काम है? केन्द्रीय सरकार भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अनसार राज्यपाल को भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों की गिनती करने के बजाय इस बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिये कि सरकार ने अमुक मद पर केन्द्र के निदेशों की अवहेलना की है। राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे केन्द्र द्वारा कार्यवाही आवश्यक हो। जो आरोप लगाये गये हैं वे 1972 से 1974

के बीच की अवधि के हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद द्रमुक वालों ने स्पष्ट कर दिया था कि वे पृथकतावाद में विश्वास नहीं रखते।

उस समय स्वर्गीय डा० अन्नादुराई ने खड़े होकर कहा था कि हम देश की अखण्डता में विश्वास करते हैं और वह तथा उनका दल पूर्ण समर्थन देगा।

1970 में पाकिस्तान से युद्ध के समय इसी तमिलनाडु सरकार और इन्ही डा० करुणानिधि ने प्रधान मंत्री राहत कोष में 6 करोड़ पये दिये थे। उस समय तमिलनाडु सरकार भ्रष्ट न थी। सत्ताधारी कांग्रेस ने चुनाव के समय द्रमुक को पूर्ण समर्थन दिया ताकि उन्ह संसद् में 9 स्थान प्राप्त हो सकें। द्रमुक ने विधान सभा में 154 स्थान प्राप्त किये और सरकार बनाई। अब आफत ही क्या थी। विधान सभा की अवधि 19 मार्च को समाप्त हो ही रही थी तो अब राष्ट्रपति शासन क्यों लाद दिया गया। इससे जनता में यह भावना बड़ी है कि केन्द्र सरकार विपक्ष को सहन नहीं कर सकती।

आप तो गुजरात सरकार के विरुद्ध भी आक्षेप लगा रहे हैं। वहां के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से कहा कि इन आरोपों की जांच के लिये सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये। जब यह समिति नियुक्त न की गई तो स्वयं मुख्य मंत्री ने एक समिति नियुक्त कर दी। लेकिन फिर भी गृह मंत्री कह रहे हैं कि वह स्थिति का अनुमान लगा रहे हैं।

इस स्थिति में तो जनता द्वारा निर्वाचित विपक्ष की सरकार कभी कार्य नहीं कर सकती। तमिलनाडु के बारे में केन्द्र द्वारा उठाये गये कदमों का स्वागत किया गया है। यह बात गले से नहीं उतरती। सब लोगों को पता है कि प्रधान मंत्री की बैठक में 20 लाख लोग कैसे इकट्ठे किये गये। यदि समाचार पत्र प्रधान मंत्री के पक्ष में न लिखते तो क्या करते? आप का विपक्ष के साथ कैसा बर्ताव है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि जनता का असंतोष आज भले ही प्रकट न हो परन्तु यह असंतोष बढ़ रहा है और जब विस्फोट होगा तो आप को बहा कर ले जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। आंध्र में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से तमिलनाडु के लोगों के बहुत निकट हैं। अलग राज्य बनाये जाने से पूर्व हमें मद्रासी कहा जाता था। हमें उस पर गर्व है। हम सभी चाहते हैं कि दक्षिण भारत में अच्छा प्रशासन हो। जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो मैं मद्रास में ही था। मैंने देखा कि लोगों ने काफी हर्ष मनाया और कोई तोड़ फोड़ उन्होंने नहीं की।

तमिलनाडु सरकार को प्रशासन सुधारने के लिये काफी समय दिया गया लेकिन जब कुछ न हुआ तो राज्यपाल को कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। केन्द्र सरकार ने राजनीतिक कारणों से विपक्ष को हटाने के लिये ऐसा नहीं किया है बल्कि ठीक समय पर ठीक कार्य किया गया है ताकि द्रमुक के कुप्रबन्ध को शीघ्र समाप्त किया जा सके। संविधान में इसकी व्यवस्था भी की गई है।

[श्री के० सूर्यनारायण]

तमिलनाडु में द्रमुक सरकार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई है। हम सभी इसका समर्थन करते हैं। किसी अन्य राज्य के विरुद्ध भी यदि आरोप लगाये जाते हैं तो हम उनके लिये भी जांच आयोग की स्थापना में झिझकेंगे नहीं। गुजरात सरकार भी ठीक नहीं चलेगी तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

द्रमुक ने 'एक रुपये में पाडी' का नारा लगाया था लेकिन एक-दो महीने ही ऐसा चला। बाद में उसका भाव तीन रुपये हो गया। इस वर्ष मूल्य कम हुए हैं। द्रमुक सरकार ने तो मद्रास शहर में केवल बुत लगाये हैं। सभी जगह तमिल में ही लिखा हुआ है। यदि मैं वहां जाऊं तो मुझे वहां मार्ग पता करने के लिये अपने तमिल मित्रों से पूछना पड़ेगा। वहां अब तीन भाषाओं में जानकारी दी जानी चाहिये।

1971 में हमने एक अन्य शत्रु का मुकाबला करने के लिये 'द्रमुक' के साथ सहयोग किया था। लेकिन उसका लाभ आप को भी हुआ। हमारी मित्रता का लाभ उठा कर आप हमीं को दोष दे रहे हैं।

जो अनुदान आप को दिये गये उनका भी दुरुपयोग हुआ है। इसलिये केन्द्र को दोष देना ठीक नहीं। हम समाजवादी देश न होकर लोकतंत्र हैं। हमें लोकतंत्र के लिए कार्य करना चाहिये।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : मैंने अन्य लोगों के साथ-साथ श्री आर० वी० स्वामीनाथन का भाषण सुना है। उन्होंने बहुत शीघ्र अपने विचार बदले हैं। मदुरै में भाषण करते हुए उन्होंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि की बहुत तारीफ की थी। अब वह आलोचना करते हैं।

यही हाल राज्यपाल श्री के० के० शाह का है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैं खुले रूप से आरोप नहीं लगाना चाहता। उन्होंने स्वयं मुख्य मंत्री से बातें की और कई बार चेतावनी दी या सलाह दी कि यह करो या वह करो। लेकिन जब अपने इरादे में नाकाम रहे तो उन्होंने सरकार को बर्खास्त किये जाने की सिफारिश कर दी।

31 जनवरी, तमिलनाडु के लोगों के लिये एक महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन सारे तमिलनाडु में खुशी की लहर उमड़ आयी। करुणानिधि सरकार के पतन के अवसर पर लोगों ने मिठाइयां बांटी।

वास्तव में श्री करुणानिधि लोगों का विश्वास 1972 में ही खो बैठे थे। वे विधान सभा में बहुमत के तकनिकी आधार से ही टिके रहे। करूणानिधि सरकार के हटाये जाने पर लोग बहुत खुश हुये हैं। प्रशासन में अनुशासन तथा ईमानदारी का संचार हो गया है। करुणानिधि सरकार ने शांति तथा व्यवस्था की स्थिति को अस्तव्यस्त कर दिया था। जब मैंने अन्नाद्रमुक दल में प्रवेश किया था तो 'करुणानिधि के गुंडों ने हवाई अड्डे पर मुझे पर प्रहार किये। डिंडीगुल उपचुनाव के दौरान भी एक कार्यकर्ता को छुरा मार कर मौत के घाट उतारा गया था। एक विद्यार्थी को भी करुणानिधि के गुंडों ने मौत के घाट उतारा था। एक बाप और बेटे को भी गोली से मौत के घाट उतारा गया। एक मुस्लिम महिला, श्रीमती फातिमा के साथ भी बलात्कार किया गया, जिसकी बाद में मृत्यु भी हो गई।

द्रमुक की कार्यकारिणी समिति ने प्रस्ताव द्वारा आपातकालीन स्थिति, 20 सूत्री कार्यक्रम आदि-आदि की पुरज़ोर निंदा की थी। द्रमुक के कार्यकर्ताओं ने अनेक आपत्तिजनक इश्तहार भी प्रकाशित किये

जिन्हें विश्व भर की राजधानियों के सभी दूतावासों को भेजा गया । आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद सभी राष्ट्र विरोधी तत्वों ने तमिलनाडु में शरण ली ।श्री करुणानिधि ने खुल कर पृथक होने का प्रचार किया था । जब हम यहां प्रजातंत्र के लिये खतरों की बात कर रहे थे तो मेरे सहयोगी श्री सेझियान ने कहा था कि "प्रजा त्र खतरे में नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी खतरे में हैं । सारे तमिलनाडु में इस प्रकार के इश्तहार लगे थे। कि "तमिलनाडु के मुजीबुर्रहमान, अर्थात् श्री करुणानिधि जिन्दाबाद" । कुछ इश्तहारों में तो यहां तक लिखा गया था कि "स्वतंत्र तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिंदाबाद"। इस चर्चा के दौरान हम तमिलनाडु की राजनीति के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं बल्कि तमिलनाडु की स्थिति पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं । श्री क णानिधि न केवल उच्चकोटि के फासिस्ट हैं बल्कि एक पृथकतावादी भी हैं । उन्होंने एक बार अपने मित्रों को यह बात करने के लिये कहा था कि "हम एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रजातांत्रिक तमिलनाडु चाहते हैं" । (व्यवधान) ।

श्री करुणानिधि ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने पृथकीकरण के मामले को केन्द्रीय सरकार के सामने नहीं उठाया । मैंने उत्तर में कहा कि मैं इस मामले को संवैधानिक दृष्टि से ही उठा सकता हूं । लेकिन श्री करुणानिधि तो इस देश को विभाजित करना चाहते थे । इसी कारण हमने क णानिधि से अपने सम्बन्ध तोड़े । श्री करुणानिधि ने यह भी कहा था कि केन्द्रीय सरकार दक्षिण के लोगों पर जबरदस्ती हिन्दी थोप रही है । लेकिन उनकी इस प्रकार की बातों का लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा । तिरुची के एक होस्टल में विद्यार्थियों को पुलिस से बुरी तरह से पिटवाया गया जबकि विद्यार्थियों की ओर से कोई भी भड़काने वाली कार्यवाही नहीं हुई थी । इस हेतु एक जांच आयोग का गठन किया गया जिसका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुका है ।

[श्री पी० पार्थ सारथी पीठासीन हुये
Shri P. Parthasarathi in the chair.]

प्रतिवेदन में पुलिस के विरुद्ध टिप्पणियां की गयीं । इस पर भी श्री करुणानिधि ने त्यागपत्र न दिया और वे अपनी कुर्सी से चिपके रहे । यदि उन्हें जबरदस्ती न हटाया जाता तो वे कभी न जाते । पिछले 26 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया । इस बार राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने से मैं खुश नहीं हूं ।

इस समय हमें चुनाव की बातें नहीं करनी चाहिये । अभी तो हमें द्रमुक सरकार द्वारा पैदा की गयी गंदगी को दूर करना है । इस चर्चा के दौरान चुनाव की बात नहीं आनी चाहिये । हमें उचित ढंग से चुनावों के बारे में अनुमान लगाने चाहिये । हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिये । इस समय तो हमें 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करना है तथा प्रशासन को स्वच्छ बनाना है ।

करुणानिधि मंत्री मंडल को बहुत पहले हटाया जाना चाहिये था । तमिलनाडु के लोगों ने अब चैन की सांस ली । लोग अब खुश हैं । अब वे बिना डर के घूम सकते हैं । अन्ना द्रमुक के लोगों को तो करुणानिधि के गुंडे मार ही देते ।

[श्री के० मनोहरन]

20 सूत्री कार्यक्रम सब देशवासियों का कार्यक्रम है। इसलिये दलीय दृष्टिकोणों को छोड़कर हमें मिलजुलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिये। हमें गांव-गांव में जाकर लोगों को इस कार्यक्रम के लिये शिक्षित तथा सचेत करना चाहिये। उन्हें शिक्षित करने से ही हमारे सभी कार्यक्रम सफल हो सकते हैं।

हमें दहेज प्रथा के विरुद्ध तथा परिवार नियोजन के लिये देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करना है जिसमें सब देशवासी अपनी जिम्मेदारी अनुभव कर सकें।

मेरा अनुरोध है कि सरकारीय आयोग को शीघ्र अपना प्रतिवेदन देने के लिये कहा जाये।

मुझे इस बात का पता है कि श्री सेझियान ने श्री करुणानिधि को केन्द्र से टकराव न करने के लिये कहा था लेकिन उनकी बात नहीं मानी गयी।

गृह मंत्री को तमिलनाडु जाकर देखना चाहिए कि लोग बदले हुए वातावरण से कितने खुश हैं। कुछ लोगों ने इसका हृदय से स्वागत किया है करुणानिधि और उनके साथियों के अलावा तमिलनाडु के सभी लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मुझे आशा है कि चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे। हमें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि हम कुछ बातों के बारे में लोगों का भय समाप्त कर सकें। मुझे आशा है कि प्रतिबंध शीघ्र हटाया जायेगा और राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दिया जायेगा ताकि वास्तविक लोकतंत्र स्थापित किया जा सके।

डा० हेनरी आस्टिन (एर्नाकुलम) : तमिलनाडु के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। मेरे विचार में मुख्य बात यह है कि द्रमुक सरकार हमारे संविधान के उपबन्धों की सही व्याख्या करने में असमर्थ रही है। संवैधानिक विधान के वेत्ता इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने भाषणों में विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया था कि भारतीय गणतन्त्र एकात्मक राज्य है, संघीय राज्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि संविधान के अन्तर्गत राजनीतिक सत्ता का आधारभूत निधान केन्द्र के हाथों में है, राज्यों के हाथों में नहीं और केन्द्र का विभिन्न राज्यों के प्रति यथार्थ रूप में उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारों को संविधान के संघीय उपबन्धों के अन्तर्गत जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। परन्तु इससे राज्यों को अपनी इच्छा से सरकार बनाने की सत्ता नहीं मिलती है।

हमारे देश में विभिन्न राज्य समष्टि प्रधान इकाई का अभिन्न अंग है। यह समष्टि प्रधान इकाई राज्यों के प्रति उत्तरदायित्व रखती है। विभिन्न राज्यों के प्रति अपने इस कर्तव्य के सदर्भ में ही केन्द्र को तमिलनाडु में हस्तक्षेप करना पड़ा है। हमारे देश की सशक्त इकाई के रूप में अखण्डता बनाये रखना ही केन्द्रीय सरकार का मुख्य कर्तव्य है। पिछले 9 वर्षों की विशेषकर पिछले 5 वर्षों की तमिलनाडु की घटनाओं की पृष्ठभूमि में केन्द्र को हस्तक्षेप करना पड़ा है।

तमिलनाडु की घटनाओं से यह पता चलता है कि द्रुमुक वाले हमारे देश की सांस्कृतिक परम्पराओं के विरुद्ध हिंसक रवैया अपना रहे थे । हम ऐसी संस्कृति नहीं लाना चाहते जो हमारी राष्ट्रीय परम्पराओं के विरुद्ध प्रहार करें, अपितु हम चाहते हैं कि तामिल संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बने । लेकिन वे लोग तमिलनाडु में इस संस्कृति अथवा अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान को इस महान देश से अपने क्रमिक अलगाव के लिए मोहरा बना रहे थे । ऐसी हालत में राष्ट्रपति ने अपने संविधानिक दायित्व में राज्य की जनता के हितों की रक्षा करने हेतु हस्ताक्षेप किया और जनता ने इसका स्वागत किया ।

जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम का सम्बंध है सम्भवत : तमिलनाडु ही ऐसा राज्य है जहां 20 सूत्री कार्यक्रम की संकल्पना और इसकी क्रियान्विति को यह कहकर कि उन्होंने तो इसे पहले ही क्रियान्वित कर लिया है, अवहेलना की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि तथा आवास स्थल बांटे गए । इस कार्यक्रम का सभी लोगो ने समर्थन किया है। परन्तु तमिलनाडु सरकार ने इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए कुछ नहीं किया ।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली है । गत कुछ सप्ताह से लोग राज्यपाल की विभिन्न अपीलों का ठोस समर्थन कर रहे हैं । राष्ट्रपति द्वारा उठाया गया कदम समयोचित है । यह हमारे देश की स्वतंत्रता और अखण्डता के हितों की रक्षा करने हेतु उठाया गया है । अतः मैं इस सांविधिक संकल्प का पूरी तरह समर्थन करता हूं ।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : कुछ मुख्य राजनीतिक मुद्दों पर मेरा द्रमुक के साथ वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद है । परन्तु यह घटना जिस प्रकार हमारे सामने आई है वह बड़ी ही हास्यास्पद है ।

राज्यपाल, जिन्होंने 29 जनवरी को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजी थी, 31 जनवरी को भी द्रमुक सरकार और मुख्य मंत्री की खुलकर प्रशंसा कर रहे थे । गृह मंत्री यह बतायें कि क्या यह बात गलत है। इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति के हाथ में राज्य का हित सुरक्षित रह सकता है जो सार्वजनिक रूप से एक बात कहता है और पीठ पीछे दूसरी ।

अब मैं राज्यपाल द्वारा लगाये गए आरोपों का उल्लेख करता हूं जो कि रिपोर्ट में दिए गए हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि द्रमुक सरकार 1970 से ही अवैध कार्य कर रही थी । इन सब वर्षों में राज्यपाल क्या करते रहे ? मेरे विचार में प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को पाक्षिक रिपोर्ट भेजता है और यह प्रक्रिया अभी बन्द नहीं की गई है। क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि अपनी सामान्य रिपोर्टों में राज्यपाल ने कितनी बार द्रमुक सरकार की वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का उल्लेख किया है ? हमारे संविधान के अन्तर्गत यों तो सामान्यतः राज्यपाल को मंत्रि परिषद् की राय से काम

[श्री त्रिदिव चौधरी]

करना होता है परन्तु सरकार को सजग करने, सलाह देने और कोई गलत काम किया जा रहा हो तो उसे बताने का राज्यपाल को अधिकार है । राज्यपाल ने कितनी बार मुख्य मंत्री को गलत कार्यों के बारे में बताया ।

केन्द्रीय सरकार की यह कार्यवाही बड़ी अजीब सी लगती है । विधानमंडल के कार्यकाल के समाप्त होने में मास दो मास से कम समय था। यदि केन्द्रीय सरकार 6 वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकती है तो वह दो महीने या 52 दिन तक प्रतीक्षा क्यो नहीं कर सकती ? अपनी इस कार्यवाही से केन्द्रीय सरकार ने द्रमुक सरकार को शहीद का मुकुट पहना दिया है और सम्भवतः श्री करुणानिधि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने पर इसका लाभ उठा ले जायेंगे ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : राज्यपाल ने शिष्टाचारवश तमिलनाडु सरकार की कुछ प्रसंशा की थी । अब राज्यपाल ऐसा नहीं करेंगे ।

द्रमुक के बहुत से लोग अब श्री करुणानिधि की नीतियों की वास्तविकता को समझ रहे हैं । बहुत से लोग दल को छोड़ चुके हैं और बहुत से अन्य शीघ्र छोड़ने वाले हैं ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्लि) : मैं राष्ट्रपति द्वारा तमिलनाडु में की गई कार्यवाही का पूर्णतया समर्थन करता हूं । द्रमुक सरकार गत चार वर्षों के दौरान और विशेष रूप से आपात स्थिति की उद्घोषणा के बाद क्या कर रही थी ? यदि हम इस बात की छानबीन करें तो हमें स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । तमिलनाडु के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं यही कारण है कि जब प्रधान मंत्री ने 15 तारीख को तमिलनाडु का दौरा किया तो उनका भाषण सुनने के लिए लोग लाखों की संख्या में आये थे । यदि सरकार को बरखास्त नहीं किया जाता और विधान सभा भंग नहीं की जाती तो इतनी संख्या में लोग वहां न पहुंचते । करुणानिधि इस प्रकार शासन कर रहे थे मानों तमिलनाडु एक अलग स्वतंत्र देश हो । वह राज्य की स्वायतत्ता की भी मांग कर रहे थे । वह इस प्रकार काम कर रहे थे मानों उनका केन्द्र सरकार से कोई सम्बन्ध न हो । कोई आयकर अधिकारी उनके मित्र के घर पर छापा नहीं मार सकता था । मेरे दल के चार कार्यकर्ताओं को मार दिया गया । बहुत को जेल में डाल दिया गया । हमने भ्रष्टाचार और कुप्रशासन सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित किए हैं । वे राज्य की स्वायत्तता की मांग कर रहे थे । हमने ये सब बातें राज्यपाल के ध्यान में लाईं और बाद में राष्ट्रपति को लिखकर भेजा । अब जांच आयोग की नियुक्ति की गई है । श्री करूणानिधि के कई समर्थक अब द्रमुक दल को छोड़ रहे हैं । उन्होंने ऐसा करुणानिधि द्वारा गलत नीतियों के अनुसरण तथा केन्द्र से भिन्न नीति अपनाने के कारण किया है ।

तमिलनाडु के लोगों ने अब राहत की सांस ली है । वे आशा कर रहे हैं कि सरकार हस्ताक्षेप करके उन सब बुराइयों को दूर करेगी जो श्री करुणानिधि की शासन प्रणाली से उत्पन्न हुई हैं । अब देखना यह है कि कहां तक इन लोगों की आशायें पूरी होती हैं ।

पिछले चार वर्षों के दौरान श्री करुणानिधि ने जनता से मत प्राप्त करने के लिए बहुत से राजनीतिक एवं आर्थिक हथियारों का बहुत शरारतपूर्ण एवं चतुराई से प्रयोग किया ।

इस कार्य में जिन शक्तियों में उनका साथ दिया उन्हीं के कारण इस समय आपात स्थिति लागु करनी पड़ी है । अब स्थिति का गम्भीरतापूर्ण निरीक्षण करके राष्ट्रपति शासन के दौरान जनता को राहत दी जानी चाहिए ।

श्री करुणानिधि ने भूमि सुधारों के मामले में केन्द्र के प्रयत्न विफल कर रखे थे कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान भूमि की अधिकतम सीमा 30 स्टेंडर्ड एकड़ रखी थी लेकिन श्री करुणानिधि श्री कामराज से अधिक क्रांतिकारी बनाने की सोच रहे थ उन्होंने यह सीमा घटा कर 15 एकड़ कर दी लेकिन 3 मास का छोटा बालक भी 15 एकड़ भूमि का स्वामी रह सकता था । इस कारण तमिलनाडु में बड़े बड़े भूपति उसी प्रकार कायम हैं। यदि द्रमुक सरकार को एक दिन भी सरकार में बने रहने दिया जाता तो 15000 से अधिक काशतकारों को बेदखल कर दिया जाता। तीन दिन हुए एक अध्यादेश जारी करके यह बेदखली रोकी गई है। श्री करुणानिधि ने मन्दिरों की या न्यास भूमि के स्वामियों को अपने साथ मिला रखा है । उनकी भूमि करोड़ों एकड़ है । सरकार को उनकी भूमि के बारे में भी अधिकतम सीमा लागू करनी चाहिए ।

द्रमुक सरकार ने प्रशासन को भ्रष्ट कर रखा है । राष्ट्रपति शासन के दौरान उन सभी अधिकारियों का ख्याल किया जाये जिन्हें पिछले तीन या चार वर्षों के दौरान नियुक्त किया गया हो । विशेषकर पुलिस का ध्यान रखा जाना अधिक आवश्यक है । अधिकतर सरकारी कर्मचारियों को 20 सूत्री कार्यक्रम का पता नहीं है । आप केवल अधिकारियों के भरोसे रह कर 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते । इस सम्बन्ध में राज्यपाल को क्या हिदायतें दी गई हैं कि वह जनता को इस कार्यक्रम में भागीदार बनायें ।

अकाल राहत कोष के लिए जो धन मिला था द्रमुक सरकार ने उसका दुरुपयोग किया है । लगातार तीन वर्षों से वहां अकाल पड़ा हुआ है । इसलिए अकाल राहत कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है । उसके लिए जन सहयोग आवश्यक है । आजकल जनता को दिये गये ऋणों की वसूली के लिए स्वयं अधिकारी जाकर जनता को डराते धमकाते हैं कि अभी ऋण वापस करो नहीं तो हम तुम्हारा पम्प सेट ले जायेंगे या पशु ले लिये जायेंगें । इस तरह राष्ट्रपति शासन के दौरान जनता को भड़काया जा रहा है ।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय को चाहिए कि राज्यपाल तथा उसके सलाहकारों को ये हिदायतें दें कि वे राजनीतिक दलों, किसान सभाओं, कृषि मजदूरों का सहयोग लें । सहयोग केवल उन्हीं का लिया जाये जो 20 सूत्री कार्यक्रम में पूरा विश्वास रखते हों ।

श्री एस० राधाकृष्णन : (कुड्डलूर) : सीमित समय होने के कारण मैं केवल एक या दो बातों पर टिप्पणी करूंगा । कल से संविधान के अनुच्छेद 356 पर वाद विवाद चल रहा है । राष्ट्रपति शासन के पक्ष और विपक्ष में भाषण हुये हैं । परन्तु मुझे लगता है

[श्री एस० राधाकृष्णन]

कि अनुच्छेद 356 को अच्छा खासा मजाक का विषय बना लिया गया है । 27 जनवरी को महामहिम श्री शाह तमिलनाडु के राज्यपाल विधान सभा का अधिवेशन बुला रहे थे और 28 जनवरी को वह केन्द्र से कह रहे थे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विधि अनुसार राज्य की सरकार नहीं चलाई जा सकती और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। राज्यपाल जैसे उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर बैठने वाला व्यक्ति 24 घंटे में इस प्रकार अपने विचार बदलता है, इसका स्पष्टीकरण गृह-मंत्री जी द्वारा किया जाना चाहिए ।

यदि सभी बुराइयों को हटाने का तरीका केवल राष्ट्रपति शासन है तो अन्य राज्यों में भी इसे लागू क्यों नहीं किया जाता ? द्रमुक सरकार 9 वर्ष तक बनी रही । इन 9 वर्षों में केन्द्रीय मंत्री एक के बाद एक राज्य का दौरा करते रहे । वहां उनका भरपूर स्वागत किया जाता था, हार पहनाये जाते हैं और बढ़िया-बढ़िया भोज दिये जाते थे । वे खुले तौर पर कहते थे कि अन्य राज्यों को भी तमिलनाडु का अनुसरण करना चाहिए । गृह मंत्री जी ने कहा था कि वहां शांति और व्यवस्था एकदम ठीक है । अन्य मंत्री भी राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में संतुष्ट थे । तमिलनाडु प्रशासन की प्रशंसा होती थी ।

श्री सी० एम० स्टीफन (भुवनुपूजा) : महोदय , मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। राज्यपाल की रिपोर्ट के बारे में काफी चर्चा हुई है । लेकिन रिपोर्ट को समग्र रूप से देखें तो पता चलेगा कि तमीलनाडु में केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदेशों की अवहेलना की जा रही थी, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था क्योंकि तमिलनाडु सरकार संविधान की उपेक्षा कर रही थी ।

श्री सेझियान ने कहा है कि संघीय ढांचे में संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को किसी मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच आदेश देने का अधिकार नहीं । केवल यही बात वहां की सरकार को बर्खास्त करने के लिए काफी है क्यों कि संविधान के अनुच्छेद 356 में यह उपबंध है कि संसद् द्वारा निर्मित विधियों का पालन कार्यपालिका द्वारा किया जायेगा । जब श्री करूणानिधि से इस विषय में स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि "हम एक पृथक इकाई हैं । हमारे विरुद्ध संविधान के अन्तर्गत कोई जांच नहीं कराई जा सकती ।" जो राज्य सरकार ऐसी बातें करती है वह संविधान की उपेक्षा ही करती है ।

अनुच्छेद 356 में दो बातों का उपबन्ध है । यदि विधान सभा में सरकार का बहमत समाप्त हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है और यदि निर्वाचित सरकार संविधान की उपेक्षा करती है तब भी उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं । उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए ।

भारत सरकार के संघीय स्वरूप के बारे में गलत धारणा है । सार यह है कि भारत एकात्मक सरकार है । 1963 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि सार्वभौमिकता प्रांतों में भी निहत है । इस विवाद में उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय यह था कि सार्व-भौमिकता तो केवल केन्द्र में है । राज्य प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं है । अतः हमारे देश की शासन-प्रणाली में केन्द्रीय सरकार ही प्रमुख है ।

श्री करुणानिधि ने हाल ही में कहा है कि वह चुनावों में भाग नहीं लेंगे । इसका कारण यह है कि वह जीत नहीं सकते । द्रमुक सरकार तो परिस्थितियों के कारण सत्ता में आई थी । लेकिन 9 वर्षों में वे एक बार भी कोई उपचुनाव नहीं जीत पाये ।

चुनाव कब कराये जायें, कैसे कराये जायें यह बात सभा में निश्चित नहीं हो सकती। उसकी जगह अलग है मैं संकल्प का समर्थन करता हूं । देश की एकता और अलगाववादी तत्वों का दमन करने के लिए यह उचित पग उठाया गया है ।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का वहां की जनता ने जोरदार स्वागत किया है । मरीना पर एकत्र हुआ लाखों की संख्या में जनसमूह इसका प्रमाण है । इसलिए विपक्ष को इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि जनता ने प्रधान मंत्री के इस कदम की सराहना नहीं की है । यदि वे सही भावना का पता लगाना चाहते हैं तो वे छोटे-छोटे दलों में जनता के पास जायें और केवल करुणानिधि से ही न मिलें ।

वैसे तो प्रधान मंत्री का भाषण सुनने के लिए भीड़ एकत्र होती ही है । लेकिन उस दिन जितनी जनता आई थी, मैंने अपने 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में नहीं देखी । मेरा विचार है कि तमिलनाडु की जनता ने श्रीमती गांधी में महिषासुर मर्दिनी का चित्र देखा है जिसने उन्हें भ्रष्ट प्रशासन से मुक्त कराया है । मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि द्रमुक के कई सदस्यों ने भी प्रधान मंत्री के इस कदम की सराहना की है ।

आपात स्थिति लागू किए जाने के बाद भी केन्द्र सरकार काफी प्रतीक्षा करती रही कि राज्य सरकार प्रधान मंत्री की व्यक्तिगत आलोचना करने से रुक जायेगी । लोकतंत्र में सत्ताधारी दल की आलोचना होनी चाहिए , राजनीतिक कार्यों की आलोचना हो । परन्तु किसी के चरित्र पर आक्षेप सहन नहीं किया जा सकता । देश के प्रधान मंत्री के बारे में बेहूदा बातें कहना तर्कसंगत नहीं ।

द्रमुक सरकार के कुशासन और कुप्रबन्ध के बारे में अनेक सदस्यों ने बताया ही है । श्रमिकों की दशा किस प्रकार बिगड़ रही थी, कैसे तालाबंदी हो रही थी । द्रमुक के लोग लोगों को नाजायज तरीके से धमकाते थे । पुलिस थानों, तहसील या पंचायत कार्यालय, सहकारी समितियों के कार्यालय द्रमुक के सदस्यों के निर्देश पर चलते थे ।

राष्ट्रपति का शासन इन सभी बातों को देखते हुए लागू किया गया है । यह गलत धारणा है कि किसी राज्य में अव्यवस्था फैलने अथवा जब सरकार न बनाई जा सके तभी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है : 'संघ सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आन्तरिक गड़बड़ी से बचाये और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चले ।'

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । यदि किसी राज्य में यह प्रचार किया जाता है कि वह राज्य देश से अलग है या यदि उस राज्य में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाये जिससे वे समझें कि इस देश के लोगों से वे अलग हैं, तो केन्द्र को हस्तक्षेप करना ही होगा। क्योंकि उस समय हम यह नहीं कह सकते कि शांति और व्यवस्था कायम है । अतः यह समझ लिया जाना चाहिए कि भारत संघीय देश अवश्य है किन्तु उसमें शक्तिशाली केन्द्र की व्यवस्था है । इस बात के पीछे ऐतिहासिक अध्ययन है ।

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन केवल इसीलिए लागू नहीं किया गया कि वहां भ्रष्टाचार था, या कुप्रबन्ध था, या अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा था, या समस्त प्रशासन को दलीय हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, या दल के लिए धन इक्ट्ठा करने हेतु पुलिस का प्रयोग किया जाता था, या हिन्दी विरोधी भावनाओं को बढ़ाया जाता था बल्कि यह तो समग्र स्थिति को देख कर ही ऐसा किया गया है । राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में यही कहा है ।

कई सदस्यों ने कहा है कि राज्यपाल को निर्वाचित सरकार की आलोचना का क्या अधिकार हैं । हमें इस बात को अधिक तूल नहीं देना चाहिए । यदि मैं आज किसी व्यक्ति की अच्छाई देख कर उसकी प्रशंसा करता हूं तो इसका यह अर्थ नहीं कल वही व्यक्ति यदि बुरा काम करने लगे तो मैं उसे बुरा न कहूं । फिर भाषण तो तत्कालीन सरकार द्वारा ही तैयार किये जाते हैं और राज्यपाल उस भाषण को पड़ते हैं । राज्यपाल से ऐसे शब्द भी कहलवा दिये जाते हैं जो वह कहना न चाहते हों ।

राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में करुणानिधि सरकार को हटाने के भ्रष्टाचार के अतिरिक्त अन्य कारण भी दिये थे । उन्होंने जांच आयोग गठित करने की सिफारिश भी की थी ।

अनेक माननीय सदस्यों ने संवैधानिक व्यवस्थाओं का सहारा लेते हुये कहा है कि केवल कुछ ही कारणों से सरकार को हटाय जा सकता है अन्यथा नहीं ।

यह बात प्रसन्नता की है कि श्री मनोहरन जैसे माननीय सदस्य हिन्दी के देश भर में प्रसार के पक्ष में है तामिलनाडु के नवयुवकों के मन में यदि हिन्दी के प्रति आस्था पैदा की जाये तो यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिये लाभदायक सिद्ध होगा ।

मैं श्री सेझियान के उस वक्तव्य का स्वागत करता हूं जिसमें कहा गया है कि वे पृथकतावादी आन्दोलन बहुत पहले छोड़ चुके हैं । श्री नेदुचेझियान और श्री करुणानिधि ने भी ऐसा ही कहा है परन्तु द्रमुक के कुछ प्रमुख लोग यह कह रहे हैं कि यदि राज्य को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई तो हम पृथक हो जायेंगे ।

श्री सेझियान : इस प्रकार का आन्दोलन चलाने वालों के विरुद्ध यदि आप दण्डात्मक कार्यवाही भी करें तो मैं सरकार का साथ दूंगा । पृथकतावाद को देशद्रोह समझा जाये तथा अदालतों में इसकी सुनवाई होनी चाहिये । मैं आपका समर्थन करता हूं । मैं देश की एकता के साथ हूं ।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : इतना ही पर्याप्त नहीं । आपके दल के कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय एकता के महत्व को पूरी तरह से समझना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा था कि दल को मुक्ति आन्दोलन के रूप में माना जाये, जिसके बाद श्री करुणानिधि प्रधान मंत्री भी बन सकते हैं ।

तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने भी कहा था कि स्वायत्तता सम्बन्धी मांग को न माना गया तो हम अपनी पहली पृथकतावादी मांग को फिर से रखेंगे ।

कोयम्बतूर में 25 दिसम्बर से 28 दिसम्बर, 1975 के दौरान आयोजित दल के पांचवें राज्य स्तरीय सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि यदि राज्य को स्वायत्तता प्रदान करने सम्बन्धी दल की मांग स्वीकार न की गई तो 'द्रमुक' के पास पृथकता के लिए अपनी पुरानी मांग उठाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहेगा । दल ने द्रविड़ कणगम के साथ गोपनीय गठजोड़ कर रखा था ।

तमिलनाडु की जनता को भाषा के नाम पर भड़काया गया । वहां की जनता को तमिल भाषा से प्यार करने का अधिकार है । यह बात किसी ने नहीं कही है कि तमिल भाषा का कोई स्थान नहीं है या इसके साथ प्रेम नहीं किया जाना चाहिये । लेकिन द्रमुक यह कह कर कि "यदि यह आ जाती है तो तमिल समाप्त हो जायेगी" तमिल के लोगों को धोखा देता रहा है । "आह, तमिल, हमारी मातृभाषा तेरी मृत्यु हो गई है" ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये । स्वर्गीय पंडित नेहरू ने इस बारे में आश्वासन दिया था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इस आश्वासन को दोहराया है ।

इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी राष्ट्रीय भावनाओं से दूर रखने, का प्रयास किया गया है । यह बात बहुत खतरनाक है । पाठ्यपुस्तकों द्वारा भी बच्चों को राष्ट्रीय भावनायें ग्रहण करने से वंचित रखा गया है । मैं तमिलनाडु का विकास चाहता हूं क्योंकि मैंने वहां अपने राजनैतिक जीवन के 27 वर्ष बिताये हैं ।

1965 में भी तमिलनाडु मे हिन्दी के नाम पर एक आन्दोलन हुआ था । मैं तो यहां तक कहूंगा कि 1967 के चुनाव द्रमुक ने 1965 के आन्दोलन के परिणामस्वरूप ही जीते थे । **(व्यवधान)**

श्री सेझियान : यदि आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो लोग यही निष्कर्ष निकालेंगे कि लोगों को भड़का कर ही सत्ता प्राप्त की जा सकती है । द्रमुक कुछ अन्य कारणों से . . . (व्यवधान)

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार हिन्दी के लिये कुछ करे तो आपको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहियें । राज्य में ऐसा वातावरण न बनायें जिसमें लोग भावनाओं में बहकर भड़क उठें । आप किसी कार्यक्रम की निन्दा करें लेकिन पृथकतावाद तथा हिन्दी विरोधी मामलों में आपको सावधानी से काम लेना पड़ेगा ।

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद हमारा प्रयास यह देखना है कि तमिलनाडु की जनता के लिये सुदृढ़, सक्षम और कुशल प्रशासन की व्यवस्था की जाये । हम यह भी चाहते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए अधिकाधिक जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करें ।

हमारा प्रयास राज्य में विकास की गति को बढ़ाना भी रहा है । प्रधान मंत्री की यह तीव्र इच्छा है कि वर्ष 1976–77 के लिए तमिलनाडु के विकास कार्यक्रम का परिव्यय 200 करोड़ रुपये से कम न हो (**व्यवधान**) । यह देखना भी हमारा कर्तव्य है कि तमिलानाडु में प्रति व्यक्ति राशि निवेश में भी वृद्धि हो और तमिलनाडु की जनता को इस विकास से लाभ पहुंचे ।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस संकल्प का समर्थन करें ।

श्री सेझियान : तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही प्रजातंत्र विरोधी है । संविधान पर प्रहार करने में सहयोगी बनने से हम इनकार करते हैं । हम इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं । अतः हम विरोध में सभा भवन से बाहर जाते हैं ।

तत्पश्चात श्री सेझियान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

Shri Sezhiyan and some other hon. Members then left the House

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि यह सभा तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 176 विपक्ष में 3

Ayes 176 : Noes 3

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 11 मार्च 1976/21 फाल्गुन, 1897 (शक) के 11 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday March 11, 1976 Phalguna 21, 1897 (Saka)

GMGIPND—LS I—794 (ai) LS—8-7-76—200
म० प्र० भा० स० मु०न० दि० —लो० स० I—794 एल०एस०डी०—8-7-76—200